RPF रेल रक्षक बैच

Polity Class-1

Syllabus

1.) संवैधानिक विकास [Constitutional Development
2.) संविधान सभा [Constituent Assembly]
3.) संविधान का निर्माण [Formation of Constitution]
4.) संविधान के स्त्रोत [Source of Constitution]
5.) प्रस्तावना / उद्देशिका [Preamble]
6.) संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र [Unions it's Territory]
7.) नागरिकता [Citizenship]
8.) मौलिक अधिकार [Fundamental Rights]
9.) राज्य के नीति निदेशक तत्व [Directive Principle of State Policie
10.) मौलिक कर्तव्य [Fundamental Duties]
11.) संघीय कार्यपालिका [Union executive]

- President (राष्ट्रपति)
- Vice-President (उपराष्ट्रपति)
- Union Council of Ministers (संघीय मंत्रिपरिषद्)
- Prime Minister (प्रधानमंत्री)
- Attorney General (महान्यायवादी)

12.) राज्य कार्यपालिका [State executive]

- राज्यपाल (Governor)
- State Council of ministers (राज्य मंत्रिपरिषद्)
- Chief Minister (मुख्यमंत्री)
- Advocate General (महाधिवक्ता)

13.) संघीय विधायिका [Union legislative]

- लोकसभा (Loksabha)
- राज्यसभा (Rajyasabha)

⇒ संसदीय समितियाँ [Parliamentary Committees]

→ राज्य विधायिका State legislature
- विधान सभा [Legislative Assembly]
- विधानपरिषद [" Council]

⇒ न्यायपालिका [Judiciary]

- Supreme Court (उच्चतम न्यायालय)
- High Court (उच्च ")
- Subordinate Court (अधीनस्थ ")

⇒ CAG (Comptroller Auditor General)

↳ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

⇒ पंचायत (Panchayat's) > स्थानीय सरकारे Local Government
नगरपालिका (Municipality) >

⇒ निर्वाचन आयोग [Election Commission]
⇒ आपातकालीन उपबंध [Emergency Provision]
⇒ संविधान संशोधन [Constitution Amendment]
⇒ योजना / नीति आयोग [Planning / NITI Commission]
⇒ राजभाषा [offical language]

⇒ Articles (अनुच्छेद)
⇒ Schedules (अनुसूचियां)
⇒ Parts (भाग)

⇒ ये तीनों सरकार के स्तंभ (Pillar of Govt.)

विधायिका [legislative] ⇓ कानून बनाना (Making of law's)

कार्यपालिका [Executive] → कानूनों को लागू करना (execute of the law's)
- संघीय कार्यपालिका Union executive
- राज्य कार्यपालिका State "

न्यायपालिका [Judiciary]

① संसद (Parliament) → देश के लिए कानून बनाना Making of law's for Country.
- LS
- RS
- राष्ट्रपति (President)

State legislative
राज्य विधायिका

राज्य विधानमंडल ⇒ कार्य ⇒ राज्य के लिए कानून बनाना
(State legislature) (Making of law's for State.

- विधानसभा (Legislative Assembly)
- विधानपरिषद् (Legislative Council)
- राज्यपाल (Governar)

Judiciary ⇒ न्याय देना
न्यायपालिका [To Provide justice]

- Supreme Court ⇒ केवल 1
  उच्चतम न्यायालय
- High Court ⇒ 25
  उच्च न्यायालय
- Supardinate Court
  अधीनस्थ न्यायालय

Direct election
प्रत्यक्ष निर्वाचन
⇓
जहां जनता मतदान करती है, ← आयु (Age) ⇓ 18 years

Votes = Public

Indirect election
अप्रत्यक्ष निर्वाचन
⇓
Voters (मतदाता) ⇒ MP / MLA

(1) लोकसभा (Lok sabha) → (MP)
(2) विधानसभा (Legislative Assembly) → (MLA)
(3) पंचायत (Panchayat's)
(4) नगरपालिका (Municipality)

MP ⇒ member of Parliament
संसद के सदस्य

MLA → member of legislative Assembly विधानसभा के सदस्य

→ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा विधान-परिषद्.
President, Vice-President, Rajyasabha legislative Council

(MP) LS का सदस्य
RS का सदस्य

MLA
MLC ⇒ विधानपरिषद् का सदस्य
Member of Legislative Council

संविधान सभा / Constituent Assembly

⇓
कार्य ⇒ संविधान का निर्माण formation of Constitution

संविधान ? ⇒ नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह है जो किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था (Administrative System) को सुचारू रूप (systematic way) से चलाता है।
Constitution ?
⇓
वैधानिक दस्तावेज
(legal Document)

rojgar with ankit

संविधान सभा की माँग
Demand of Constituent Assembly

1895 ⇒ बालगंगाधर तिलक → स्वराज बिल

1922 ⇒ महात्मा गांधी

1924 ⇒ स्वराज पार्टी
- गठन = 1923
- इलाहाबाद / प्रयागराज
- संस्थापक (founder)
  - C. R. Das
  - Motilal Nehru

1934
⇓
प्रथम औपचारिक मांग
first formal Demand ⇒ M. N. Roy

1935 ⇒ आधिकारिक मांग → INC

RPF रेल रक्षक बैच

Polity Class-2

संविधान सभा
Constituent Assembly

मांग (Demand)

- ⇒ 1895 → संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैण्ड के हेनरी मैन ने किया
- ⇒ 1922 → व्यवहारिक रूप ← अमेरिका, फ्रांस
- ⇒ 1924
- ⇒ 1934 :– औपचारिक मांग (Formal Demand) ⇒ M.N. Roy
- ⇒ 1935 ⇒ आधिकारिक मांग (Official Demand) ⇒ INC (Indian National Congress) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

INC ⇒ स्थापना (Formed) ⇒ 28 Dec. 1885

→ संस्थापक (founder) ⇒ ए० ओ० ह्यूम
⇓
सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी
(Retired english officer)

⇒ 1935 ⇒ भारत शासन अधिनियम (Act of 1919)

Govt. of Indian Act 1935

शुरुआत ⇒ 1919 के अधिनियम से।

↳ 11 प्रांतों (Province) में चुनाव (election) ⇒ प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) होंगे।

वर्तमान भारत
- 28 राज्य (States)
- 8 U.T's (8 केंद्र शासित प्रदेश)

ब्रिटिश के समय भारत
- ब्रिटिश प्रांत (British Province) → आप (राज्य)
- चीफ कमिश्नरी प्रांत (Chief Commissionary Province) – U.T's
- देशी रियासतें (Princely states) ↳ आप ✗

⇒ 1935 के अधि० के अनुसार (According to Act. of 1935) ⇒ 1937 में 11 प्रांतो (11 Province) में चुनाव करवाये गये।

① मद्रास
② बिहार
③ उड़ीसा
④ बंम्बई
⑤ असम
⑥ मध्य प्रांत
⑦ उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत (North west frontier)

⇒ 8 प्रांतो INC के मंत्रिमण्डल गठित हुए। INC की सरकार बनी

③ प्रांत ← सिंध, पंजाब, बंगाल → इन तीनों प्रांतों में INC की सरकार नहीं बनी।

⑧ संयुक्त प्रांत

⇒ 8 प्रांतो में कांग्रेस मंत्रिमण्डल (Cabinet) का गठन।

⇓

लेकिन केवल 28 माह (Only 28 Month's) शासन किया और 28 माह के पश्चात् (After 28 Month's) कांग्रेस मंत्रिमण्डल ने त्यागपत्र (Resignation) दे दिया

↳ Oct. 1939

त्यागपत्र देने के कारण :⇒

1939 - 1945

⇓

(1) INC को बिना उसकी अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध (IInd World war) में शामिल करना।

(2) युद्ध के पश्चात् भारत की स्वतंत्रता (Independency) की INC मांग को मानने से इंकार करना।

22 Dec. 1939 ←

⇒ INC के त्यागपत्र देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस (Liberation day) मनाया (Celebrate) और इसमें उनका साथ डॉ० भीमराव अंबेडकर ने दिया

⇒

INC की मांग

→ संविधान सभा

→ 1929 ⇒ लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज (full Independency) की मांग की। अध्यक्ष → Pt. Jawaharlal Nehru ji

मुस्लिम लीग की स्थापना ⇒

1906

↳ ढाका (बांग्लादेश)

↳ 1940 में इसका लाहौर अधिवेशन (Lahore Session) → पाक० की मांग

→ अध्यक्ष (Chairman) → मो० अली जिन्ना

rojgar with ankit

अगस्त प्रस्ताव (August Motion)

- 8 Aug. 1940
- → वायसराय (Viceroy) ⇒ लिनलिथगो
- → सिफारिशें (Recommendation's)

(1) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् (executive Council of G.G) में भारतीयों की संख्या (No. of Indian's) में वृद्धि (Increase) की जायेगी।

2) युद्ध के पश्चात भारत में औपनिवेशिक राज्य (Colonial State) की स्थापना की जायेगी

3) एक युद्ध सलाहकार परिषद् का गठन (formed of war advisory Council)

4) भारत का संविधान बनाना भारतीयों का अधिकार होगा।

औपनिवेशिक राज्य
- शासन ⇒ British Govt
- Rule (नियम) ⇒ भारतीयों के अनुसार

rojgar with ankit

RPF रेल रक्षक बैच

Class-3

Polity

संविधान सभा

अगस्त प्रस्ताव [August Proposal]

⇓

मुस्लिम लीग ⇒ मांग पाक० ✗

INC की मांग ⇒ पूर्ण स्वराज ✗

⇓

क्योंकि इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग और INC दोनों की ही मांग स्वीकार नहीं की गयी थी इसलिए दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया (Reject)

⇒ अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करने के पश्चात् (After Reject the August offer / Proposal)

⇒ गाँधी की विचारधारा के अनुसार → INC ने अगस्त प्रस्ताव का विरोध करने और स्वंय को अलग रखने के लिए आन्दोलन (movement) शुरू किया। According to Ideology of Gandhiji → IInd विश्व युद्ध से

व्यक्तिगत सत्याग्रह (दिल्ली चलो आंदोलन)

- शुरुआत ⇒ 17 Oct. 1940, पवनार आश्रम (महाराष्ट्र)
- प्रथम सत्याग्रही ⇒ आचार्य विनोबा भावे
- दूसरे सत्याग्रही ⇒ Pt. Jawaharlal Nehru

rojgar with ankit

⇒ अमेरिका, आस्ट्रेलिया, चीन

⇓

PM of British ⇒ विस्टन चर्चिल

ब्रिटेन का प्रधानमंत्री

क्रिप्स मिशन (Cripps Mission)

→ भारत का वायसराय (Viceroy of India) ⇒ लिनलिथगो

→ ब्रिटेन का PM ⇒ विस्टन चर्चिल (इसी ने क्रिप्स मिशन को भेजा (भारत)

→ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ स्टैफोर्ड क्रिप्स

→ 23 March 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली आया (Cripps Mission Come to Delhi On 23 March 1942)

→ भारत आने का उद्देश्य : ⇒ द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग

⇒ क्रिप्स मिशन से INC के वार्ताकार

(1) मौलाना अबुल कलाम आजाद

(2) Pt. Jawahar lal Nehru

क्रिप्स मिशन की योजना ⇒ संविधान सभा का निर्माण ⇒ स्वीकार (Accept)

⇒ पूर्ण स्वराज ⇒ अस्वीकार (Reject)

⇓

क्योंकि क्रिप्स मिशन ने INC की पूर्ण स्वराज की मांग को अस्वीकार कर दिया इसीलिए INC ने भी इस मिशन को अस्वीकार कर दिया।

Muslim League ⇒ मांग ⇒ पाकः का निर्माण
↳ क्रिप्स मिशन द्वारा अस्वीकार कर दिया गया इसीलिए लोगो ने भी इसे अस्वीकार कर दिया।

⇒ गांधी जी ने इस मिशन को उत्तरदिनांकित चैक (Post. dated Cheque) कहा

⇒ पट्टाभिसीतारमैया ने इसे अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र (Revised version of the August proposal) कहा

IInd world war ⇒ मित्र राष्ट्रों Vs जर्मनी जापान, इटली ✗ = हार
⇓
1939-1945 ⇒ 1945 में IInd world war समाप्त की जीत हुयी।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात
[After Second world war]
⇒ 1945 ब्रिटेन में निर्वाचन सम्पन्न हुए
(Britain)
Parliament (संसद)
Conduct the in Britain in 1945.
⇓
नयी सरकार के गठन के लिए
for the new Govt. in Britain
↳ प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election)
⇓
House of Common's ⇒ Britain में नयी सरकार का गठन — Labour Party

House of Common's
हाउस आफ कामंन्स
↓
Lok sabha = भारत

House of Lord's
हाउस आफ लार्ड्स
⇓
Rajyasabha
⇓
भारत

rojgar with ankit

New PM (नये प्रधानमंत्री)
⇓ क्लीमेंट सटली

RPF रेल रक्षक बैच

Polity Class-4

संविधान सभा

⇒ New PM of Britain ⇒ क्लीमेंट एटली
ब्रिटेन के नये प्रधानमंत्री
⇓
Labur Party

14 March 1946
↳ को Hous of Commond's में गये और यहां जाकर घोषणा की कि भारतीयों को भी स्वतंत्रता का अधिकार (Right to freedom- for Indian's) है।

कैबिनेट मिशन [Cabinet Mission] ⇒ 24 March 1946 को दिल्ली आया
↳ PM of Britain ⇒ ~~क्लीमेंट एटली~~
⇒ भारत का वायसराय (Viceroy of India ⇒ वेवेल

अध्यक्ष (Chairman) ⇒ पैथिक लौरेंस (भारत सचिव Secretary of India)
⇒ 2 अन्य सदस्य - (1) ए० वी० अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री / Navy Minister)
(2) स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष Chairman of Trade board)
⇒ उद्देश्य :→ अंतरिम सरकार का गठन
farmed of Interim Government.

⇒ संविधान सभा का निर्माण
Formation of Constituent Assembly
योजना पेश की ⇒ 16 May 1946, (दिल्ली में)

⇒ गवर्नर जनरल
⇓
G.G. of Bengal ← बंगाल / कलकत्ता, बंबई, मद्रास
⇓
G.G. of India ← पूरे भारत के लिए
⇓
Viceroy ⇒ 1858 Act से
- ऊपर एक व्यक्ति ⇒ भारत सचिव ⇓ अंग्रेज
- 1857 का विद्रोह
- E.I.C ⇒ शासन ⇓ शासन ⇒ ब्रिटिश क्राउन

1764 बक्सर का युद्ध
⇓
भारत में EIC के शासन की स्थापना।

ब्रिटिश प्रतिनिधि भारत में
- (A) ⇒ Viceroy
- (B) ⇒ भारत सचिव
- (C) ⇒ ब्रिटेन की महारानी

अंतरिम सरकार [Interim Government]
⇓
अस्थायी (Adhoc / Temporary)

⇒ अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए वेवेल ने Pt. J.L. Nehru को आमंत्रित (Invite) ⇒ (1 Aug. 1946) किया

⇒ अंतरिम सरकार की घोषणा
Annouced of Interim Govt. ⇒ 24 Aug. 1946

⇒ अंतरिम सरकार का गठन = 2 Sept. 1946
Formed of Interim Govt.
→ सदस्यों की संख्या
No. of members = (13)

अध्यक्ष / सभापति (Chairman) ⇒ वेवेल
उपसभापति (vice-chairman) ⇒ Pt. J.L Nehru

rojgar with ankit

⇒ आगे चलकर मुस्लिम लीग वेवेल के लगातार प्रयास से 26 Oct. 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल हो गयी।

13 सदस्यों के साथ गठन
-3 → को हटाया ⇒ 10 + 5 सदस्य मुस्लिम लीग के शामिल।
कुल सदस्यों की संख्या ⇒ 15
Total No. of members

सरकार का अन्त (End of Govt.) ⇒ 15 Aug. 1947

संविधान सभा का निर्माण
Formation of Constituent Assembly

⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)
↳ प्रांत के प्रतिनिधि ⇒ मतदाता
Representative of Province (voters)

rojgar with ankit

Polity

कैबिनेट मिशन

संविधान सभा का निर्माण
formation of Constituent Assembly

(1.) Indirect election
अप्रत्यक्ष निर्वाचन
⇓
मतदाता (Voters) ⇒ प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य
[Members of legislative Assembly of Province]

(2.) 1 प्रतिनिधि
Representative ⇒ 10 लाख जनसंख्या पर

(3) 389 सीटें (Total Seats ⇒ 389)
⇓
सीटों की संख्या (No. of seats) ⇒ जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है।

⇒ सीटों का विभाजन ⇒ जनसंख्या के आधार पर (Based on Population)
[Division of Seats)

Division of Seats
सीटों का विभाजन
- ब्रिटिश प्रांत (British Province) ⇒ 292 Seats
- चीफ कमिश्नरी प्रांत ⇒ 4 Seats
  Chief Commissionary Province
  - दिल्ली - ①
  - अजमेर - मारवाड़ - ①
  - कुर्ग - ①
  - बलूचिस्तान - ①
- देशी रियासतें
  Princely States
  ⇓ 93 Seats

निर्वाचन के संपन्न होने से पूर्व देशी रियासतों ने निर्वाचन का बहिष्कार [Boycott of the election] किया

⇒ July - August 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन संपन्न कराये गये

⇒ Seats ⇒ 296 ⇒ सीटों पर निर्वाचन
(292+4)

⇒ निर्वाचन के पश्चात् ⇒ निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
(After election) (Declared the Result of the election)

296 → 208 Seats ⇒ INC
296 → 73 Seats ⇒ Muslim league

15 Seats → 7 सीट ⇒ छोटे समूहों (Small Groups / Parties)
15 Seats → 8 सीट ⇒ Independent members (निर्दलीय सदस्य)

⇒ निर्वाचन के परिणाम (Result) की घोषणा के पश्चात मुस्लिम लीग ने निर्वाचन का बहिष्कार (Boycott) किया

संविधान सभा का गठन ⇒ 6 Dec. 1946
formed of Constituent Assembly

भारतीय संविधान का निर्माण
formation of Indian Constitution

संविधान सभा की प्रथम बैठक ⇒ 9 Dec. 1946
first meeting of Constituent Assembly

- अध्यक्ष (Chairman) ⇒ अस्थायी (Temporary / Adhoc) ⇒ डा० सच्चिदानन्द सिंहा
- स्थान (Place) ⇒ नई दिल्ली (Centeall Hall of Delhi) (दिल्ली का केन्द्रीय भवन) आचार्य जे० बी० कृपलानी के कहने पर
- कुल सदस्य (total members)
  - 211 सदस्य (Members)

II Meeting (दूसरी बैठक) ⇒ 11 Dec. 1946

- अध्यक्ष (Chairman) → स्थायी (Permanent) ⇒ डा० राजेन्द्र प्रसाद
- → उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) ⇒ ① एच० सी० मुखर्जी (2) वी० टी० कृष्णामचारी
- → संवैधानिक सलाहकार (Constitutional Advisor) ⇒ वी० एन० राव
- स्थान (Place) ⇒ Same

III Meeting (तीसरी बैठक) ⇒ 13 Dec. 1946

↳ इस बैठक का आरंभ उद्देश्य प्रस्ताव (objective Resolution) के साथ हुआ।

↳ किसने पेश ? ⇒ Pt. Jawaharlal Nehru ji

⇒ नेहरू जी ने इसे संविधान सभा के सामने पेश किया

⇒ स्वीकार (Accept) ⇒ संविधान सभा द्वारा इसे 12 Jan. 1947 को स्वीकार किया गया।

rojgar with ankit

Polity

⇒ संविधान का प्रारूप ⇒ बी० एन० राव द्वारा तैयार किया गया
Draft of Constitution — Prepared by the B.N. Rao

⇓

October ⇒ 1947 में तैयार किया

→ Articles (अनुच्छेद) ⇒ 243

→ Schedules (अनुसूचियाँ) ⇒ 13

प्रारूप / पांडुलेखन / मसौदा समिति (Drafting Committee) ⇒ कार्य (function)

→ गठन (formed) ⇒ 29 Aug. 1947

→ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ डा० बी० आर० अंबेडकर

→ अन्य सदस्य (other members) = 6
(total members 1+6 =7)

⇓

संविधान के प्रारूप पर चर्चा (Discussion on the Constitutional Draft)

(1) के० एम० मुंशी
(2) मो० सादुल्ला
(3) एन० गोपालस्वामी आयंगर
(4) अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर
(5) बी० एल० मित्र ⇒ आगे चलकर हट जाते हैं और इनकी जगह एन० माधवराव आते हैं।
(6) डी० पी० खेतान
→ की मृत्यु के कारण इनकी जगह टी० टी० कृष्णामचारी आते हैं।

पहली रिपोर्ट (first Report) ⇒ 21 feb. 1948 को संविधान सभा को दी।
- → Art. 315
- → Schedules ⇒ 8

अंतिम रिपोर्ट (final Report) ⇒ 26 Oct. 1948
⇓
संविधान सभा को दी।

⇒ संविधान सभा रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए वाचन (Reading) बुलायेगी -

1st Reading प्रथम वाचन ⇒ 4 Nov. 1948 - 9 Nov. 1948
- → रिपोर्ट ⇒ पेश की जायेगी
- → रिपोर्ट की फोटोप्रतियां (Photocopies) सदस्यों बीच बांटी जायेंगी।

IInd Reading ⇒ 15 Nov. 1948 - 17 Oct. 1949
- → सबसे लंबा (longest)
- → Debate / बहस / चर्चा

IIIrd Reading ⇒ 14 Nov. 1949 - 26 Nov. 1949
⇓
भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गयी और इसी दिन अंबेडकर जी के कहने पर संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया।

संविधान / विधि दिवस (Constitution / law day)

rojgar with ankit

⇒ संविधान निर्माण तक संविधान सभा के 11 अधिवेशन / सत्र (Session) हुए।

⇒ संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा

⇒ संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई।

⇒ संविधान निर्माण के लिए 60 देशों के संविधान का आवलोक- (Observe) किया गया

⇒ संविधान Art. 395
Schedules - 8
Parts (भाग) → 22

⇒ 395 में से 16 Articles को 26 Nov. 1949 में लागू (execute) कर दिया गया।
(Art. 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, ~~390~~, 391 392, 393, 394)

⇒ संविधान निर्माण में कुल खर्चे - 63, 96, 729 (लगभग 64 लाख रु)

⇒ संविधान निर्माण के लिए बैठक ⇒ 165 दो 165 दिनों तक हुई.

⇒ 24 Jan. 1950 → संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन (last Session) ⇒ 12 वां
कुल अधिवेशन (total Session) = 12

⇒ संविधान पर हस्ताक्षर (Signature) ⇒ 284 सदस्यों ने
8 महिलायें ⇒ परीक्षा वाणी 11 महिलायें

⇓
संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर ⇒ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

rojgar with ankit

⇒ डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति (first President of India) घोषित किया गया

⇒ संविधान सभा को भंग / विघटित (Dissolved) कर दिया गया और उसे अंतरिम संसद (Interim Parliament) में परिवर्तित कर दिया गया

Note:- स्थायी संसद (Permanent Parliament) का गठन 1952 में हुआ था।

⇒ 24 Jan. 1950 को वंदे मातरम् (राष्ट्रगीत) और जन-गण-मन को राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा अपनाया गया।

rojgar with ankit

RPF रेल रक्षक बैच

Polity

संविधान का निर्माण

26 Jan. 1950 ⇒ भारतीय संविधान लागू
execute the Indian Const.
⇓
गणतंत्र दिवस
(Republic day)

⇒ संविधान का प्रकाशन (Published) ⇒ देहरादून (Survey of India (उत्तराखण्ड) Prass
↳ 1000 Copies ⇒ छापी।

⇒ संविधान को हाथों से प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा।

⇒ शुद्ध हिन्दी में बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा।

संविधान पर सजावट (Designing)

(1) नंद लाल बोस
(2) राम मनोहर सिन्हा

⇒ मूल संविधान में पृष्ठों की संख्या (No. of Pages)
↳ 251 Pages

⇒ संविधान सभा के सचिव (Secretary of Constituent Assembly)
↳ फ्रैंक एंथोनी

⇒ संविधान सभा में प्रथम पारसी ⇒ P.M मोदी

rojgar with ankit

⇒ संविधान सभा के सचिव (Secretary of Constituent Assembly)
└ H.V.R आयंगर

⇒ संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय (first Anglo Indian in Constituent Assembly)
└ फ्रैंक एंथोनी

⇒ संविधान सभा में प्रथम पारसी ⇒ P.M मोदी

⇒ मो० अली जिन्ना और महात्मा गाँधी जी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

⇒ भारत और पाक० के विभाजन (Division) के पश्चात् संविधान सभा में सदस्यों की संख्या ⇒ 299 हो गयी (299, ब्रिटिश प्रांत, 70 देशी रियासतों) पाक० का निर्माण (formation) ⇒ 14 Aug. 1947

⇒ भारतीय संविधान का जनक (father of Indian Constution) ⇒ डॉ० वी० आर० अंबेडकर

⇒ पहली बार 1946 के चुनाव में पूर्वी बंगाल (east Bengal) से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे।

⇒ भारत, पाक० के विभाजन के पश्चात् पूर्वी बंगाल पाक० का हिस्सा बन गया।

rojgar with ankit

⇒ अंबेडकर जी संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुम्बई प्रेसीडेंसी की पूणे / पुना संसदीय सीट से कांग्रेस के एम० आर० जयकर से त्यागपत्र (Resignation) दिलाकर रिक्त (Vaccant) करायी गयी, जहा से वे उपचुनाव (By-election) में निर्वाचित (elected) होकर पुनः (again) संविधान सभा में सम्मिलित हुए

Q⇒ अंबेडकर जी पहली बार संविधान सभा के सदस्य ⇒ पूर्वी बंगाल

" " पुनः " " " → पुणे सीट

Q⇒ मुम्बई प्रेसीडेंसी की पूणे सीट से किसने त्यागपत्र ⇒ एम० आर० जयकर

संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या ⇒ 15

Total No. of females in Constituent Assembly = 15

(1) सुचेता कृपलानी → U.P (पहली महिला मुख्यमंत्री) ⇒ U.P

(2) विजय लक्ष्मी पंडित → U.P (स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत)

(3) पूर्णिमा बनर्जी → U.P

(4) कमला चौधरी → U.P

(5) बेगम रुबाइया सुल्तान - U.P (एकमात्र मुस्लिम महिला)

(6) राजकुमारी अमृत कौर → मध्य प्रांत

(केबिनेट में प्रथम महिला (first female in Cabinet)

rojgar with ankit

(7) सरोजनी नायडू – बिहार
⇓
(पहली महिला राज्यपाल / first female Governor - U.P)

(8) हंसा मेहता - बम्बई / मुम्बई

(9) जी० दुर्गाबाई – मद्रास

(10) दक्षयानी वेलायुधन – मद्रास (प्रथम दलित महिला)

(11) अम्मू स्वामीनाथन – मद्रास

(12) मालती चौधरी – उड़ीसा / ओडिशा

(13) रेणुका राय
(14) लीला राय
> प० बंगाल (west Bengal)

(15) रैनी मस्करीनी
↳ ट्रावनकोर

Schedule Caste ↳ अनुसूचित जाति ← SC ⇒ 26
ST ⇒ 33 ↳ Schedule Tribes
अनुसूचित जाति

अनुसूचियाँ (Schedules)

⇓
मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या
No. of Schedules in Original Constitution ⇒ 8
और वर्तमान में (and in Present) = 12

Polity

1st Schedule → भारत संघ ⟶ 28 राज्य States
प्रथम अनुसूची Union of India 8 केन्द्र शासित प्रदेश / 8 union Teritoory

IInd ⇒ संवैधानिक अधिकारी (Constitutional officers)
↳ वेतन (Salary) पेंशन (Pession) भत्ते (Allowances)

(1) राष्ट्रपति (Pousident)
(2) राज्यपाल (Governor)
(3) लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
Speaker & Deputy Speaker of LS and Legislative Assembly
(4) राज्यसभा तथा विधानपरिषद् के सभापति और उपसभापति
Chairman & Vice-Chairman of RS and Legislative Council.
(5) उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीश
Judges of Supreme Court and High Court.
(6) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
Comptroller & Auditor General of India

IIIrd ⇒ शपथ (Oath) ⇒ संवैधानिक अधिकारियों
(Constitutional officers)

(1) MPIS ⇒ संसद का सदस्य

(2) MLA'S ⇒ विधानसभा का सदस्य

(3) MLC'S ⇒ विधानपरिषद् का सदस्य

4) Unions States Minister
संघ और राज्यों के मंत्री

(5) PM- प्रधानमंत्री

(6) CM ⇒ मुख्यमंत्री

7) उच्चतम एवं उच्च न्यायलय के न्यायाधीश
Judges of Supreme Court's High Court

(8) CAG

राष्ट्रपति (President) - Art. 60
उपराष्ट्रपति (Vice-President) Art. 69
राज्यपाल (Governor) ⇒ Art. 159

इन तीनों की शपथ अनुसूची - 3 में नहीं है बल्कि इनके सामने लिखे हुए Article - अनुच्छेद में है।

IV^th Schedule ⇒ राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य
Division of Seat's in RS between states - UT's

RS ⇒ 245 Seat's → 233 elected निर्वाचित
12 सदस्य (members) ⇒ Nominate मनोनीत ← President

233 members → elected निर्वाचित
- 28 राज्यों / States
- 3 केंद्र शासित प्रदेश U.T's
  - दिल्ली
  - पुडुचेरी
  - J&K

II. राज्य सभा में सीटें उन्हीं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिलती है जहां विधानसभा (Legislative Assembly) होती है।

Vth ⇒ SC क्षेत्रों और ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध।
Provision of Administration and Control Area's of Scand ST

VIth ⇒ SC क्षेत्रों और ST के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध
- 4 राज्यों → ATmm (असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम)

VIIth ⇒ केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन
Division of Powers between Center's States.

(1) संघ सूची (Union list) ⇒ 100 विषय (Subjects) ⇒ कानून (law) → केंद्र सरकार

(2) राज्य सूची (State list) = 61 विषय (Subjects)
- कानून ⇒ राज्य सरकार

(3) समवर्ती सूची (Concurrent list)
↳ इसे आस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। (Taken from Australian Constitution)
→ 52 विषय (Subjects) ⇒ कानून ⇒ केंद्र + राज्य सरकार

VIII th ⇒ आधिकारिक भाषाएँ (official language)
↳ मूल संविधान (Original Constitution) ⇒ 14
वर्तमान में (In present) ⇒ 22

⇒ 21 वां संविधान संशोधन 1967 ⇒ सिंधी
Constitution Amendment

⇒ 71 वां संविधान संशोधन 1992 ⇒ नमक ⇒ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी

⇒ 92 संविधान संशोधन 2003 ⇒ SDMB ⇒ संथाली, डोगरी, मैथिली, बोडो

IX th ⇒ Add on जोड़ी गयी ⇒ पुथम संविधान संशोधन 1951
1st Constitution Amendment 1951
⇓
भूमि सुधार (Land Rejorm's)

X th ⇒ Add on / जोड़ा गया ⇒ 52 संविधान संशोधन 1985
⇓
Anti-Defection law ⇒ दल-बदल कानून

XI th ⇒ Add on ⇒ 73 वां संविधान संशोधन 1992

↳ पंचायत / Panchayat's

⇓

कार्य करने के विषय = 29

XII th ⇒ Add on ⇒ 74 वां संविधान संशोधन 1992

↳ नगरपालिका (Municipalities)

⇓

कार्य के विषय ⇒ 18

rojgar with ankit

Polity

प्रस्तावना / उद्देशिका (Preamble)

- उद्देश्य प्रस्ताव ⇒ 13 Dec. 1946 → पेश
- Objective Resolution ⇒ 22 Jan. 1947 – स्वीकार
- → प्रस्तावना का स्रोत
  Source of Preamble

⇒ विचार (Idea) ⇒ अमेरिका / USA
⇒ भाषा (language) ⇒ आस्ट्रेलिया / Australia

⇒ प्रस्तावना ⇒ संविधान की आत्मा ⇒ अनुराग ठाकुर भार्गव दास
Soul of Constitution
→ न्यायधीश (Judge) एम० हिदायतुल्ला

⇒ राजनीतिक जन्मपत्री
Political Horoscope ⇒ के० एम० मुंशी

⇒ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी – अर्नेस्ट बेकर

⇒ प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र (Introduction of Constitution) ⇓ एन० ए० पालकीवाला

सामान्यतया प्रत्येक अधिनियम का आरम्भ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।

rojgar with ankit

Generally, every Act begins with a Preamble which mentions its main ideals and aspirations.

भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्त्रोत पं. जवाहर लाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को प्रस्तुत एवं 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जबकि प्रस्तावना का विचार U.S.A. के संविधान से ग्रहण किया गया है। The Source of the Preamble of the Indian Constitution of the preamble Presented by Pt. Jawahar Lal Nehru in the Constituent Assembly on 13 December 1946 and accepted on 22 January 1947. The language of the Preamble has been taken from the Constitution of Australia while the idea of the Preamble has been taken from the Constitution of the USA.

42 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में 'समाजवादी और पंथनिरपेक्ष' शब्द तथा छठे पैरा में 'और अखण्डता शब्द जोड़ा गया। The 42nd Constitutional Amendment Act. 1976 amended the preamble by adding the words 'Socialist and Secular' in the first Paragraph and the words and Integrity' in the Sixth paragraph.

प्रस्तावना (Preamble) में कितनी बार संशोधन ? ⇒ एक बार

⇓

एक बार ⇒ 1976 (42 वां CA 1976) = शब्द जोड़े → ① समाजवाद
② पंथनिरपेक्ष
③ अखण्डता

समाजवाद (Socialist)
पंथनिरपेक्ष (Secular)
अखण्डता (Integrity)
} शब्द जोड़े गये 1976

⇒ प्रस्तावना में 26 Jan. 1950 को कौन से शब्द नहीं थे ?

⇒ 42 वें CA 1976 द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना मे जोड़े गये ?

⇒ 42 CA 1976 ⇒ लघु संविधान (mini Constitution) कहते है।
क्योंकि संविधान में बहुत से परिवर्तन इसी संशोधन द्वारा किये गये है।

क्या उद्देशिका संविधान का अंग है ?
Is the Preamble a part of the Constition ?

इन री बेरुबारी (1960) के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारित किया कि - In the Case of In re Berubari (1960), the Supreme Court held that -

1. उद्देशिका संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो किन्तु यह संविधान का अंग नहीं है। The preamble may be the Source of inspiration for the Constitution but it is not a part of the Constitution.

⇒ अंग नहीं है। ——— Amended only the part of Constitution.

⇒ संसद (Parliament)
⇓
केवल संविधान भागों में संशोधन
अंग

किन्तु केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को उलटते हुए यह मत दिया कि -
But in the Case of kesavananda Bharati Vs State of Kerala (1973). the Supreme Court reversed its earlier decision and gave the opinion that -

केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973
↳ Supreme Court ⟶ अपना निर्णय बदल दिया
↳ प्रश्न ? क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है ?
⇓
हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है।

1. उद्देशिका संविधान का एक भाग है। * संविधान में उसका वही भाग स्थान है जो अन्य उपबन्धों का है।*
The preamble is a part of the Constitution.* It has the same part in the Constitution as other provisions.

rojgar with ankit

2. उद्देशिका में संशोधन (मूलभूत ढाँचे के अलावा) किया जा सकता है। Imp.

Amendments can be made in the preamble (apart from the basic structure) ⇒ मूलभूत ढाँचे (Basic Structure) का प्रयोग Supreme Court ने किस case में किया?

⇒ S. Court संसद से कहा कि तुम संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती हो लेकिन मूलभूत ढाँचे का उल्लंघन न हो

⇓

Basic Structure of Constitution Voilation

↳ मूलभूत ढाँचा संविधान में परिभाषित नहीं।

⇓

न्यायिक निर्णय (Judicial judgement)

⇒ मूलभूत ढाँचा क्या है?

⇓

S. Court ने कहा कि यह मैं समय-समय पर बताऊँगा कि मूलभूत ढाँचा क्या है?

न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।

Justice Hidayatullah has called the Preamble the Soul of the Constitution in the Case of Golaknath vs. State of Punjab.

Imp.

प्रस्तावना - संविधान की आत्मा
⇓
अनुराग ठाकुर भार्गव दास

के. एम. मुंशी ने उद्देशिका को 'राजनीतिक जन्मपत्री' (Political Horoscope) संज्ञा प्रदान की है। सुभाष कश्यप ने उद्देशिका के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि, "संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। उद्देशिका आधार शिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।

K.M. Munshi has called the Preamble a 'political horoscope; Subhash Kashyap has underlined the importance of the preamble and said. "If the Constitution is the body, then the preamble is its Soul. If the preamble is the foundation Stone, then the Constitution is the building built on it.

हम भारत के लोग We the people of India

उद्देशिका का आरम्भ 'हम भारत के लोग' (We, the people of India) शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य यह है कि संविधान का मूल स्रोत - भारत की जनता है। वही समस्त शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है।

rojgar with ankit

The preamble begins with the words 'We, the People of India'. This means that the Original Source of the Constitution is the people of India They are the Center point of all powers.

V ⇒ SC/ST

VI ⇒ (ST)

Q⇒ प्रस्तावना का आरंभ किस शब्द से होता है?

Q⇒ संविधान का मूल स्त्रोत क्या है?

Polity

संविधान द्वारा प्रदत्त सम्प्रभुता जनता में निहित है तथा भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। ये शब्द संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द 'हम संयुक्त राष्ट्र के लोग' के समरूप है।

→ "हम भारत के लोग"

The Sovereignty granted by the Constitution lies with the people and the Indian Constitution is the result of their will. These words are similar to the words 'We, the people of the United Nations' used in the preamble of the Charter of the United Nations.

1. Q⇒ हम भारत के लोग - शब्द कहां से लिया गया है?
2. Q⇒ संविधान का स्रोत कौन है?

→ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से

→ भारत की जनता

(सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न (Sovereign)

उद्देशिका के अनुसार भारत एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न' (Sovereign) राष्ट्र होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने

According to the Preamble, India will be a 'Completely Sovereign' nation. This makes it clear that India will have full Control Over its

rojgar with ankit

संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न (Sovereign) ⇒ Independency स्वतंत्रता

↳ आंतरिक (Internal) } मामले affairs
  बाह्य (external) }

आन्तरिक एवं बाहा मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। वह अपनी आन्तरिक एवं बाहा विदेश नीति निर्धारित करने के लिए तथा किसी भी राष्ट्र के साथ मित्रता एवं सन्धि करने के लिए पूर्णत: स्वतंत्र है। It is not Subjed to any foreign power or authority in internal and external matters. It is Completely independent to determine its internal and external foreign policy and to make friendship and treaty with any nation.

1947 से पहले भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश था ? = नहीं ← ब्रिटिश उपनिवेश

समाजवादी (Socialist)

42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में 'समाजवादी' (Socialist) शब्द जोड़ा गया। * भारत का समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद है जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। The word 'Socialist' was added to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment in 1976. * Indian Socialism is a democratic dynamic Socialism based on Nehru's Concept.

अर्थ (Meaning) ⇒ उत्पादन / विकास के साधनों का समान वितरण / Equal Division of Development Resources.

- स्वास्थय
- → शिक्षा
- रोजगार
- स्वच्छ पानी
- स्वच्छ वातावरण

(पंथ निरपेक्ष (Secular))

इसे भी 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया।
'पंथ-निरपेक्ष' (Secular) राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है; बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है।

This was also added by the 42nd Constitutional Amendment
A 'Secular' State / Country means a state that does not recognize any particular religion as the state religion; rather it provides equal protection to all religions in a neutral manner.

पंथनिरपेक्ष (Secular)
⇓
All religions are equall
सभी धर्म समान हैं।

Democracy (लोकतंत्र) → अप्रत्यक्ष लोकतंत्र / Indirect Democracy
⇓
अर्थ ⇒ लोगों का तंत्र (System of the people)
⇓
प्रतिनिधियों के माध्यम शासन

LS → MP
विधानसभा — MLA
Legislative Assembly
→ जनता के प्रतिनिधि
Direct election ⇒ मतदाता Voters ⇒ जनता
प्रत्यक्ष निर्वाचन

rojgar with ankit

⇒ अब्राहम लिंकन ⇒ लोगों का शासन, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा।
Rule of people, for the people, by the people

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति

लोकतंत्र (Democracy)

लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों का तंत्र अर्थात् जनता का शासन। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतांत्रात्मक शासन जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है।* भारत में जनता अपने द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। इसे अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है।

Democracy means the system of the people i.e. the rule of the people. According to Abraham Lincoln, democratic rule is the rule of the people, for the people and by the people. In India, the people rule through their elected representatives. This is called Indirect democratic system or representative system.

(गणराज्य (Republic)

भारत एक गणराज्य है। इससे तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा न कि वंशानुगत।

India is a republic. This means that the head of State of India will be elected and not hereditary.

भारत ⇒ राष्ट्राध्यक्ष (Head of Nation) ब्रिटेन ⇒ राष्ट्राध्यक्ष ⇒ पद ⇒ वंशानुगत ⇓ राजा/रानी (King/Queen)

ये पद निर्वाचित है।

⇓ राष्ट्रपति (President)

↳ निर्वाचन (Election) ⇒ Indirect election / अप्रत्यक्ष निर्वाचन

↳ प्रत्येक 5 वर्ष पर

संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को अधोलिखित न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता सुनिश्चित करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।

यथा – The preamble of the Constitution has expressed the resolve to ensure the following justice, Liberty and equality to its Citizens. As-

स्वतंत्रता (Liberty)

समानता (Equality), न्याय (justice) ⟵ 3 प्रकार के न्याय

न्याय (Justice) – तीन प्रकार के ⟶ है; यथा – सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक। Justice – There are three types as- Social, economic and political.

स्वतंत्रता (Liberty) - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। Liberty – of thought, expression, belief, religion and worship

↳ 5 प्रकार

समानता (Equality) - प्रतिष्ठा एवं अवसर की।) Equality - of dignity and opportunity.) ⟵ रोजगार (Employment) ⟵ सरकारी नौकरी

rojgar with ankit

Polity

हम भारत के लोग
संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न
समाजवादी
पंथनिरपेक्ष
लोकतांत्रिक
गणराज्य

3 न्याय
5 स्वतंत्रता
2 प्रकार समानता

मूल संविधान → Present
Art. 395 → 470+
Parts - 22 - 25
Schedules - 8 - 12

⇒ भारत एकता (Unity), बंधुता (fraternity) और अखण्डता (Integrity) को बनाये रखना है।
→ जिसे कोई तोड़ा न जा सके
→ शब्द को 42 CA 1976 द्वारा जोड़ा गया

⇒ 3 प्रकार के न्याय रूस से लिये गये हैं।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
Socialist, economic, Political justice taken from Russia.

स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिये गये हैं।
→ 1789
Liberty, equality and fraternity taken from French Revolution (1789 AD)

अंगीकृत / अधिनियमित आत्मार्पित / स्वीकार

विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र → USA
first Secular Country in the world

⇒ भारतीय संविधान भारतीय जनता द्वारा (संविधान सभा के माध्यम से) अंगीकृत (Adopt) किया गया
↳ 26 Nov. 1949

⇒ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों (objectives) और आदर्शों (Ideals) की व्याख्या संविधान में मूल अधिकारों (Jundemental Rights) राज्य के नीति निदेशक तत्वों Directive Principle of State Policies) एवं मूल कर्तव्यों (Jundemental Duties) के अध्याय में है।
└ DPSP

भारतीय संविधान के स्त्रोत Sources of the Indian Constitution

संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी.
At the time of drafting the Constitution, the Constituent Assembly studied the Constitutions of about 60 Countries and adopted their good points which were Suitable to Indian Conditions.

नि: संकोच ग्रहण किया। वैसे भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है।
भारतीय संविधान में अन्य देशों से ग्रहण किए गए कुछ प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है-
It was accepted without hesitation. However, the Government of India Act 1935 has had the greatest

influence on the Indian Constitution. Some of the major provisions adopted from other Countries in the Indian Constitution are as follows-

60 Countries ⇒ 10 देशों के संविधान से ग्रहण

Act of 1935 ⇒ इसका सबसे ज्यादा प्रभाव भारतीय संविधान पर दिखाई देता है।

ब्रिटिश संविधान से From British Constitution

⇒ संसदीय शासन पद्धति / Parliamentary System of government

विधानसभा ⇒ 28 राज्य

विधानपरिषद ⇒ 6 राज्य - U.P, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना महाराष्ट्र, कर्नाटक

⇒ द्विसदनीय व्यवस्था / Bicameral System ⇒ जहां दो सदन (House) होते हैं।

राज्य - विधानमंडल (Legislature) - (6) राज्य संसद < LS / RS

⇒ लोक सभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व (अनु० 75 (3))

Collective responsibility of the Ministers to the (Loksabha) House of the people (Article 75 (3)

⇒ राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना*

Formal Supremacy of the president as the head of the nation and real powers vested in the Council of Ministers — Head प्रधान ⇒ PM

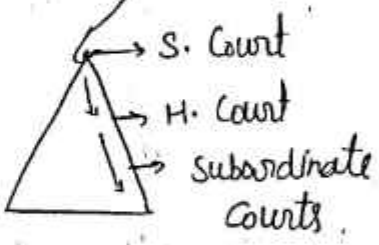
rojgar with ankit

⇒ एकल न्यायिक प्रणाली/Single judicial System

⇒ विधि - निर्माण की प्रक्रिया/Law-making process

⇒ 'विधि का शासन'/'Rule of law'

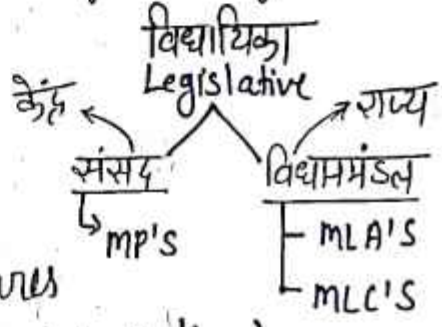
⇒ एकल नागरिकता / Single Citizenship



⇒ विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ
Privileges and immunities of members of the legislature

⇒ विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका
Role of the Speaker in the legislature

⇒ संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया
Procedures of Parliament and Legislatures



⇒ सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय
→ प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election)
└ प्रणाली (System)
अग्रता ही विजेता ← first past the post System

Decision on the Victory of election on the basic of most votes

आयरलैण्ड के संविधान (1937) से From the Constitution of Ireland (1937)

⇒ राज्य के नीति निदेशक तत्व 'Directive Principles of State policy

⇒ साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्य सभा में कुल (12) सदस्यों का मनोनयन
(RS) ⇒ 12 सदस्य मनोनीत → राष्ट्रपति

rojgar with ankit

Nomination of total (12) members in Rajya Sabha on the basis of Contribution in literature, art, Science Social Service

⇒ राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल एवं पद्धति → Electoral College and method of the President.

राष्ट्रपति → निर्वाचन की पद्धति
↳ निर्वाचन-मतदाता (Voters)

rojgar with ankit

Polity रेल रक्षक बैच

संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान (1789) से
From the Constitution of the United States of America (1789)

⇒ मूल अधिकार / Fundamental Rights

⇒ उद्देशिका का विचार
The Idea of the Preamble

⇒ राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
Procedure of impeachment of the President

⇒ स्वतंत्र न्यायपालिका* न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धान्त
Independent Judiciary Principle of Judicial Review

⇒ लोकजनहित याचिका / Public Interest Litigation

⇒ सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाये जाने की प्रक्रिया Procedure for removal of judges of Supreme Court and High Courts from office

⇒ उपराष्ट्रपति का पद / Vice President's post

⇒ वित्तीय आपात / Financial emergency

⇒ संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान

rojgar with ankit

Provision for ratification by state legislatures in Constitutional amendment

आस्ट्रेलिया के संविधान (1901) से From the Constitution of Australia (1901)

⇒ प्रस्तावना की भाषा Language of the Preamble
⇒ समवर्ती सूची
Concurrent List
⇒ केन्द्र राज्य सम्बन्ध Center - State Relations.
⇒ संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक → LS + RS
Joint Sitting of Both Houses of Parliament

कनाडा के संविधान से From the Constitution of Canada

⇒ संघीय शासन प्रणाली / Federal System of government
⇒ राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना।
The governor keeps the bill reserved for the president's Consideration.
⇒ सशक्त केन्द्र / Strong Center
⇒ अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धान्त → कानून → केन्द्र सरकार
Principle of residuary powers
संघ
राज्य
समवर्ती
राज्यों में राज्यपाल की केन्द्र द्वारा नियुक्ति
Appointment of governor in States by the Center

rojgar with ankit

उच्चतम् न्यायालय का परामर्शी न्यायनिर्णयन
Advisory adjudication by the Supreme Court
↳ Art. 143 ⇒ परामर्श ⇒ राष्ट्रपति

जापान के संविधान से From the Constitution of Japan

⇒ अनु.- 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
(According to proce-dure established by law)

द. अफ्रीका के संविधान से From the Constitution of South Africa

⇒ संविधान की संशोधन पद्धति
Method of Amendment of Constitution

⇒ राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन
Election of Members of Rajya Sabha
↳ 233 ⇒ members ⇒ निर्वाचन

R.S ⇒ Total ⇒ 245
12 → Nominate मनोनीत → 12 ⟹ आयरलैंड

सोवियत संघ (रूस) के संविधान से
From the Constitution of Soviet Union (Russia)

⇒ मूल कर्तव्य Fundamental Duties

⇒ प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श Judicial Ideal in the Preamble
↳ 3 न्याय

rojgar with ankit

फ्रांस के संविधान (1946) से From the Constitution of France [1946]

⇒ गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली
Republican System of government

⇒ स्वतन्त्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धान्त
Principles of Liberty, equality and fraternity

जर्मन के वीमर संविधान (1933) से
Constitution (1933) from Germany's Weimar

⇒ आपात उपबन्ध
↓ Emergency Provision
जर्मनी

भारत शासन अधिनियम 1935 से
From the Government of India Act. 1935

⇒ लगभग 250 अनु० (उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ)
About 250 articles (in the same form or with some changes)

rojgar with ankit

(संघ और उसका राज्य क्षेत्र (The Union and its Territory)

संविधान का भाग-1 अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में है। अनुच्छेद 1 के अनुसार- भारत राज्यों का एक संघ (a union of States) है।
India/भारत

(Part-1 of the Constitution, Articles 1 to 4 are about the Union and its territories. According to Article 1, India is a Union of States.

Part (भाग) = I
Art. 1-4

Art. 1 – Union संघ → 28 राज्य
→ 8 U.T.'S

अनुच्छेद-2- संसद को संघ में नये राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है।

Article-2 - Empowers parliament to make laws for the entry or establishment of new States in the Union

ex. ⇒ सिक्किम – 1975
⇒ गोवा – 1987

अनुच्छेद-3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नये राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है

According to Article-3, Parliament can form a new State and change the area, boundary or name of an existing State by a simple majority

rojgar with ankit

ex. छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) (केरल)
→ झारखंड (बिहार) मद्रास (चेन्नई)
→ उत्तराखण्ड (U.P) मैसूर (कर्नाटक)
→ तेलंगाना (आंध्र प्रदेश)

संसद द्वारा अनुच्छेद-2 अथवा अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत बनायी गयी विधि अनु॰ 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जायेगी (अनुच्छेद-4)
A law made by Parliament under Article 2 or Article 3 shall not be deemed to be a law amending the Constitution for the purposes of Article 368 (Article 4)

Art-2 > संसद विधि बनाती है।
Art. 3 ⇓
संविधान संशोधन ⇒ Art. 368

साधारण बहुमत
Simple Majority

ex. UP — उत्तराखण्ड

(LS) के सदस्य → 250
543 → 200
→ 300

Bill विधेयक ⇒ संसद (Parliament)- पेश
↳ LS ⇒ पेश ⇒ LS से पारित (Pass) ⇒ साधारण बहुमत
300 सदस्य
⇓
उपस्थित और मतदान
Presents Voting ⇒ 50%+1
300 x 50% +1
150+1 = 151

rojgar with ankit

RS ⇒ 245 members

↳ उपस्थित और मतदान × 50% + 1

↳ Ex. 200 × 50% + 1 ⇒ 101

President ⇒ Signature

हस्ताक्षर

rojgar with ankit

Polity

1960 बेरुबाड़ी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राय के लिए यह प्रश्न आया कि अनुच्छेद-3 के अन्तर्गत राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन की संसद की शक्ति में, क्या किसी राज्य या उसके भू-भाग को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति निहित है?

In the Berubari Case, the question came up for opinion before the Supreme Court whether the power of Parliament to alter the areas and boundaries of States under Article 3 includes the power to Cede any State or any part of its territory to a foreign State?

Art. 3 ⇒ संसद
- → राज्य का गठन
- → क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है।

→ साधारण बहुमत

Q⇒ क्या संसद भारत के किसी भाग को Art. 3 के तहत अन्य देश को दे सकती है?

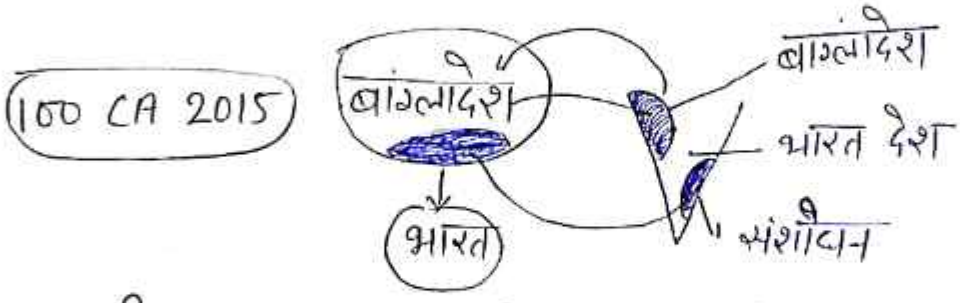
⇓

नहीं, ऐसा करने के लिए संसद को संविधान में संशोधन (Amendment) करना होगा

संसद ← बाहरी क्षेत्र — जब इसे भारत का हिस्सा बनायेगी तब भी संशोधन

न्यायालय ने कहा कि संसद साधारण विधि द्वारा ऐसा नहीं कर सकती है। इसके लिए अनुच्छेद - 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा।
The Court said that the parliament Cannot do this through Ordinary law. For this, a Constitutional amendment will have to be made under Article 368.

अतः संसद द्वारा 9 वां संविधान संशोधन (1960) पारित कर बेरूबाड़ी संघ क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपा गया तथा 100 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंप दिया गया।
So, the Berubari Union Territory was handed over to Pakistan by passing the 9th Constitutional Amendment (1960) by the parliament and some India territories were handed over to Bangladesh by the 100th Constitutional Amendment Act 2015.



भाषायी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन Reorganization of Statis On linguistic basis

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के मद्देनजर संविधान सभा अध्यक्ष डॉ.

राजेन्द्र प्रसाद ने June 1948 को न्यायमूर्ति एस. के. धर की अध्यक्षता में चार सदस्यीय 'भाषायी प्रान्त आयोग' (Linguis-tic Provinces Commission) का गठन किया। → धर आयोग

After independence, in view of the demand for reorganizati on of States on linguistic basic. Constituent Assembly Chairman Dr. Rajendra prasad Constituted a four-member 'Linguis-tic Provinces Commission' under the Chairmanship of Justice S.K. Dhar on 27 November 1947

धर आयोग ⇒ गठन ⇒ June 1948

- → डॉ० राजेन्द्र प्रसाद द्वारा गठन
- → अध्यक्ष ⇒ एस० के० धर
- सदस्य ⇒ 4
- क्या भाषायी आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं?
- → रिपोर्ट ⇒ नहीं।

आयोग ने 10 दिसम्बर, 1948 को प्रस्तुत अपने रिपोर्ट में भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक, वित्तीय एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया।

In this report presented on 10 December 1948, the Commission Suggested reorganization of States on the basis of administrative, geographical, financial and developmental Convenience Instead of language

⇒ इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1948 में JVP समिति का गठन किया गया।

जवाहर लाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभि सीता रमैया (JVP) की तीन सदस्यीय समिति गठित किया था। इस समिति ने भी 1 अप्रैल, 1949 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया।
1948

A three-member Committee of Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel and pattabhi Sita Ramaiya (JVP) was formed. This Committee also opposed the reorganization of states on linguistic basis in its rupart presented on 1 April 1949.

तेलुगु भाषियों के लिए भाषा के आधार पर अलग राज्य के गठन की माँग का समर्थन करते हुए पोट्टी श्री रामुलू ने आमरण अनशन आरम्भ कर दिया, जिनकी 58 दिनों बाद 15 दिसम्बर, 1952 को मृत्यु हो गयी।

Supporting the demand for formation of a Separate State on the basis of language for Telugu speakers, potti Sri Ramulu started a fast unto death. who died 58 days later on 15 December 1952

51 + 2 = 58

56 days ⇒ तबियत खराब
⇓
अस्पताल (Hospital) ⇒ 2 कोमा — 2 दिन बाद Death

आमरण अनशन

फलस्वरूप प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आन्ध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दिया। जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953

को किया गया। यह भाषायी आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था।

As a result, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a Separate State for Telugu Speakers, Andhra Pradesh. It was formed on 1 October 1953. It was the first State to be formed on linguistic basis. Q⇒ श्रीमुल्लु की मृत्यु कब हुई?

Q⇒ भारतीय आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य? (1 Oct. 1953)

Q⇒ ... कितने दिनों में?

तेलुगु भाषियों के लिए पृथक राज्य के गठन के पश्चात अन्य भाषा-भाषियों द्वारा अलग राज्य की माँग भी तेज हो गयी; जिस पर विचार के लिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय सदस्य थे-

After the formation of a Separate State for Telugu Speakers, the demand for a Separate state by other language speakers also intensified; for which a three member Committe headed by Justice Fazal Ali was Considered in 1953

फजल अली आयोग → गठन ⇒ 1953 (राज्य पुनर्गठन आयोग)

→ अध्यक्ष ⇒ न्यायमूर्ति फजल अली, अन्य सदस्य-2 (हृदयनाथ कुंजरू, के. एम. पनिक्कर)

→ कुल सदस्य ⇒ 3

के. एम. पनिक्कर तथा हृदय नाथ कुंजरू) 'राज्य पुनर्गठन आयोग' (The States Re-Orga-nization Commission) गठित किया गया। इस आयोग ने 30 दिसम्बर, 1955

rojgar with ankit

को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम - 1956 पारित किया गया।

K.M. Panikkar and Hriday Nath Kunzru) 'The States Reorganization Commission' was formed. This Commission Submitted its report to the Central Government on 30 December 1955. On the basis of this report, the States Reorganization Act- 1956 was passed.

rojgar with ankit

Polity

रिपोर्ट ⇒ भाषा आधारित राज्यों का गठन ✗ = स्वीकार

→ Part- 7

भाग ⇒ भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया

A, B, C, D ⇒ Part- 7 को समाप्त → स्वीकार
क, ख, ग, घ

7 वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग-7 को समाप्त

⇒ 14 राज्य (States)
6 केन्द्र शासित प्रदेश (U.T's)

भारत में 16 राज्य (States) और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन। ⇒ इनका गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन अधि० (State Re-organization Act) पारित करना चाहिए।

⇒ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
State Re-Organization Act 1956 ⇒ संसद द्वारा पारित
Passed by the Parliament

इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधि० 1956 के द्वारा 1956 में किया गया

वर्तमान ⇒ 28 राज्य
↳ 8 केन्द्र शासित प्रदेश

इस अधिनियम के अनुसार संविधान में 7 वां संशोधन किया गया और मूल संविधान के राज्यों के चार श्रेणी, यथा - क, ख, ग तथा घ को समाप्त कर 14 राज्यों और 6 केन्द्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया।

According to this Act, the 7th amendment was made in the Constitution and the four categories of State of the Original Constitution, namely A, B, C,

and . D. were abolished and 14 States and 6 Union Territories were formed.

फजल अली आयोग ने राज्यों के इस वर्गीकरण को समाप्त कर भारतीय संघ को 16 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव दिया था।

According to this Act. the 7th amendment was made in the Constitution and the four Catgaries of Status of the Original Constitution, namely A, B, C and D. were abolished and 14 States and 6 Union Territories were formed.

नये राज्यों का गठन

राज्य	गठन वर्ष	
• आंध्र प्रदेश	1 अक्टूबर, 1953 ई०	
• गुजरात → 15 →	1 मई, 1960 ई.	
• नागालैंड → 16 →	1 दिसम्बर, 1963 ई.	1956 – 14 राज्य
• हरियाणा → 17 →	1 नवम्बर, 1966 ई.	सिक्किम
• हिमाचल प्रदेश 18 →	25 जनवरी, 1971 ई.	35 CA 1974
• मेघालय[19], मणिपुर[20], त्रिपुरा[21] →	21 जनवरी, 1972 ई.	↳ Associate State सह-राज्य
• सिक्किम → 22 वां राज्य →	16 मई, 1975 ई.	36 CA 1975
• मिजोरम[23], अरुणाचल प्रदेश[24] →	20 फरवरी, 1987 ई.	↳ पूर्ण राज्य का दर्जा
• गोवा → 25 (56 CA 1987) → 25 वां राज्य	30 मई, 1987	

• छत्तीसगढ़ (Madhya Pradesh →	1 नवम्बर, 2000
• उत्तराखण्ड (Uttar Pradesh →	9 नवम्बर, 2000
झारखण्ड →	15 नवम्बर, 2000
तेलंगाना → (29)	2 जून 2014

गोवा ⇒ पुर्तगालियों का अधिकार
- 1510 ⇒ अल्बुकर्क
- 1961 तक इनका अधिकार
- स्वतंत्रता ⇒ भारतीय सेना ने "आपरेशन विजय" → दमन और दीव स्वतंत्र → 1961
- 56 CA 1987 ↓ 1961 गोवा को स्वतंत्र

भारत का 25 वां राज्य

29 वां राज्य ⇒ तेलंगाना ⟹ 2 June 2014 (आंध्र प्रदेश)

2014 - 2019 → राज्य - (29)

2019 → J&K राज्य ✗ → JK - U.T

जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत 31 अक्टूबर, 2019 को दो नये केन्द्र शासित प्रदेश प्रवर्तन में आये।

Under the Jammu and kashmir Reorganization Act. 2019. two new Union Territories Came into force on 31 October 2019.

(1) JK ⇒ JK 2019 से पहले भारत का एक राज्य (State) था।
(2) लद्दाख

केन्द्र शासित प्रदेश ⇒ 1956 ⇒ (6) → UT'S

(7) - पुदुचेरी
(8) ⇒ JK
(9) ⇒ लद्दाख

वर्तमान ⇒ 8 (UT'S) ← 9 − 1 = (8)

(1) दिल्ली
(2) अंडमान ऽ निकोबार
(3) लक्षद्वीप
(4) चंडीगढ़
(5) दादर नागर हवेली → 26 Jan. 2020 को दादर नगर हवेली ऽ दमन
(6) दमन दीव + ⇒ (1) → दीव (merge) विलय कर दिया गया
(7) पुदुचेरी
(8) JK
(9) लद्दाख ⇒ 2019 में

26 जनवरी, 2020 से "दमन एवं दीव और दादरा नागर हवेली" संयुक्त रूप से केन्द्र शासित प्रदेश बन गये।

From 26 January 2020, "Daman and Diu and Dadra Nagar Haveli" jointly became Union Territories.

इस प्रकार वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 संघ शासित क्षेत्र है।
Thus, at present there are a total of 28 States and 8 Union Territories in India.

⇒ 69 वें संविधान संशोधन अधि॰ 1991 द्वारा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली का नाम बदल कर 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' कर दिया गया।
The 69th Constitutional Amendment Act. 1991 changed the name of the Union Territory of Delhi to 'National Capital Territory of Delhi'.

(नागरिकता (Citizenship)

भारतीय संविधान का भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है।
Part-2 of the Indian Constitution. Articles 5 to 11 are about Citizenship. India has provision for Single Citizenship like Britain. America has dual Citizenship.

Dual Citizenship
Part (भाग) ⇒ II — ब्रिटेन से ली है — दोहरी नागरिकता
भारतीय नागरिकता — Art. 5-11. भारत में → Single Citizenship — एकल नागरिकता — USA
⇓
गृह मंत्रालय (Home Minister) द्वारा दी जाती है।

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 11 के अन्तर्गत संसद को नागरिकता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति दी गयी है। जिसके तहत् संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया।

Under Article 11, the parliament has been given the power to make laws regarding Citizenship. Under which the Indian Citizenship Act. 1955 has been passed by the Parliament. This Act was amended in the years 1986 1992, 2003, 2005, 2015, and 2019.

rojgar with ankit

Polity-

इस अधिनियम के अनुसार भारतीय नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है।
According to this Act. Indian Citizenship can be obtained in the following 5 ways.

→ भारतीय नागरिकता
अधि० 1955

(1) जन्म द्वारा (By Birth)
(2) वंश परंपरा (By Descent)
(3) पंजीकरण द्वारा (By Registration)
(4) देशीयकरण द्वारा (By Naturalization)
(5) भूमि अर्जन द्वारा (By Acquisition of Land)

1. जन्म से (By Birth)

कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो. भारत का नागरिक होगा।
Any person born in India on or after 26 January 1950 will be a Citizen of India

अपवाद:- विदेशी राजनयिकों के भारत में जन्मे बच्चे
→ शत्रु के अधीन किसी भू-भाग पर जन्मे बच्चे

1955 Act.
⇓
1986 ⇒ संशोधन (Amendment)
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986' पारित किया गया। जिसके अनुसार - जन्म से नागरिकता के लिए व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का

नागरिक होना अब आवश्यक है।

Citizenship Amendment Act, 1986 was passed. According to which, for Citizenship by birth, it is now necessary that at the time of birth of the person, either of his parents was a Citizen of India.

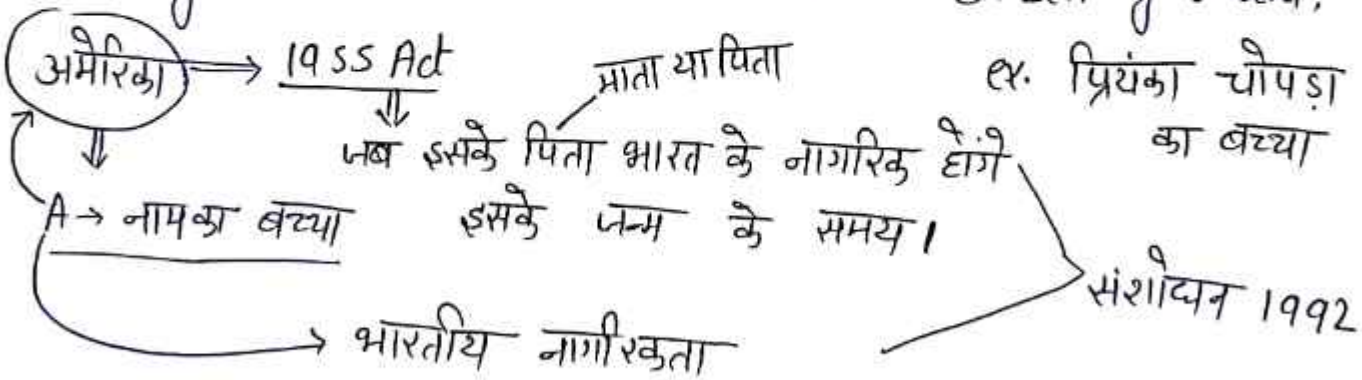
Birth of Place जन्म स्थान ⇒ भारत

(1986) = (माता / पिता में से जन्म के समय एक भारत नागरिक हो।

2. वंशपरम्परा से (By Descent)

भारत के बाहर किसी अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ई० को या उसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है:

A person born on or after 26 January 1950 in any Country outside India Can be a Citizen of India.



rojgar with ankit

यदि उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्में व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है।

if at the time of his birth either of his parents is a citizen of India. The provision of granting citizenship to a person born abroad on the basis of mother's citizenship has been made by the Citizenship Amendment Act 1992.

rojgar with ankit

3. पंजीकरण से (By Registration)

निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकता है। यथा-

Any of the following persons can acquire Indian Citizenship through registration. As-

पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से (7 वर्ष) (5-7 वर्ष) ⟶ पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति

A person residing in India for (7 years) — prior to the date of application for registration.

ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किन्तु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहा हो।

Persons who were born in India but are residing in any Country Outside India.

ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है। A foreign woman who has married or is about to marry an Indian.

⇒ भारतीय नागरिकों के अवयस्क (Minor) बच्चे।
Minor Children of Indian Citizens.

rojgar with ankit

4. देशीयकरण से (By Naturalisation)

कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क है तथा अपने देश की नागरिकता का परित्याग करके, भारत सरकार को इसकी सूचना दे दिया हो और भारतीय नागरिकता के आवेदन पूर्व कम से कम एक वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो. Any foreign national who is an adult and has renounced the Citizenship of his Country and has informed the Government of India about it and has been living in India Continuously for at least one year before applying for Indian Citizenship.

इसके साथ-साथ एक वर्ष से पूर्व भी कुल मिलाकर कम से कम 11 वर्ष तक भारत में रह चुका हो एवं संविधान में उल्लीखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो वह भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाणपत्र प्राप्तकर भारत का नागरिक बन सकता है।
Along with this, he has also lived in India for a total of at least 11 years before one year and has acquired good knowledge of any one of the language mentioned in the Constitution, then he can become a Citizen of India by obtaining a Certificate of naturalization from the Government of India.

(A)

देशीयकरण ⇒ इसने अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दी हो।

(1)

→ भारत में निवास (Residence) 11 year's

→ नागरिकता के लिए आवेदन से आवेदन से पहले 1 वर्ष भारत में रह चुका है।

→ आधिकारिक भाषायें — में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो।

Official language ⇒ (22)

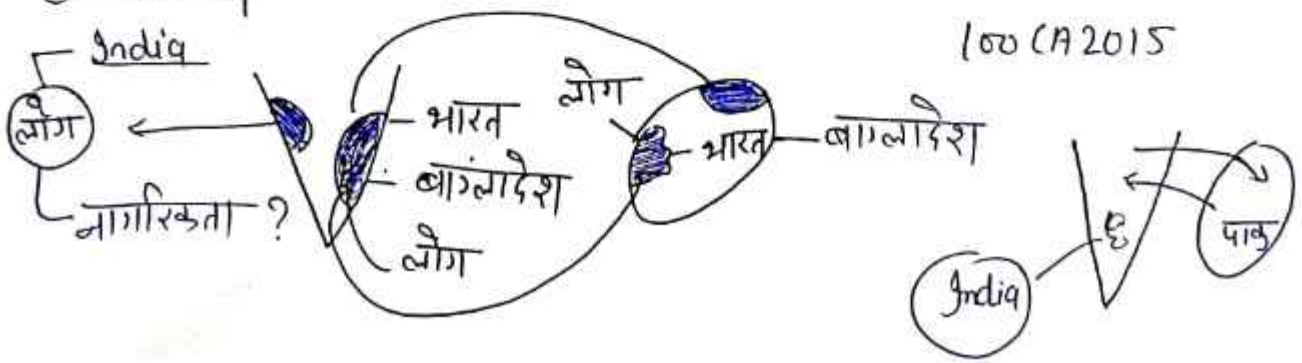
⇓

विज्ञान, कला, साहित्य

5. भूमि के अर्पन द्वारा (By Acquisition of Land)

यदि भारत सरकार द्वारा किसी नये भू-भाग को अर्पित कर भारत में उसका विलय किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है।

If any new territory is acquired by the Government of India and merged into India, then the people residing in that area automatically get Indian Citizenship



rojgar with ankit

नागरिकता का अन्त (The Abolition of Citizenship)

किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का अन्त निम्न तीन प्रकार से हो सकता है-
The Citizenship of an Indian Citizen may end in the following three ways-

(i) किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर
On acquiring the Citizenship of another Country

(ii) नागरिकता का परित्याग करने पर, या
On renouncing the Citizenship, or

(iii) सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर
On being deprived of Citizenship by the government

अमेरिका ⇓ अमेरिका की नागरिकता

सरकार द्वारा नागरिकता का अंत

भारत सरकार निम्न में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है-
The Government of India may deprive a person of Indian Citizenship on any of the following grounds-

(i) संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर,
For Showing disloyalty to the Constitution,

(ii) युद्धकाल में शत्रु की सहायता करने पर,
For aiding the enemy during war,

(iii) गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर
For acquiring Citizenship by wrong means

Polity

(iv) पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के
On acquiring Citizenship by registration or naturalization

5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर।
On being Sentenced to 2 years Imprisonment by any other Country within 5 years.

(v) किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर,
या
On an Indian woman marrying a far foreign man, or

(vi) लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर।
On Staying outside India for 7 Continous, years.

ex → सोहन ⇒ भारतीय नागरिकता
⇓ त्यक्त
⇓ पंजीकरण / देशीकरण

प्रियंका चौपड़ा
⇓ अमेरिका
⇓ निक जोंस

→ Crime अपराध ⇒ सजा ⇒ 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा
Penalty
↓ within 5 year's
5 वर्ष के भीतर
→ भारत के बाहर

CAA ⇒ 2019
→ Citizenship Amendment Act. 2019 ⇒ 10 Jan. 2020 से लागू (execute)
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019
→ Bill विधेयक ⇒ नागरिकता संशोधन विधेयक 2019

⇓

9 Dec. 2019 को लोकसभा में
↳ Pass पारित

11 Dec. 2019 को राज्य सभा में गया
↳ पारित Pass

Bill ⇒ अधिनियम

इस पर हस्ताक्षर ⇒ 12 Dec. 2019

12 Dec. 2019 ⇒ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास गया।

31 Dec. 2014 तक या उससे पहले कोई व्यक्ति जो हिन्दू है, जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी इसाई है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आया है. उसे अवैध प्रवासी (illegal Immigrants) नहीं माना जायेगा।

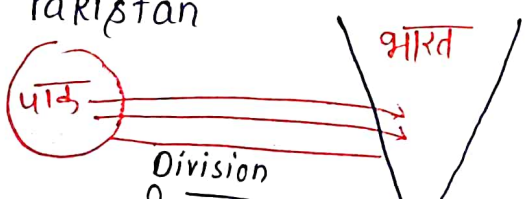
⇓

यह अधिनियम 6 अल्पसंख्यक समूहों (6 minorities groups) के लोगों के लिए देशीयकरण की अवधि (Duration) को 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।

अनु० 5, संविधान के प्रारम्भ पर नागरिकता (Citizenship at the Commence-ment of the Constitution) के बारे में है।

अनु० 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार

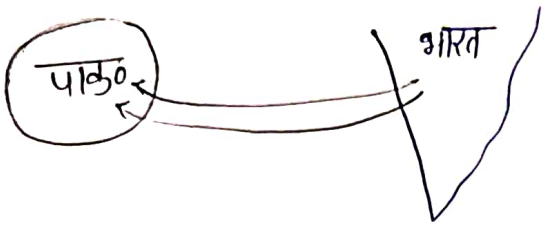
Article-6, Rights of Citizenship of persons Coming to India from Pakistan



rojgar with ankit

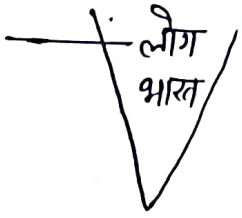
अनु० 7, पाकिस्तान को प्रवजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of Citizenship of Certain mi-grants to pakistan) के बारे में है।

Article 7 is about the Right of Citizenship of Certain mi-grants to pakistan



अनुच्छेद-8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार (Right of Citizenship of Certain persons of Certain persons of India Origin residing Outside India) के सम्बन्ध में है;

Article 8 deals with the right of Citizenship of Certain persons of India Origin residing Outside India



अनुच्छेद-9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है।

According to Article 9, when a person voluntarily becomes a Citizen of a foreign State, his Indian

rojgar with ankit

Citizenship automatically ends.

अनुच्छेद - 10 के अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन सिर्फ संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकेगी किसी अन्य प्रकार से नहीं।

According to Article 10, the Citizenship of a person Can be taken only by a parliamentary law and under the provisions of the law and in no other way.

Dual Citizenship ⇒ (USA) ⇒ जब किसी देश में पूरे देश और राज्य
दोहरी नागरिकता की नागरिकता अलग-2 हो।

मौलिक अधिकार
Fundamental Rights ⇒ भारतीय संविधान द्वारा दिये गये है।
⇓
Part (भाग) → III
Art. 12 - 35
अमेरिका (USA) से लिया है।

Indian Citizens
भारतीय नागरिकों
गैर-नागरिकों/विदेशियों
Foreigner's

वे अधिकार (Art. 15, 16, 19, 29, 30) विदेशियों को नहीं है।

वे अधिकार जो केवल भारतीय के लिए (Only for Indian's)
Art. 15, 16, 19, 29, 30

rojgar with ankit

RPF POLITY

मैग्नाकार्टा → मौलिक अधिकार
Fundamental Rights

सबसे पहले ये अधिकार ब्रिटेन के नागरिकों को दिये।

⇒ अमेरिका विश्व का पहला संविधान बना जिसने अपने संविधान में मौलिक अधिकारों (Bill of Rights) को रखा।

⇒ मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या ⇒ 7
No. of fundmental Rights in original Constitution

→ वर्तमान (In Present) ⇒ 6

अनुच्छेद - 12 → राज्य (State)

→ शब्द को परिभाषित किया गया है।
The term is defined.

राज्य का अर्थ उन सभी संस्थाओं, निकायों या व्यक्तियों से जिन्हें कानून बनाने या लागू, आदेश (Order) जारी करने या अध्यादेश (Ordinance) जारी करने का अधिकार होता है।

अनुच्छेद - 12 के अनुसार 'राज्य' शब्द में निम्नलिखित शामिल हैं- Acording to Article 12 the term 'State' includes the following-

(i) भारत की सरकार एवं संसद Government of India and parliament
(ii) राज्यों की सरकारें एवं विधानमण्डल State governments and legislatures
(iii) सभी स्थानीय प्राधिकारी, एवं All local authorities, and ex. पंचायत, नगरपालिका
(v) अन्य प्राधिकारी। Other Authorities
Oil and Natural Gas Corporation — ONGC, OBSE Board, U.P. board, C.C.S University

अनुच्छेद-13

इसके तहत न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है Under this, the Court can declare any law void which is inconsistent with the fundamental rights. This power of the Court is called the power of judicial review.

"न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अन्तर्गत वह विधानमण्डल द्वारा पारित या संसद अधिनियमों की संवैधानिकता की जाँच करते हैं।"
The power of Judicial review is the power of the Courts to examine the Constitutionality of acts passed by the legislature.

Article 13. ⇒ मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच (Safe Guard)

कोई भी कानून जो संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद का हो, अगर वह कानून मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है तो ऐसे कानून की न्यायपालिका (judiciary) (Supreme / High Court उच्चतम या उच्च न्यायालय) जांच करती है और उसे शून्य घोषित करती है उसकी यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन (judicial Review) कहलाती है।

→ संसद / विधानमंडल
Parliament / Legislature

→ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। (Taken from USA)

भारत का मूल संविधान कुल 7 मौलिक अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करता था; किन्तु 44 वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा सम्पति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। The Original Constitution of India provided a total of 7 fundamental rights to its Citizens; but the fundamental right to property was abolished by the 44th Constitutional Amendment Act in 1978.

Art. 31
Art. 19 (1) (f) (च)
7 - 1 ⇒ (6)

संपत्ति का अधिकार ⇒ Right of Property

इसे 44 वें संविधान 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया।

↳ वर्तमान में यह एक वैधानिक अधिकार (Legal Right) है जिसे Art. 300 (A) में रखा गया है।

rojgar with ankit

मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ⇒ S. Court | High Court
Voilation of F.R. ⇓ ⇓
Art. 32 Art. 226

वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। जो अधोलिखित हैं। यथा-
At present, Indian Citizens have a total of 6 fundamental rights. These are as follows As-

[1.] समानता का अधिकार Right to equality (अनुच्छेद 14-18)
[2.] स्वतन्त्रता का अधिकार Right to freedom (अनुच्छेद 19-22)
[3.] शोषण के विरुद्ध का अधिकार Right against exploitation (अनु. 23-24)
[4] धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार Right to religious freedom (अनु. 25-28)
[5.] संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी Cultural and educational rights (अनु. 29-30)
[6] संवैधानिक उपचारों का अधिकार Right to Constitutional Remedies (अनु. 32)

विधि के समक्ष समता (Equality before Law)

अनुच्छेद-14 के अनुसार "राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।"

rojgar with ankit

According to Article 14. "The State shall not deny to any person equality before the law and the equal protection of the laws within the territory of India."

USA — ब्रिटेन

(A) . (B) . (C)

अपवाद ⇒ राष्ट्रपति
exception ⇒ राज्यपाल
⇒ MP's MLA's

अनुच्छेद -15 (1) – केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है।

Prohibits the State from discriminating between Citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

→ केवल भारतीय नागरिकों के लिए
Only for Indian Citizen's (5) Ground's

Art. 15 (2) ⇒ सार्वजनिक स्थानों पर जाने से नहीं रोक सकते Public Place

rojgar with ankit

अनुच्छेद 15 (2) – के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबन्ध के अधीन नहीं होगा। यथा-

Article 15 (2) - No Citizen shall. on grounds only of religion, race, caste, sex. place of birth or any of them, be subject to any Condition or restriction in regard to entry into or use of the following:

(i) दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों, तथा Shops, public restaurants hotels, places of Public entertainment, and

(ii) राज्य निधि से पोषित या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित - कुओं, तालाबों, स्नानाघाट, सड़क या सार्वजनिक समागम के स्थलों आदि। Maintained from state funds or dedicated for public use- wells, ponds, bathing ghats, roads or public gathering places etc.

POLITY

अनुच्छेद 15(3)- राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

Article 15(3) - Empowers the State to make Certain Special Provisions for women and Children based on their Special Situation.

⇓

Affirmative Discrimination

सकारात्मक भेदभाव

Article 15(4) ⇒ Reservation (आरक्षण)

↳ Educational Institutes

शैक्षणिक संस्थान

⇓

सरकारी (Government)

OBC

⇓

other Backward Classes

→ SEBC
→ SC
→ ST

Art. 15(5)

⇓

Reservation

⇓ (आरक्षण)

Private & Higher educational Institute (निजी एवं उच्च शैक्षणिक संस्थानों में

⇓

→ SEBC
→ SC
→ ST

अनुच्छेद - 15 (4) इसके द्वारा राज्य को निम्न के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने की शक्ति प्रदान की गयी है - Article 15 (4) empowers the State to make Special provisions for the following -

1. सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, For Socially and educationally backward Citizens (SEBC)
2. अनुसूचित जाति के लिए, तथा for Scheduled Castes, and (SC)
3. अनुसूचित जनजाति के लिए। for Scheduled Tribes. (ST)

ध्यातव्य है कि शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15 (4) के तहत ही किया गया है। It is noteworthy that reservation in educational Institutions is provided under Article 15 (4)

अनुच्छेद 15 (5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। Article 15 (5) provides for reservation of seats for admission of Students in private educational institutions
- SEBC
- SC, ST

अनुच्छेद 15(6) 103 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जोड़ा गया है"। Article 15(6) Inserted by the 103rd Constitutional Amendment Act. 2019".

Art. 16(6) ↓

Reservation (आरक्षण) ⇒ आर्थिक रूप से कमजोर की (Economic weaker Section)

⇓

EWS ⇒ 10%.

अवसर की समानता [Equality of Opportunity]

अनुच्छेद -16, लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। Article 16 guarantees equality of opportunity in public employment. (सरकारी नौकरी में अवसर की समानता)

राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के सम्बन्ध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। [अनुच्छेद-16 (1)] All Citizens Shall have equal opportunity in suspect of employment or appointment to any office under the State. Article -16 (1)]

इस विषय में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेद-भाव नहीं किया जायेगा। [अनुच्छेद-16 (2)]।

There shall be no discrimination among Citizens on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, origin and residence. [Article 16(2)]

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास > भारत नागरिक

(अस्पृश्यता का अन्त)

[Abolition of Untouchability]

अनुच्छेद - 17. / Article -17 ⇒ छुआछूत

अनुच्छेद - 35 संसद को अस्पृश्यता के सम्बन्ध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। Article 35 gives Power to the Parliament to make laws regarding untouchability.

- SC/ST Act. (अधिनियम)

उपाधियों का अन्त (Abolition of Titles)

अनुच्छेद - 18

अनुच्छेद - 18 (1) के अनुसार राज्य, सेना (military) तथा विद्या (Academic) सम्बन्धी सम्मान के / शिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा Dr.

Article - 18

Article - 18(1) provides that the State shall not Confer any title or title except military and academic

honours.

उपाधियाँ (Titles) ⇒ लार्ड, राजा, महात्मा, सरदार, राय etc.

↳ exception अपवाद ⇒ विद्या, सैना

Sports (खेल)

↳ Awards पुरस्कार

⇓

नाम के आगे प्रयोग नहीं।

Art. 15 (2) ⇒ सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव ✗

Art. 15 (3) → महिलाओं और बच्चे के लिए विशेष उपबंध

Art. 15 (4) ⇒ Reservation
↳ Govt. School
→ SEBC, SC, ST

Art. 12 ⇒ राज्य की परिभाषा

Art. 13 ⇒ न्यायिक पुनर्विलोकन

Art. 14 ⇒ विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण

Art. 15 ⇒ भेदभाव का प्रतिषेध

Art. 15 (1) ⇒ 5 ⇒ धर्म, मूलवंश, जाति; जन्मस्थान, भेदभाव ✗

⇒ Art. 15 (5) ⇒ Reservation ⇒ निजी संस्थान
SEBC, SC, ST

⇒ Art. 15 (6) / Art. 16 (6) } Add on ⇒ 103 CA 2019 ⇒ Reservation ⇒ 10% ⇒ EWS

⇒ Art. 16 ⇒ समान अवसर

Art. 16 (1) ⇒ रोजगार एवं नियुक्ति

Art. 16 (2) → धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास

Art. 17 ⇒ अस्पृश्यता का अंत

Art. 18 ⇒ उपाधियों का अंत → अपवाद ⇒ विद्या, सैना

rojgar with ankit

POLITY

Art. 19 ⇒ मूल संविधान (Original Constitution) ⇒ 7 प्रकार ⇒ स्वतंत्रता freedom
↳ In Present (वर्तमान में) ⇒ 6

Art. (19) 1 (f)
Art. 19 (1)(च) > संपत्ति का अधिकार Right to property ⇒ 44 CA 1978 द्वारा ⇒ Remove हटाया

अनुच्छेद - 19 (1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। यथा-

The Six fundamental freedoms provided under Article 19 (1) are of paramount Importance. As-

(क) वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता Art. 19 (1) (a), Art. 19 (1)(क) Freedom of Speech and Expression

Art. 19 (1) (a) → प्रेस की स्वतंत्रता freedom of press → सूचना का अधिकार Right to Information
→ चुप रहने का अधिकार To keep Silent → वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता Right to Commercial Speech
→ झंडा फहराने का अधिकार (हत पर)

rojgar with ankit

(ख) शान्तिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता Freedom of Peaceful and unarmed assembly ↳ Art. 19(1)(b), Art. 19(1)(ख)

(ग) संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता Freedom to form associations or unions ↳ सहकारी समिति ↳ Art. 19(1)(c), Art. 19(1)(ग)

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता Freedom of movement within the territory of India ↳ भ्रमण की स्वतंत्रता ↳ Art. 19(1)(d), Art. 19(1)(घ)

(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता Right to move ↳ Art. 19(1)(e)
Freedom to reside and settle in any part of the territory of India.

(च) कोई वृत्ति, अजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। Freedom to practice any profession, occupation trade or business ↳ Art. 19(1)(g) ↳ व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता

दोषसिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (Protection in respect of Conviction)

अनुच्छेद - 20 / Article - 20

rojgar with ankit

1. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण [अनु० 20 (1)]
(Protection from Ex- post Facto Law) ⇒

Ex. A = अपराध (Crime) ⇒ Murder (रोहन) — 20 वर्ष — हत्या — 2014 — 40 वर्ष — 20 वर्ष

2. दोहरे दण्ड से संरक्षण [अनु० 20(2)]
(Protection from Double Jeopardy)

3. आत्म अभिशंसन से संरक्षण
[अनु० 20 (3)]
(Protection from Self- in- Crimination)

20 वर्ष — 2011 — Murder — सजा ⇒ 40 वर्ष — (2014) — 2020 — Judgement / निर्णय

1 व्यक्ति – 1 अपराध
⇓
1 बार सजा

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता

(Protection of Life and personal Liberty) ⇒ Right to life (जीवन जीने की स्वतंत्रता)

अनुच्छेद – 21 / Article - 21

शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। Right to education was declared a fundamental right under Article 21.

Art. 21 (A)

⇒ 86 वें संविधान संशोधन अधिनियम - 2002 द्वारा अनुच्छेद 21- क के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान कर दिया। The 86 th Constitutional Amendment Act 2002 gave the right to education the status of a fundamental right under Article 21A.

rojgar with ankit

Ex. ⇒ निजता का अधिकार [Right to privacy

⇒ निः शुल्क चिकित्सा सहायता [free Medical Help]

⇒ निः शुल्क खाद्य सामग्री [free food item/s]

⇒ शुद्ध पानी [Pure water]

⇒ विदेश जाने का अधिकार [Right to go abroad) - मेनका गांधी Vs भारत संघ
└ 1978

⇒ प्रेम विवाह / जीवन साथी चुनने का अधिकार

⇒ शिक्षा का अधिकार [Right to education]

Art 21(A)

⇒ अनुच्छेद 21-क के अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध करेगा। According to Article 21-A, the State shall Provide free and Compulsory education for all children of the age of 6 to 14 years. शिक्षा का अधिकार
└ लागू - 1 April. 2010

गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

[Protection against arrest and detention]

अनुच्छेद - 22. / Article - 22

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के अधिकार Rights of persons arrested

1. गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। Right to know the reasons for arrest.
2. अपनी रुचि के विधि व्यवसायी (अधिवक्ता) से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। Right to Consult and defend a legal practioner (advocate) of one's choice.

rojgar with ankit

3. गिरफ्तारी से 24 घण्टे के अन्दर (यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर) निकटतम् मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार। Right to be produced before the nearest magistrate within 24 hours of arrest (excluding the time required for travel).

4. मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध न किये जाने का अधिकार Right not be detained in custody for more than 24 hours without the authority of the magistrate.

POLITY

बलात् श्रम का प्रतिषेध (Prohibition of Forced Labour)

अनुच्छेद 23 (1) / Article 23 (1)

(i) दासप्रथा / Slavery

(ii) बेगार अथवा बलात्श्रम / Forced labour

(iii) मनुष्यों का वस्तुओं की भाँति क्रय-विक्रय। / Buying and Selling of human beings like Commodities.

(iv) स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार / Immoral trafficking of women and Children

(v) बंधुआ मजदूरी आदि। Bonded labour etc.

बालकों के नियोजन का प्रतिषेध — Art. 24

[Prohibition of Employment of Children)

↳ रोजगार ✗

इसके अन्तर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण कार्य में नियोजन का निषेध किया गया है।

Under this, employment of Children below 14 years of age in factories, mines or any other hazardous work is prohibited.

↳ खतरा ⇒ (14) घरों ✗ होटलों ✗

अन्तः करण आदि की स्वतंत्रता
[Freedom of Conscience etc]

अनुच्छेद 25 / Article - 25

- धर्म (Religion) ⇒ स्वीकार
- प्रचार - प्रसार
- आचरण (पूजा - पाठ)

⇒ किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं।

⇒ सिक्खों → 'कृपाण' धारण करने का अधिकार Art. 25 देता है।

धार्मिक कार्यों के प्रबन्धन की स्वतंत्रता
[Freedom to manage religious affairs]

अनुच्छेद - 26 / Article - 26

⇒ यह स्वतंत्रता व्यक्तियों को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों (Religious Denomination) को दी गयी है।

Freedom has been given not to individuals but to religious sects.

धार्मिक संप्रदाय है? ⇒ लोगों का समूह - Group of people
→ एक धर्म (Religion)
What is religious sects? → नाम (Name)
→ उद्देश्य (objectives)

ex.
- रामकृष्ण मिशन
- RSS

rojgar with ankit

धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति
[Freedom to taxes for religious promotion]

अनुच्छेद - 27 / Article - 27

↳ Religious Tax
धार्मिक कर ✗

⇒ लेकिन fees ले सकते हैं
⇓
शुल्क
↳ Services
सेवाएं

ex. ⇒ जबिया कर (Tax) ✗

Tax ⇒ Compulsory / अनिवार्य

शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता
[Freedom in Educational Institutions]

अनुच्छेद - 28 राज्य निधि से पूर्णत: पोषित के शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिये जाने का निषेध करता है।

Clause (1) of Article 28 prohibits the imparting of religious education in educational institutions wholly maintained out of State funds.

शिक्षण संस्थाएं ⇒ (सरकारी / Government) ⟹ सरकारी पैसे से बने हैं,
Educational Institutions → धार्मिक शिक्षा ✗
Religious education ✗

सरस्वती पूजा

rojgar with ankit

अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
[Protection of Interests of minorities]

अनुच्छेद - 29 (1) / Article - 29 (1)

भारत के प्रत्येक नागरिक को, जिसकी अपनी विशेष भाषा (Language) लिपि (Script) या संस्कृति (Culture) है, उसे बनाये रखने का अधिकार होगा। Every Citizen of India who has his own distinct language, Script or Culture shall have the right to preserve it.

Art. 29 ⇒ भाषा, लिपि संस्कृति

Art. 29, Art. 30 > अल्पसंख्यकों Minorities [जिनकी जनसंख्या बाकी की अपेक्षा कम होती है।

(1) भाषायी
(2) धार्मिक

शिक्षण संस्थाओं की स्थापना
[Establishment of Educational Institution]

अनुच्छेद 30 (1) के अन्तर्गत शिक्षण संस्थायें स्थापित करने तथा उन्हें संचालित करने का अधिकार दिया गया है।
Article 30 (1) gives the right to establish and administer educational institutions.

ex. ⇒ मदरसे

rojgar with ankit

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

[Right to Constitutional Remedies]

अनुच्छेद - 32

डा. भीम राव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul) कहा है।

Article 32 ⇒ मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

Dr. Bhim Rao Ambedkar Called it the heart and soul of the Indian Constitution.

- रिट जारी → Supreme Court. उच्चतम या न्यायालय ⇒ Art. 32
- रिट जारी → High Court उच्च न्यायालय ⇒ Art. 226

पांच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा

1.) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus),
2.) परमादेश [Mandamus),
3.) प्रतिषेध [Prohibition].
4.) उत्प्रेषण [Certiorari] तथा
5.) अधिकार पृच्छा [Quo warranto)

→ जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और उसे 24 घंटे के अंदर (within 24 Hours) मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता, तो यह रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होती है जिसने उसे गिरफ्तार (Arrest) किया है।

मोहन — पुलिस
गिरफ्तार — मोहन → अपराधी

rojgar with ankit

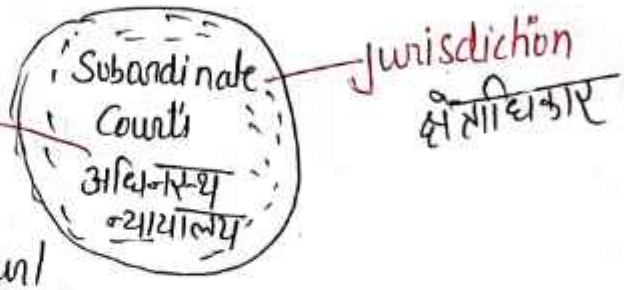
POLITY

पाँच प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। यथा

(1) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)
(2) परमादेश (Mandamus). → आदेश (Ordo) → देना।
(3) प्रतिषेध (Prohibition)
(4) उत्प्रेषण (Certiorari) तथा
(5) अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)

आदेश → सार्वजनिक अधिकारी, सरकार, निगम etc.
→ जब कोई इनमें से अपने कर्तव्यों (Duties) को करने से मना करता है, तब यह रिट Supreme / High Court द्वारा जारी की जाती है।

मना करना।
→ यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों (Senior Courts) Supreme / High Court द्वारा अधिनस्थ न्यायालयों (Subordinate Courts) के विरुद्ध जारी की जाती है



ex. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा ⇒ S. Court / H. Court

उत्प्रेषण (Certiorari) ⇒ यह रिट Supreme / H. Court अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध (against) जारी की जाती है।

मंगवा लेना
→ जब कोई ऐसा मामला (matter) जिस पर सुनवाई (Hearing) का अधिकार Supreme / High Court को होता है

लेकिन वह मामला गलती से अधीनस्थ न्यायालय के पास चला जाता है तब यह रिट उस मामले को अपने पास मंगवाने के लिए जारी करते हैं।

Quo - warranto

अधिकार पृच्छा :- आपका क्या प्राधिकार है?
what is your Authority

⇓

यह रिट उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद (Public office) के पद को अवैधानिक (illegal) तरीके से धारण करता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व
[Directive Principles of State policy]

⇓ DPSP

⇓ आयरलैण्ड

Part (भाग) - IV

Art. (अनु०) ⇒ 36 - 51

⇒ भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।

The aim of the Indian Constitution makers was to establish a welfare state in India.

कल्याणकारी राज्य ⇒ अर्थ ⇒ अधिक से अधिक लोगों का विकास।
Welfare State

⇓ DPSP

Art. 36 ⇒ राज्य की परिभाषा (Defination of State)

⇓ (Art. 12 के समान)

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 37 में कहा गया है कि "इस भाग में दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू (En-Forced) नहीं कराया जा सकता है,
विधि निर्माण में इन तत्वों का (DPSP) प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा।

Article-37 States that "The provisions of this part Cannot be enforced by any Court; it shall be the duty of the State to use these elements in law-making."

J.R ⇒ उल्लंघन / Voilation ⇒ Art. 32 ⇒ S.Court, Art. 226 ⇒ H.Court
↳ के न्यायालय द्वारा लागू (execute by the Court)

J.R ⇒ राज्य के विरुद्ध
↳ Art. 12, Art. 36

DPSP ⇒ राज्य के लिए निर्देश (Direction for State)
या सरकारें

⇒ सरकार - नीति (Policy) निर्माण - ex. ⇒ उज्ज्वला योजना
⇒ वृद्धा पेंशन योजना
⇒ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

रोजगार का अधिकार → मनरेगा

अनुच्छेद 38 (1) - राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिनमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके.

Article 38 (1) - Directs the State to promote public welfare and Strive to establish a Social order in which Social, economic and political justice is assured to every Individual

Art. 38 ⇒ लोक कल्याण (Public welfare) ⇒ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक → न्याय Justice

राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करेगा, अनु. 39 (घ)
The State Shall provide equal pay for equal work to every Citizen, whether male or female, Article 39 (d)

Lm. Imp

⇒ सरकारी नौकरी ⇒ वेतन (Salary)
⇒ मजदूरी (Wage) ⇒ समान ⇒ male (A), female (B) → Govt. Teacher ⇓ Salary = समान

अनुच्छेद 40 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठायेगा
Article 40 provides that the State Shall take Steps to Constitute Gram panchayats.

Art. 40 ⇒ पंचायतों का गठन

→ 73 CA 1992 ⇒ पंचायतों को संवैधानिक
↳ त्रिस्तरीय (Three tier Panchayat's)
ग्राम स्तर
प्रखण्ड (Block)
जिला स्तर

rojgar with ankit

अनुच्छेद - 41 - सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके एवं बेकारी, बुढ़ापा बीमारी और असमर्थता आदि दशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकें।
वृद्धा पेंशन योजना — सरकारी अस्पताल

Article 41 - All citizens have the right to employment and education according to their abilities and to receive public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disability.

नागरिक (citizen) ⇒ योग्यता (Qualification) ⇒ नौकरी (job)
↳ शिक्षा (education)

अनुच्छेद - 42 - राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल और मानवोचित अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करेगा।

Article 42 - The State shall endeavour to ensure that people are required to work in suitable and humane conditions and shall make provision for maternity relief to women.

व्यक्ति - अस्थमा
Dust / धुआं महिला

अनुच्छेद - 43 - राज्य व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दे।

Article 43 - The State should encourage Cottage Industries on Individual or Co-operative basis.

गांव ⇒ कुटीर उद्योग < Individual (व्यक्तिगत)
सहकारिता (Co-operative)

अनुच्छेद 43 ख - राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन

अनु॰ 43 ख - सन्तानवेवां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा जोड़ा गया है

Article 43 B - Voluntary formation of State Cooperative Societies

Article 43 B - Added by the 97th Constitutional Amendment Act. 2011

43 B → सहकारी समितियों का गठन

Add on जोड़ा गया ⇒ 97 CA 2011

Ex. डेयरी उद्योग

जब कई लोग मिलकर एक साथ आर्थिक आधार पर जुड़ते हैं।

अनु. 44 - समान नागरिक संहिता

Article 44 - Uniform Civil Code

UCC ⇒ गोवा

⇒ उत्तराखण्ड

अपराधिक मामलें / Criminal Cases / Matters → A (Hindu) → Murder हत्या

B (Muslim) → हत्या → अपराध ⇒ समान

↳ सजा ⇒ समान

सिविल मामले Civil Matters ⇒ तलाक, प्रोपर्टी, विवाह etc. → Hindu law, Muslim law → अलग-2

Art. 45 ⇒ 0-6 वर्ष के बच्चे (Children) DPSP

↳ देखभाल (care) और शिक्षा (education) देना राज्य का कर्तव्य होगा।

2002 से पहले 6-14 वर्ष के बच्चे

↓ ↳ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

86 CA - 2002 ⇒ Art. 21 (A) ⇒

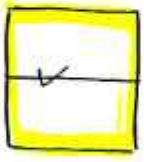
अनुच्छेद - 46 - राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के, शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की, विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।

Article 46 - The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker Sections of the people, in particular of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them against Social injustice and all forms of exploitation.

Art. 46 → Weaker Section's कमजोर वर्ग
- SC / अनुसूचित जाति ⇒ शिक्षा
- ST / अनुसूचित जनजाति ⇒ रोजगार
- सामाजिक अन्याय और शोषण सुरक्षा

अनुच्छेद - 47 - स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबन्ध लगायेगा।

Article 47 - Will prohibit the Consumption of intoxicating drugs and other substances harmful to health



बिहार, गुजरात > शराब ⇓ पूर्ण प्रतिबंध

अनुच्छेद - 48 - राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा तथा विशेष रूप से दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के

संरक्षण और सुधार के लिए तथा अनका वध रोकने के लिए कदम उठायेगा

Article 48 - The State shall Stoive to make agriculture and animal husbandry modern and Scientific and, in particular, shall take steps to preserve and improve the breeds of milch and draught cattle and to prevent their Slaughter

Art - 48 ⇒ कृषि (Agriculture) — आधुनिक और वैज्ञानिक Modern and Scientific

पशुपालन (Animal Husbandry)

↳ दुधारू पशु ⇒ हत्या ⇒ प्रतिबंध | ex. ⇒ गाय ⇒ Cow

अनु. 49 - के तहत राज्य प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को, जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया

Article 49 - under the Act, the State shall protect every monument place of artistic or historical interest declared by Parliament to be of national importance.

Art.49 ⇒ Historical and artistic | ऐतिहासिक रुप ⇒ राज्य ⇒ सुरक्षा कलात्मक स्थान

↳ ex. ⇒ शीश महल, ताजमहल, लाल किला etc.

अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक

Separate the Judiciary from the executive under Article 50

executive → राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद → महान्यायवादी

अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति सम्बन्धी निदेशक तत्व के बारे में है

Article 51 is about international peace and Security and the directive principle of India's foreign policy

→ 

▶ कौन-कौन से नीति निदेशक तत्व 42 वें संविधान संशोधन द्वारा भाग चार में जोड़े गये हैं? Which Directive Principles of State policy have been added to part IV by the 42nd Constitutional Amendment?

⇒ अनुच्छेद - 39 क (समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता), अनुच्छेद 43 - क (उद्योग के प्रबन्धन में कर्मकारों का भाग लेना), अनुच्छेद 48 - क (पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा)

Article 39 (A) (Equal justice and free legal aid)

Article 43 - A (Participation of workers in the management of industry)

Article 48 - A (Protection of environment, forests and wild life)

Polity

मूल कर्तव्य [Fundamental Duties]

- मूल संविधान में नहीं थी।
- इन्हें 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया।
  Added by 42 CA 1976
- Part (भाग) - IV (A), रूस के संविधान से लिया है।
- Art 51 (A)

स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश (Recommendation) पर जोड़े गये।

⇒ प्रधानमंत्री (PM) ⇒ श्री मती इंदिरा गांधी

- गठन - 26 Feb. 1976
- अध्यक्ष - स्वर्ण सिंह
- सदस्य - 12 सदस्य

स्वर्ण सिंह समिति की (Recommendation) सिफारिश :-

(1) मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। → Accept (स्वीकार)

[2] 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए ⇒ 10 कर्तव्यों को जोड़ा (1976) में ↓ 42 CA 1976

[3] कर (Tax) अदायगी → मौलिक कर्तव्य बनाना चाहिए।
↓ अस्वीकार [Reject]

⇒ वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या (No. of fundamental Duties in present) ⇒ (11)

11 वां कर्तव्य → Add on / जोड़ा गया ⇒ 86 वां संविधान संशोधन 2002

6-14 वर्ष के बच्चे (Children) 86 Constitution Amendment 2002

⇓

इनकी शिक्षा [education] का उत्तरदायित्व [Responsibility]

इनके माता-पिता [Parent's] का होगा।

संघीय कार्यपालिका

[The Union Executive]

संविधान का भाग-5, संघ (The Union) से सम्बन्धित है।

Part 5 of the Constitution deals with The Union.

⇒ Art. 52-78 ⇒ कार्यपालिका ⇒ कानूनों को लागू करना Execute of the laws

- राष्ट्रपति [President]
- उपराष्ट्रपति [Vice-President]
- मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री [Council of Ministers & PM]

महान्यायवादी Attorney General

⇒ अनुच्छेद 52-78 संघीय कार्यपालिका के बारे में विवेचन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् तथा भारत के महान्यायवादी सम्बन्धी प्रावधान दिये गये है।

Article 52-78 discuss about the federal executive. Under this, provisions related to the President, Vice President, Prime Minister, Council of Ministers and Attorney General of India have been given.

कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र के तीन आधार स्तम्भ हैं Executive, Legislative and Judiciary are the three pillars of Indian democracy

भारत का राष्ट्रपति [The President of India]

⇒ भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति (अनु॰52) है राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक [First Citizen] होता है। In India, the head of the federal executive is the president (Article-52). The President is the first Citizen of the Country.

Art. 52 - भारत के एक राष्ट्रपति होंगे ⇒ The Shall be a President of India

वास्तविक प्रधान ⇐ संघीय कार्यपालिका ⇒ संवैधानिक और नाममात्र के प्रधान
Real Head → PM/Com — Union executive — Constitution's Nominal Head

Art. 53 → संघीय कार्यपालिका [Union executive] ⇒ शक्तियाँ (Powers) → राष्ट्रपति में निहित Vested in president

प्रयोग - Use

स्वयं By him / या / अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से [By the Subordinate officers]

COM ⇒ Head प्रधान ⇒ PM

राष्ट्रपति का निर्वाचक गण्डल
[Electoral College of the President]

अनुच्छेद 54 → LS or RS

(i) संसद के दोनों सदनों (लोक सभा तथा राज्य सभा) के निर्वाचित सदस्य* तथा (i) Elected members of both the Houses of parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha)* and

⇒ Elected MP's
निर्वाचित सांसद

(ii) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। There will be elected members of the Legislative Assemblies of the States.

elected MLA's
निर्वाचित : विधायक

दिल्ली, पुदुचेरी, J K ⇒ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

Elected MLA's

→ 70 CA 1992 ⇒ राष्ट्रपति के मतदान के अधिकार।

मनोनीत सदस्य → मतदान ✗
(Nominated members)
⇒ विधानपरिषद के सदस्य [MLC's] ✗

POLITY

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
[Manner of Election of the President]

राष्ट्रपति का चुनाव 'अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली' द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गयी है।

The president is elected by 'indirect election System'. The method of of election of the president is given in Article 55.

Art. 55 → राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

(1) अप्रत्यक्ष निर्वाचन, [2] गुप्त मतदान [Secret Voting]

⇒ पद्धति [Method]

आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा।

Proportional Representative System
Single transferrable vote System.

राष्ट्रपति की पदावधि
[Term of office of the President]

⇒ अनुच्छेद - 56 के अनुसार राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण

करता है। According to Article 56, the president holds office for a term of five years from the date on which he assumes office.

Art. 56 → कार्यकाल (Tenure)
↳ 5 वर्ष / years (~~पद ग्रहण के दिन से~~)

कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। He can submit his resignation to the Vice president at any time

त्यागपत्र → उपराष्ट्रपति

Que:- क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात भी अपने पद पर रह सकते है ? ↳ हाँ

Ans:- ⇒ तब तक अपना पद धारण किये रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी (नया राष्ट्रपति) अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

He continues to hold office unhill his successor (the new President) assumes office.

⇒ राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है तब उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है।

When the president gives his resignation to the Vice president, the Vice president immediately informs the Speaker of the Lok Sabha about it.

Q⇒ राष्ट्रपति जब अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसे देते है?

⇓

लोकसभा अध्यक्ष को।

⇒ अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन [Re-election] के लिए योग्य है

Article 57 states that a person is eligible for re-election to the office of president

⇒ भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है।

⇒ राष्ट्रपति का पद भारत में सर्वोच्च पद है।

⇒ अब तक केवल डॉ० राजेन्द्र प्रसाद जी ऐसे राष्ट्रपति हैं। जिन्होंने इस पद को 2 बार ग्रहण किया है

राष्ट्रपति की योग्यतायें
[Qualifications of the President]

अनुच्छेद 58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यतायें विहित की गई हैं- Under Article 58 the following qualifications have been prescribed for the post of president-

योग्यतायें ⇒ Art. 58

---

1. वह भारत का नागरिक हो। He should be a Citizen of India.
2. वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा He has Completed 35 years of age, and
3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। He must be qualified to be elected as a member of the Lok Sabha.

लेकिन LS का सदस्य नहीं

(1) भारत का नागरिक
(2) न्यूनतम आयु [minimum Age] ⇒ 35 years / अधिकतम maximum ⇒ प्रावधान X

⇒ राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमण्डल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व वह इनका सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान उस सदन से रिक्त समझा जायेगा।

The president shall not be a member of any House of parliament or state Legislature. If he is a member of these before the election, then his seat in that House shall be deemed to be vacant from the date of assuming office

Art. 59

MP X
MLA X
MLC X

A → MP → राष्ट्रपति → पद ग्रहण

राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य पद ग्रहण नहीं कर सकता। (अनुच्छेद - 59) The president Cannot hold any other office during his term. (Article - 59)

⇒ भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा। A person holding any office of profit under the Government of India, a State Government or any local authority shall not be eligible for the office of president

→ लाभ के पद पर न हो। ⟶ सरकारी नौकरी ✗
Do not Hold office of the Profit

⇒ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। The posts of president, Vice president, Governors of States and Ministers of the Union or States are not Considered offices of profit.

⇒ राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।* 1997 से पूर्व यह संख्या 10-10 थी।

A Candidate for the presidency must be proposed by at least 50 Voters and Seconded by 50 voters. Before 1997, the number was 10-10

Ⓐ → Proposers ⇒ 50 → नाम का प्रस्ताव → MP's / MLA's → elected
प्रस्तावक

Seconders (अनुमोदक) ⇒ 50 → Acceptor / स्वीकार करने वाले

⇒ राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15000 रु. है।
The Security deposit for the post of president is Rs 15,000.

→ 15,000 रु → Deposit जमा → RBI

→ जमानत राशि को बचाने के लिए कुल वैध मतों (total Valid) x 1/6 (5000 x 1/6)

ex. राष्ट्रपति का चुनाव
जीतने के लिए कुल वैध मतों का 50% + 1
total valid x 50% + 1
5000 x 50% + 1 ⇒ 2501 Vote

2500 + 1
5000 ⇒ 2501
x

⇒ किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत की राशि जब्त हो जाती है। if a Candidate fails to secure 1/6th of the total valid Votes. his Security deposit is forfeited

Art. 55
Art. 51
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Art. 60

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
(Oath or Affirmation by the President)

अनुच्छेद - 60

⇓

शपथ (Oath) ⇒ राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (Chief justice of Supreme Court) दिलाते है।

POLITY

राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ एवं भत्ते → Art. 59 [3]

[The Emoluments and Allowances of the president]

⇒ संसद विधि द्वारा नियत करे Parliament may by law appoint

⇒ राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जो आयकर से मुक्त होता है।
The president's Salary is paid from the Consolidated fund of India, which is exempt from [Income tax] → free

वेतन ⇒ Art. 59 [3]
- निर्धारण ⇒ संसद
- भारत की संचित निधि → Art. 266
- कर मुक्त [Tax free] → Control नियंत्रण → संसद [Parliament]

⇒ 5 Lakh's ₹०
- Per Month → प्रत्येक माह

महाभियोग → Impeachment ⇒ Art. 61 [अमेरिका से लिया गया है]

- राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया
- आधार [Base] ⇒ संविधान का अतिक्रमण / उल्लंघन
  Voilation of Constitution

↳ महाभियोग प्रस्ताव [Impeachment Motion]

① प्रस्ताव की सूचना (Information of Motion) ⇒ राष्ट्रपति को देना।

↳ Before 14 day's (14 दिन पूर्व)

↳ नोटिस (सूचना) ⇒ पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर (Signature)

⇓

जिस सदन द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है

Que:- महाभियोग की शुरुआत संसद के किस सदन में होती है?

↳ किसी भी सदन में [either House of Parliament] LS/RS

ex:- शुरुआत → (LS) ⇒ ① नोटिस (14 दिन पहले)

↳ 1/4 members Signature

(LS) ⇒ total members ⇒ 543

543 X 50% +1

② LS में पेश [Introduced in LS]

③ LS में प्रस्ताव पर चर्चा [Discussion on the motion in LS]

⇒ Pass ⇒ पारित ⇒ उपस्थित और मतदान (Presents Voting) X 2/3

④ ⇒ LS में 2/3 बहुमत से पारित Pass

⇓

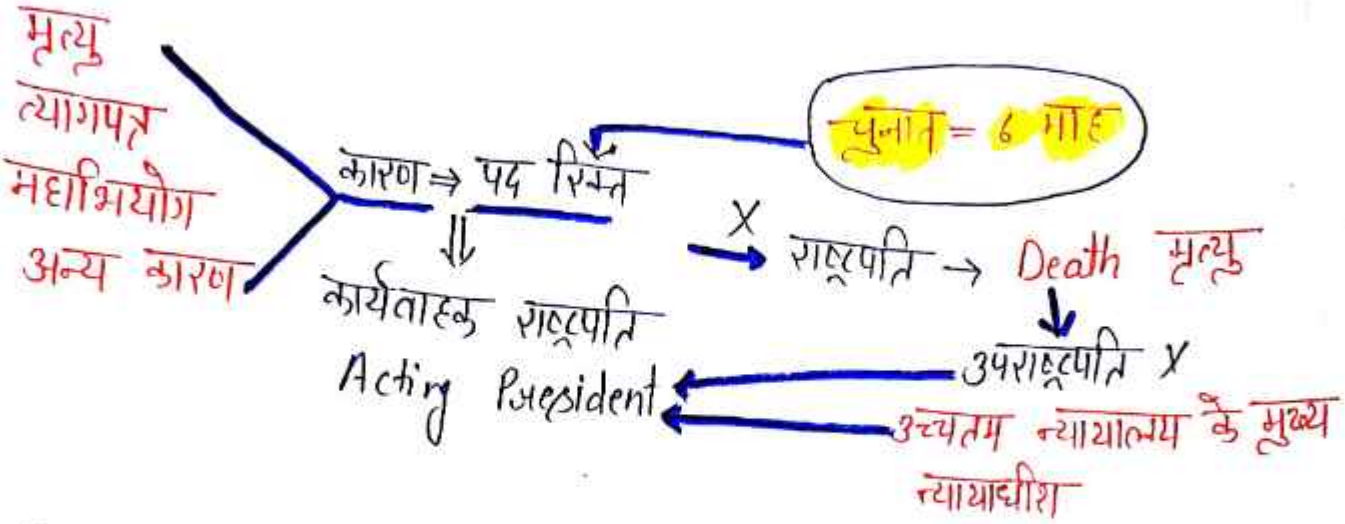
(RS) → ① पेश ③ 2/3 बहुमत से पारित

② चर्चा

⇒ राष्ट्रपति पद की रिक्तता की पूर्ति

[Fulfill the Vacancy of President]

अनुच्छेद 62



यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त होता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जायेगा।

If the post of president falls vacant due to death, resignation impeachment or any other reason, then elections will be held withim 6 months to fill it.

जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रूप से (मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से) रिक्त होता है तो उप-राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

When the office of the president falls vacant accidentally (due to death, resignation, removal or any other cause), the Vice-president acts as Acting president.

President X → उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम 1+ (33)
अराष्ट्रपति most Senior judge of S. Court

S. Court → मुख्य न्यायाधीश X

⇒ उप राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश के पद की रिक्तता की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

If the post of Vice president is also vacant, then the Chief Justice of India and in the event of vacancy of the post of Chief Justice, the Senior-most judge of the Supreme Court acts as the acting president

→ 1967 → डॉ० जाकिर हुसैन - राष्ट्रपति

↳ 1967 - 1969 ⇒ Death मृत्यु

1969

S-Court ⇒ सम०

विधायतुल्ला ⇒ कार्यवाहक राष्ट्रपति

↓

अराष्ट्रपति ⇒ वी. वी. गिरि

→ कार्यवाहक राष्ट्रपति

↓

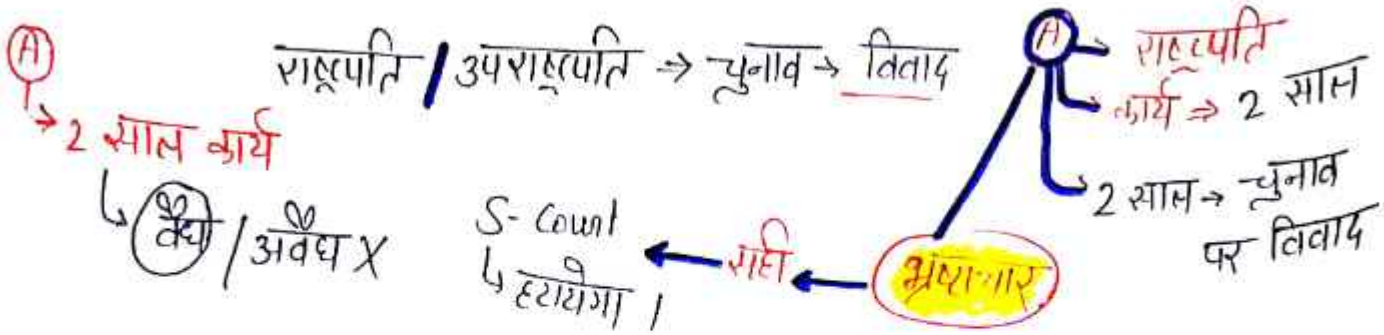
Resign त्यागपत्र

कार्यकाल - 6 माह

वेतन - राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवाद

⇒ अनुच्छेद - 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धी विवादों का निनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जायेगा, तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा। Article 71 States that disputes relating to the election of the president and Vice-president shall be decided by the Supreme Court and its decision shall be final.



कार्यपालिका शक्तियां [Executive Power]

⇒ अनुच्छेद - 53

⇒ अनु॰ 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिकीय कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।
According to Article. 77. all executive actions of the Government of India are performed in the name of the president.

⇒ वह भारत के प्रधानमंत्री सहित संघ के अन्य प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करता है। He appoints the Prime Minister of India and other key officials of the Union.

⑥ UPSC → Chairman / members
⑦ - finanance Comission वित्त आयोग etc.

Appointment
नियुक्ति →
① PM
② Union Council of ministers / संघीय मंत्रिपरिषद
③ राज्यपाल [Governor]
④ Judges of Supreme or High Court / उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
⑤ CAG →

विधायी शक्तियाँ [Legislative Powers]

→ संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य सभा तीनों से मिलकर होता है. (अनुच्छेद - 79)

Parliament is formed by the president, Lok Sabha and Rajya Sabha (Article 79)

→ कानून बनाना

POLITY

⇒ राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा सत्रावसान की घोषणा करने का अधिकार है The president has the power to summon the parliament and announce its prorogation.

⇒ राष्ट्रपति एक वर्ष में संसद की कम से कम दो बैठकें बुलाने के लिए बाध्य है। The President is bound to Convene at least two meetings of the parliament in a year

Art. 85

राष्ट्रपति → संसद ⇒ सत्र / अधिवेशन (Session)

बुला सकते हैं (Called the Session of parliament by the president)

1 वर्ष (years) कम से कम 2 सत्र (minimum 2 Session)

(1) बजट सत्र Budjet Session
(2) मानसून सत्र Monsoon Session
(3) शीतकालीन सत्र Winter Session

1st Session प्रथम अधिवेशन — IInd Session (दूसरा अधिवेशन)

अधिकतम अंतराल (Maximum Gap) ⇒ 6 माह (Months)

सत्र / अधिवेशन का सत्रावसान — सत्र का अंत करना

End of Session

अनुच्छेद - 85 - लोकसभा को उसके नियत अवधि के पूर्व भंग कर सकता है Article 85 - Lok Sabha can be dissolved before its fixed term

राष्ट्रपति → लोकसभा सभा भंग [Dissolved]

भंग / विघटन

समाप्त [End] ॥ 5 वर्ष पर समाप्त

लोकसभा
- कार्यकाल (Tenure) → 5 year
- 2 साल कार्य → भंग (Dissolved) → नयी लोकसभा → 5 year's
- ③ शेष कार्यकाल [Remaining Tenure]

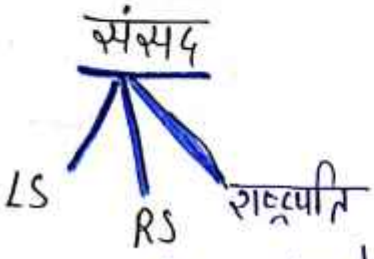
अनुच्छेद - 87 संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करता है। Article 87 addresses the Joint Sitting of the two Houses of the parliament.

(LS/RS)

अनु. 86 - संसद के किसी सदन को लम्बित किसी विधेयक के सम्बन्ध में संदेश (Message) भेजने का अधिकार भी है। Article 86 - There is also the right to send a message to either House of parliament regarding a pending bill.

Art. 108 ⇒ राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा की सयुक्त बैठक (Joint Session) बुला सकते है।

अनुच्छेद - 111



Bill → Signature नहीं करेंगा।
→ पुनर्विचार के लिए वापस (LS/RS)
Reconsider the bill of LS and RS
→ बिल पर कोई प्रतिक्रिया न दे।

Bill ⇒ Pass → Signature (हस्ताक्षर) → ACT

Bill (विधेयक) ⇒ अधिनियम (Act

संविधान संशोधन विधेयक
Constitution Amendment Bill)
इस पर राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्रयोग करने का अधिकार नहीं है।

1. आत्यांतिक वीटो (Absolute Veto) ⇒ जब हस्ताक्षर करने मना कर दें।
2. निलम्बनकारी वीटो (Suspension Veto)
   - जब किसी विधेयक को पुनर्विचार (Reconsider) के लिए LS/RS को वापस कर दें।
   - ⇓
   - लेकिन यदि वह बिल (संशोधन या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास वापस आता है तो वह हस्ताक्षर (Signature) करने के बाध्य है।
3. जेबी वीटो (Poket Veto)
   - वीटो शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति विधेयक पर करते हैं।
   - राष्ट्रपति विधेयक (Bill) को अपनी जेब में रखकर भूल जाते हैं।
   - इस वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने PBC में डालकर संशोधन विधेयक पर किया।

न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers)

⇒ क्षमादान की शक्ति- अनुच्छेद -72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान (Pardons) की शक्ति प्रदान की गयी है। Power of Pardon: Under Article 72, the President has been given the power of pardon.

अपराधी Criminal → Petition याचिका ⇒ राष्ट्रपति को।

मृत्यु दण्ड (Death of Sentence) → को क्षमा (Pardon) करने का अधिकार राष्ट्रपति को है।

⇒ राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध व्यक्ति के दण्ड को क्षमा कर सकता है अथवा प्रविलम्बन, परिहार, विराम या लघुकरण कर सकता है The president can pardon or grant reprieve, remission, respite or Commute the punishment of a person convicted of any offence

(1) क्षमा (Pardon) ⇒ किसी भी अपराधी को उसके अपराध की सजा से पूरी तरह मुक्त करना।

[2] प्रविलंबन (Reprieves) ⇒ फांसी की सजा को कुछ समय के लिए निलंबित (Suspend) करना।

Remission (परिहार) → अपराधी (Criminal) ⇒ 20 वर्ष का कठोर कारावास

Ex. ↳ 10 वर्ष / 5 / 15 वर्ष - कठोर कारावास

↳ सजा की अवधि (Duration) में कमी।

लघुकरण (Commute) → अपराधी - 30 वर्ष का कठोर कारावास

(1) → समय अवधि में कमी

[2] कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित

Respite (विराम) ⇒ विशेष परिस्थितियों में अपराधी की सजा को माफ किया जाता है।

⇒ परामर्श का अधिकार - अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श (Consult) का अधिकार दिया गया है Right to Consultation - Article 143 gives the President the right to Consult the Supreme Court.

⇒ किन्तु वह उच्चतम न्यायालय की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है But he is not bound to accept the opinion of the Supreme Court

राष्ट्रपति ⇒ परामर्श → Supreme Court विधिक मामलों
Consult Legal matters

POLITY

विधायी शक्तियाँ

Art. 123 ⇒ अध्यादेश Ordinance ⇒ issue → जारी
↳ राष्ट्रपति

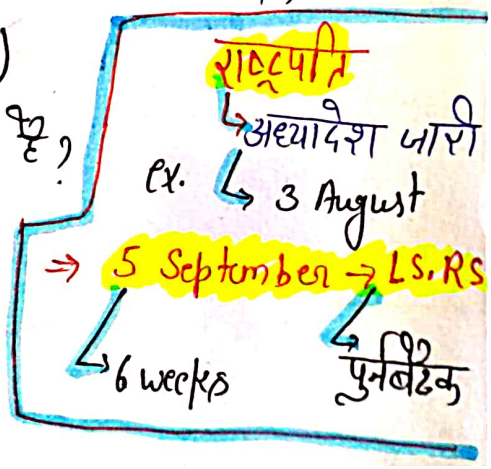
→ संसद के कानून की तरह

→ अध्यादेश कब जारी ? ⇒ जब संसद के दोनों सदन (Both House) या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो (कार्य न कर रहा हो)

↓

LS और RS का अनुमोदन [Approval]
↳ लोकसभा और राज्यसभा की पुनर्बैठक (Reassemble)
→ के दिन से 6 सप्ताह के अंदर ≠ (within 6 weeks)
→ अनुमोदन (Approval) - ✓ ⇒ देती है तो अध्यादेश कानून बन जायेगा।
X ⇒ नहीं देती है तो अध्यादेश समाप्त हो जायेगा।

LS और RS के अनुमोदन के बिना (without Approval of LS and RS) अध्यादेश कितने दिन जारी रह सकता है ?
⇒ 6 Month's and 6 weeks
6 माह और 6 सप्ताह



वित्तीय शक्तियां [Financial Power]

⇒ भारत की 'आकस्मिक निधि' [Contingency fund of India] Art. 267 पर भी उसका नियन्त्रण होता है। He also has Control over India's 'Contingency Fund'.

→ राष्ट्रपति — Control (नियंत्रण) संसद का

Art. 266 ← भारत की संचित निधि (Consolidated found of India)

ex. बाढ़
→ बीमारी फैल जाये
→ भुखमरी

⇒ Contengency fund से पैसा निकालने के बाद राष्ट्रपति को संसद को बताना होता है।

⇒ धन विधेयक [Money Bill] Art. 110 राष्ट्रपति की पूर्वअनुमति से लोकसभा में पेश किया जाता है।

Introduced the money bill in LS but After Approved of president

⇒ राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष [every financial year] बजट को वित्तमंत्री [finance minister] से पेश करने के लिए कहते है। Art. 112

→ 1 April - 31 March

अनु॰ 280 उसे एक वित्त आयोग [Finance Commission] नियुक्त करने का भी अधिकार है। Article 280 He also has the power to appoint a finance Commission

वित्त आयोग → Art. 280

Finance Commission

→ गठन [Formed] → Every 5 year's / प्रत्येक 5 वर्ष में
→ formed by the president (राष्ट्रपति द्वारा गठन)
→ 1 अध्यक्ष (Chairman) + 4 other members (4 अन्य सदस्य)

⇒ अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति (Appointment) → राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

→ प्रथम वित्त आयोग का गठन → 1951 → अध्यक्ष (Chairman) formed of first finance Commission ↳ के॰ सी॰ नियोगी
→ कार्य प्रारंभ ⇒ 1952 - 1957
→ वर्तमान में 15 वां वित्त आयोग (15th finance Commission)
↳ अध्यक्ष ⇒ एन॰ के॰ सिंह (2020 - 2025)
→ 16 वां वित्त आयोग → अध्यक्ष ⇒ अरविंद पनगढ़िया

सैन्य शक्तियां [military Powers]

⇒ भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना) का प्रधान सेनापति होता है. The President of India is the Commander-in-Chief of the three armed forces (Army, Air force and Navy.)

⇒ उसे युद्ध घोषित करने तथा शान्ति स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। He has the power to declare war and establish peace.

⇒ वह तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी करता है। He also appoints the three army Chiefs.

राजनयिक शक्तियां [Diplomatic Powers]

⇒ राजदूतों ——————→ की नियुक्ति करता है
Appoints ambassadors
[By the president

⇒ विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं. Treaties and agreements with foreign Countries are also made in the name of the president.

आपातकालीन उपबंध [Emergency Provision]

- Part (भाग) → 18
- Art. 352 - 360
- जर्मनी / 1935 के अधिनियम से लिया गया। (Act of 1935)

Art. 352 → राष्ट्रीय आपातकाल [National Emergency]

Art. 356 → राष्ट्रपति शासन [Presidential Rule]

Art. 360 → वित्तीय आपातकाल [Financial Emergency]

संविधान का भाग - 18

⇒ अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है। Part - 18 of the Constitution, from Articles 352 to 360 deals with emergency provisions.

⇒ भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित (Inspired) है। Part - 18 is inspired by the Constitution of Germany.

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा Three types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. As.

rojgar with ankit

i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, (अनु० 352)
Emergency arising out of war, external aggression or armed rebellion or a national emergency, [Art. 352]

राष्ट्रीय आपातकाल [National Emergency]

- Art. 352, इसकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित अनुमति के बाद [Announced by the president but After written Approved of Cabinet] ⇒ 44 CA 1978
- आधार [Grounds] – (i) युद्ध
  (ii) बाह्य आक्रमण [external Agression]
  (iii) सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion]
  - 44 CA 1978

POLITY

National Emergency

राष्ट्रीय आपातकाल ⇒ Art. 352

↳ घोषणा ⇒ राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिमण्डल की लिखित अनुमति के बाद। [44 CA 1978]

आधार [Ground] – [1] युद्ध [war]

[2] बाह्य आक्रमण [External Agression]

[3] सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion]

↳ 44 CA 1978

3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा

[1] 1962 → चीन आक्रमण [Attack] ⇒ PM → Pt. J.L. Nehru, President → डॉ० एस० राधाकृष्णन

[2] 1971 → पाक० " ⇒ PM ⇒ इंदिरा गांधी, President → वी० वी० गिरी

[3] - 1975 → आंतरिक अशांति [Internal Disturbance]

हटाओ (Remove) ⇒ 44CA 1978

PM ⇒ इंदिरा गांधी

President ⇒ फखरुद्दीन अली अहमद

सशस्त्र विद्रोह Armad Rebellon

1978 ⇒ PM ⇒ मोरारजी देसाई

↳ 44 CA 1978

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा
[Proclamation of National Emergency]

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु.- 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब भी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गम्भीर आपात विद्यमान है जिसमें, युद्ध (War) या बाहा आक्रमण [External aggression] या सशस्त्र विद्रोह [Armed Rebellion] के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा [Proclamation] कर सकता है।

उद्घोषणा का अनुमोदन ⟹ LS और RS
[Approval of Proclamation]

→ यदि दोनों सदन उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वत: समाप्त हो जाती है। किन्तु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, if both the Houses do not approve the Proclamation within a month, the proclamation automatically expires. But if the proclamation is made at that time,

Approval (अनुमोदन) ⇒ LS और RS

→ घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर ⅔ (within 1 months)

→ 1 बार अनुमोदन से 6 माह (month's) तक लागू

→ 6 माह ⇒ के बाद लगाने के लिए फिर से अनुमोदन

2/3 Majority बहुमत
↳ विशेष बहुमत

→ अधिकतम समय (Maximum Duration) ⇒ असीमित समय [Unlimited]

उद्घोषणा का प्रभाव
[Effect of Proclamation]

⇒ संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्यसूची [State List] के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। The legislative power of the parliament expands. It can make laws on any subject in the State List

राज्य सूची State list ⇒ राज्य सरकार State Govt. (विधानमंडल legislature) → राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून संसद बनाती है।

⇒ शक्तियों का केंद्रीकरण
Centralization of Powers

⇒ संसद द्वारा बनाई गयी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है
A law made by the Parliament expires after six months when the proclamation is no longer in operation.

राष्ट्रीय आपातकाल के समय → संसद ने राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाये थे, वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद समाप्त हो जाते है,

अनु. 358 - के अनुसार जब युद्ध या बाहा आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनु: 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार [Rights of Freedom] स्वत: निलम्बित हो जाता है, According to Article 358, when a proclamation of emergency based on war or external aggression is in operation, the right to freedom guaranteed by Article 19 is automatically Suspended.

rojgar with ankit

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव — Art 358 → Art. 19 स्वतंत्रता का अधिकार

↳ अगर राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध (War) या बाह्य आक्रमण के आधार पर लगता है तो Art. 19 निलंबित [Suspended] हो जायेगा।

अनु० 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तित [Enforce] कराने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है।

⇒ Under Article 359, the president has been given the power to suspend the right to enforce the fundamental rights

Art. 359 ⇒ राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित (Suspend) कर सकते हैं Art. 20, और 21 छोड़कर।

⇒ संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे. Parliament has the power to extend the term of the Lok Sabha for one year at a time,

राष्ट्रीय आपातकाल ⟹ संसद → लोकसभा, विधानसभा (Legislative) → दोनों के कार्यकाल - 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है

उद्घोषणा की वापसी
[Revocation of Proclamation]

→ वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। The recalling proclamation does not require approval by parliament.

→ राष्ट्रपति वापस लेते हैं।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन
[President Rule in the State]

राज्यों में संवैधानिक तंत्र (Constitutional machinery) विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनु० 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोल-चाल की भाषा में 'राष्ट्रपति शासन' कहा जाता है When the Constitutional machinery fails in the states, the proclamation issued by the president under Article 356 is Commonly known as 'President's rule'.

राष्ट्रपति शासन → Art. 356

→ घोषणा → राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल का अनुमोदन → मौखिक (Oral)
(Approval of Cabinet)

→ आधार (Ground) ⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल (failed the Constitutional Machinary in States)

जानकारी ⇒ राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।

उद्घोषणा का अनुमोदन → LS/RS

(Approval of Proclamation) → घोषणा के दिन - 2 माह / 2 mont.
→ साधारण बहुमत (Simple Majority)

⇒ प्रत्येक सदन द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (साधारण बहुमत) से दो माह के भीतर पारित करना होता है* अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। It has to be passed by each House by a majority (Simple majority) of the members present and Voting within two months' otherwise it lapses automatically. - 1 बार

अनुमोदन - 6 माह तक लागू
Maximum Duration - 3 years / 3 वर्ष

उद्घोषणा का प्रभाव
[Effect of Proclamation]

⇒ राज्य विधानमण्डल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जायेंगी। The powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of parliament.

→ शक्तियों का केंद्रीकरण [Centralization of Powers]
वापस ⇒ राष्ट्रपति

वित्तीय आपात [Financial emergency]

⇒ संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपात' के बारे में प्रावधान किया गया है।
Provision for 'financial emergency' has been made under Article 360 of the Constitution

→ आधार - वित्तीय अस्थिरता
financial unstability

POLITY

वित्तीय आपातकाल ⇒ Art. 360

[Financial Emergency]

- घोषणा ⇒ राष्ट्रपति के द्वारा, By the President
- आधार (Ground) ⇒ वित्तीय अस्थिरता
  financial unstability
- अनुमोदन
  (Approval) ⇒ LS और RS

भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा।

→ घोषणा के दिन से 2 माह के अंदर (within 2 month)

→ एक बार अनुमोदन से असीमित समय (unlimited) तक लागू हो सकती है।

→ प्रभाव → ① उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कमी।

Deduct the Salary Judges of Supreme and High Court.

② केंद्र और राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के वेतन में कमी

वापस → राष्ट्रपति

उपराष्ट्रपति [Vice president]

भारत का उपराष्ट्रपति [The Vice-president of India]

पदानुक्रम में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति (Vice president) का दूसरा स्थान है। The Vice president is second in the hierarchy after the president.

उपराष्ट्रपति → यह पद अमेरिका से लिया गया है।
(Vice-president) → Taken from USA
↳ भारत का दूसरा सर्वोच्च पद (IInd Highest post of India)

अनुच्छेद - 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का 'पदेन सभापति' (Ex-office Chairman) होता है। Art. 64

According to Article 63, there will be a Vice-president of India. The Vice president is the 'ex-officio Chairman' of the Rajya Sabha — Art. 64

Art. 63 ⇒ भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति → राज्यसभा का पदेन सभापति।

प्रथम उपराष्ट्रपति
first Vice-president
⇓
डा० एस० राधाकृष्णन

वर्तमान → जगदीप धनखड़

उपराष्ट्रपति ⇒ उपराष्ट्रपति पद का उपराष्ट्रपति के नाम से कोई कार्य नहीं है।

↳ कार्य → मुख्य कार्य राज्यसभा के सभापति का होता है।
Chairman of RS

⇒ (2) ⇒ जब कभी राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त (Vaccant) हो जाती है। तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। Acting President ⇒ Art. 65

Art. 65

⇒ अपनी पदावधि के दौरान अन्य कोई लाभ का पद [Office of profit] ग्रहण नहीं करता है। He does not hold any other office of profit during his term of office.

लाभ के पद पर न हो। → Qualifications योग्यताएं
Do not Hold office of profit

⇒ भारत में उपराष्ट्रपति के पद सम्बन्धी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। The provisions regarding the post of Vice president in India have been taken from the Constitution of America.

उपराष्ट्रपति की योग्यतायें

[Qualification of the Vice president]

अनु॰ 66 (3) उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित (योग्यतायें होनी चाहिए) यथा-

Article 66 (3) A person should have the following qualifications for the post of Vice-president, namely:

(1) भारत का नागरिक ⇒ Citizen of India

(2) न्यूनतम आयु ⇒ 35 years ⇒ Minimum Age - 35 years

(3) लाभ के पद पर न हो। ⇒ Do not Hold office of the profit

(4) पागल न हो। Do not unsound.

(5) दिवालिया न हो। Do not Insolvest

(i) वह भारत का नागरिक हो। He should be a Citizen of India

(ii) वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो. He must have Completed 35 years of age.

(iii) राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। Must be eligible to be elected as a member of the Rijya Sabha.

(6) (लेकिन RS का सदस्य नहीं होना चाहिए।

अनु. 66 (2) - उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा Article 66 (2) - The Vice-President shall not be a member of either House of Parliament or of either House of the Legislature of a State

MP X
MLA X
MLC X

अगर है तो, तो फिर जिस दिन वह उपराष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है उस दिन उसका पद उस सदन में रिक्त हो जायेगा जहां पर वह सदस्य था।

उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और उतने ही The name of a Candidate for the office of Vice-President shall be proposed by at least 20 Voters and rejected by as many as 100 Voters.

प्रस्तावक (Proposers) ⇒ 20
अनुमोदक (Seconders) ⇒ 20

⇒ जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं उन्हीं में से 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते है।

⇒ मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए

⇒ रु. 15000 की जमानत राशि जमा की जानी चाहिए।

→ must be approved by voters

→ Security amount of Rs. 15000 must be deposited.

जमानत राशि = 15000 रु ⟶ Q. यह जमानत राशि कब जब्त (Seized) होती है।

Security Amount

↳ Deposit → RBI (जमा)

↳ जब कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
[Election of Vice president]

अनु. 66 (1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों

According to Article 66 (1), the Vice-president is elected by all the members of both the Houses of Parliament

निर्वाचन (Election) — (1) अप्रत्यक्ष (Indirect)
(2) गुप्त मतदान (Secret Voting)

पद्धति (Method) → राष्ट्रपति के समान।

निर्वाचक मण्डल → मतदाता (Voters)
Electoral College

(1) LS और RS के सभी सदस्य । (All MP's) → निर्वाचित + मनोनीत
All members of LS and RS — सभी संसद — Elected + Nominated

MLA → Vote X
MLC → Vote X

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी । अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली 'द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है ।

The election of the Vice-president also takes place through the 'Single transferable Vote System according to the proportional representation system' and voting in such an election is secret.

उपराष्ट्रपति की पदावधि
[Term of office of Vice president]

⇒ संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the vice president is 5 years

⇒ राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है । Can Submit resignation to the president

कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष (पद ग्रहण दिन से)
त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति (President)

POLITY

उपराष्ट्रपति की पदावधि
[Term of office of Vice President]

⇒ संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, According to Article 67 of the Constitution, the term of the vice president is 5 years.

⇒ राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। Can Submit resignation to the president

त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 years / 5 वर्ष
⇓
पद ग्रहण के दिन से

यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसे पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा; If the Rajya Sabha passes a resolution to remove him from office by a majority of all its then members and the Lok Sabha accepts it, the Vice president will have to resign;

Q⇒ क्या उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के पश्चात् अपने पद पर रह सकते हैं?
↳ yes हां, जब तक नये उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करते हैं।

उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
[Removal Process of Vice-president]

आधार (Ground) ⇒ संविधान में इनको हटाने का कोई आधार निश्चित नहीं है।

⇒ उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा को दी गयी है।

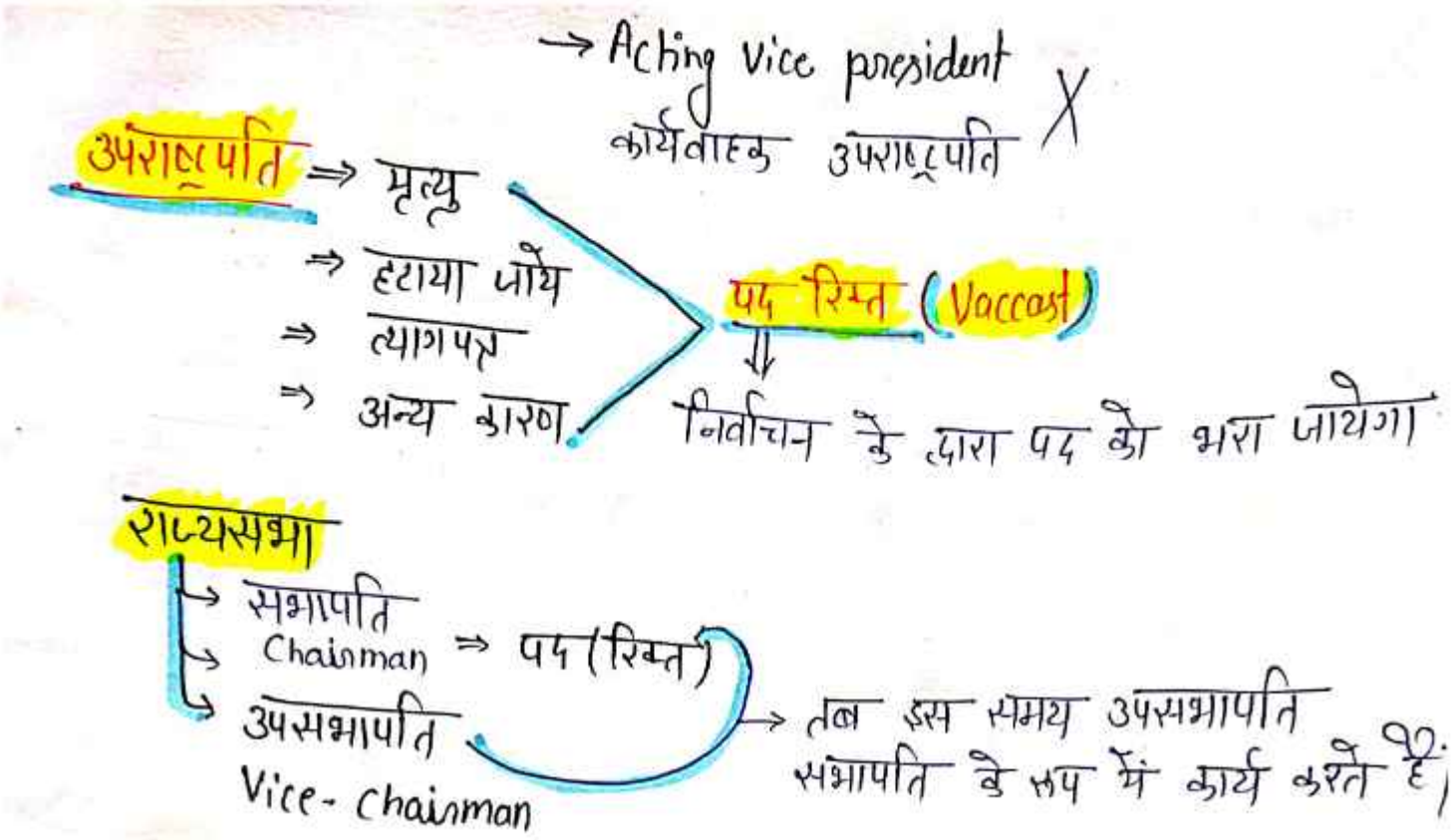
① राज्यसभा में प्रस्ताव पेश [Introduced the motion in RS]
② प्रस्ताव पर चर्चा [Discussion on the motion]
③ प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित [Passed the motion with Simple Majority]

RS ⇒ Pass → लोकसभा → सहमति प्रस्ताव पर।

प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को दी जाती है।

उपराष्ट्रपति को उसकी सूचना कम से कम चौदह दिन (14) पूर्व दे दी गई हो। The Vice president has been informed at least fourteen (14) days in advance.

⇒ उसकी मृत्यु, पदत्याग या पदच्युति के कारण हुई पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन यथाशीघ्र (As Soon As) कराया जायेगा।
The election to fill the vacancy caused by his death, resignation or removal shall be held as soon as possible.



नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक अपना पद धारण करेगा। The new Vice president will hold office for a term of five years from the date on which he assumes office

संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। There is no provision in the Constitution for appointing an acting Vice president.

उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। वह इस पद पर अनेक बार निर्वाचित किया जा सकता है। The Vice president is eligible for re-election. He can be elected to this post multiple times.

उपराष्ट्रपति ⇒ Re- election / पुनर्निवाचन
↳ एक व्यक्ति कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है।
गी

Art. 64 ⇒ उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति (Ex-officio Chairman)

Art. 89 ⇒ राज्यसभा के एक सभापति होंगे

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

अनुच्छेद 69.

Article 69.

शपथ - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते है;

Vice president take the oath front of president

वेतन एवं भत्ते [The Salary and Allowances]

अनु. 97 के तहत देय राज्य सभा के सभापति का वेतन दिया जाता है। उसे अपने पद का वेतन नहीं दिया जाता है।

The Salary of the Chairman of Rajya Sabha is paid under Article 97. He is not paid the Salary of his post

Art. 97 ⇒ वेतन ⇒ सभापति (Chairman) ⇒ 5 लाख रु०
प्रत्येक ‖ माह (Per month)
भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

rojgar with ankit

(Pay from Consolidated fund of India)

जब उपराष्ट्रपति अनु. 65 के तहत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब वह राज्य सभा सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। When the Vice president acts as Acting president under Article. 65. he does not function as the Chairman of the Rajya Sabha.

प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद (संघ)	मुख्यमंत्री + मंत्रिपरिषद (राज्य)
PM + Com	CM + Com (State)
Art. 74 ⇒ एक मंत्रिपरिषद् (Com) का गठन किया जायेगा, जिसका प्रधान (Head) प्रधानमंत्री (PM) होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह एवं सहायता (Help & Advice) देना होगा।	Art 163 एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जायेगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देना होगा।
Art. 75(1) ⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।	Art. 164 (1) → मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा
Appoints of PM ⇒ by the president	Appoints of CM ⇒ by the Governor.

Union Govt.

PM

MP-MLA's — Com

(राष्ट्रपति) President

Loksabha

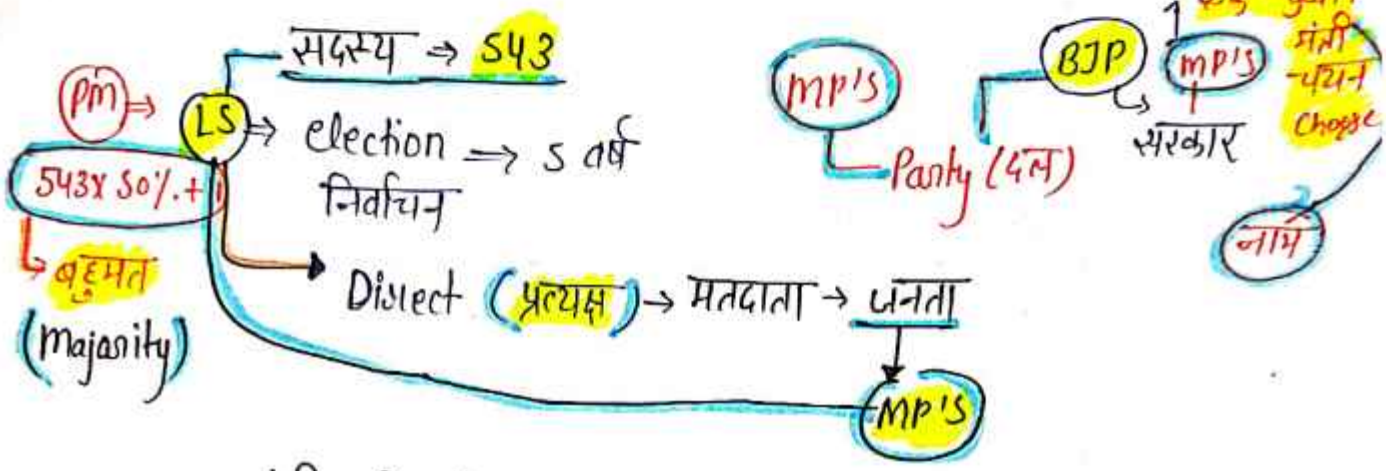
Stak Govt.

CM

Com

Governor (राज्यपाल)

विधानसभा (Legislative Assembly)



⇒ प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात्
After Appoints of PM

① अनुसूची - 3 (Schedule-3) ⇒ PM की शपथ / Com ⇒ शपथ
Oath of PM

↓

शपथ - 2 प्रकार (type)

① पद [Post]

② गोपनीयता [Seasucy]

राष्ट्रपति शपथ दिलाते है,
PM take the oath front of President

CM की नियुक्ति के पश्चात्

शपथ ⇒ अनुसूची - 3

↳ 2 प्रकार ⇒ पद, गोपनीयत

राज्यपाल दिलाते है

Com ⇒ राज्यपाल दिलाते

↳ शपथ - अनुसूची - 3

POLITY

प्रधानमंत्री + COM

Art. 74

Art. 75 (1)

शपथ → PM + COM

PM शपथ लेने के पश्चात्

PM after take the oath

↳ मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं। (Prepared the list name of Ministers)

⇒ प्रधानमंत्री इस सूची को राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राष्ट्रपति इस सूची के अनुसार (According to list) Art. 75 (1) के तहत मंत्रियों की नियुक्ति (Appoint of Ministers) करते हैं।

मुख्यमंत्री + COM

Art. 163

Art. 164 (1)

शपथ (oath) ⇒ CM + COM

CM शपथ लेने के पश्चात्

↳ मंत्रियों के नाम की सूची तैयार करते हैं।

⇒ इस सूची को CM राज्यपाल को देते हैं।

⇒ राज्यपाल इस सूची के अनुसार Art. 164 (1) के तहत मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

PM + COM

मंत्रियों के प्रकार (Type of Ministers)

(1) कैबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)
(2) राज्य मंत्री (State Ministers)
(3) उपमंत्री (Deputy Ministers)

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या (No. of Ministers in COM)

→ Total members of LS X 15%.
लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%.
→ निश्चित (fixed) ⇒ 91 CA 2003

CM + COM

मंत्रियों के प्रकार -

(1) कैबिनेट मंत्री (मंत्रिमण्डल) [Cabinet
(2) राज्य मंत्री
(3) उपमंत्री

मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या
→ विधानसभा के कुल सदस्यों का X 15%.

Total members of legislative Assembly X 15%.
→ 91 CA 2003 द्वारा मंत्रियों की संख्या निश्चित

PM + मंत्री → योग्यतायें (Qualification)

(1) PM / मंत्री बनने के लिए LS / या RS का सदस्य होना चाहिए।
(2) यदि वह LS / RS का सदस्य नहीं है तो ऐसे व्यक्ति 6 माह (Month's) के लिए PM / minister नियुक्त कर सकते हैं।

CM + मंत्री → Qualifications (योग्यतायें)

→ (1) CM / मंत्री बनने के लिए विधानसभा / विधानपरिषद (जहां पर वे हैं) का सदस्य होना चाहिए
(2) → नहीं है तो 6 माह के लिए CM / मंत्री नियुक्त

(3) लेकिन 6 माह के अंदर = 2 (Within 6 Month) LS/RS में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी

(5) अगर नहीं ले पाता तो अपना पद छोड़ना होगा

(3) 6 माह के अंदर 2 सदस्ता लेना अनिवार्य

(5) अगर नहीं ले पाया तो अपना पद छोड़ना होगा।

कार्यकाल [Tenure]

→ PM → 5 वर्ष ⟷ (LS का कार्यकाल 5 वर्ष)

→ Minister → 5 वर्ष

→ त्यागपत्र (Resignation) → राष्ट्रपति

→ PM Minister (मंत्री) → राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण

PM / Minister → (Hold the office Pleasure of President)

कार्यकाल [Tenure]

CM → 5 वर्ष → विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष

Minister → 5 वर्ष

त्यागपत्र → राज्यपाल

CM / Minister ⇒ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं।

CM / Minister ⇒ को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है।

Art. 75 (3) → मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व

(Collective Responsibility of Com)

⇓

लोकसभा के लिए।

↳ MP

⇒ मंत्रिपरिषद् का सामूहिक उत्तरदायित्व

⇓

विधानसभा के लिए

↳ MLA

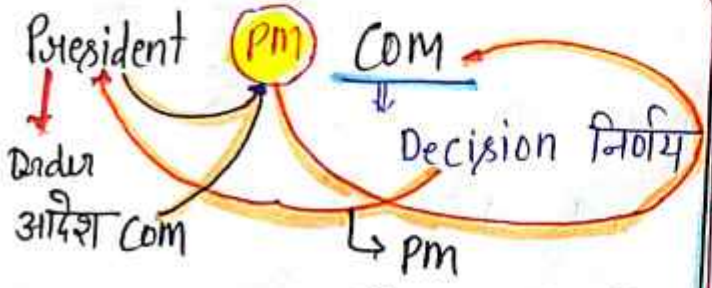
महान्यायवादी
[Attorney General]

महाधिवक्ता
[Advocate General]

POLITY

PM

Art. 78 → प्रधानमंत्री के कर्तव्य
Duties of PM



Art. 78 ⇒ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। Play the role of Mediator between president and com

CM

Art - 167

Governor (CM) COM

Art. 167 ⇒ मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मध्य मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। Play the role of Mediator between Governor and com या

→ Duty of CM
मुख्यमंत्री के कर्तव्य

महान्यायवादी
[Attorney General]

→ Part (भाग) – V

Art. 76 → भारत का एक महान्यायवादी होगा। जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की

महाधिवक्ता
[Advocate General]

→ Part (भाग) – VI

Art. 165 ⇒ राज्य का एक महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

की जाती है।

⇒ There shall be a Attorney General of India. Attorney General appoints by the president.

There shall be a Advocate General of State. Advocate General Appoints by the Governor.

A.G.

⇒ भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी। (Highest legal officer of Indian Govt.)

कार्य / Function ⇒ भारत सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना। [Consult on legall Matter of Indian Government.]

⇒ भारत सरकार के सभी मामलों की सुनवाई [Supreme Court, High Court] (Hearing) का अधिकार होता है।

Advocate General

⇒ राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी

⇒ कार्य → राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना

⇒ राज्य सरकार के सभी मामलों की सुनवाई (High Court) का अधिकार होता है।

⇒ ये राज्य सरकार का पक्ष न्यायालय [Court] में रखता है।

A.G

→ A.G → Supreme / High Court में भारत सरकार का पक्ष रखता है।

→ वेतन (Salary) ⇒ वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

Salary Determined by the President

⇒ वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। (Salary pay from Consolidated fund of India.

⇒ Salary (वेतन) ⇒ 2,50,000 रु

Advocate General

⇒ Salary ⇒ वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

⇒ राज्य की संचित निधि से दिया जाता है

Salary pay from Consolidated fund of State

वेतन ⇒ 2,25,000

योग्यतायें (Qualification) →

उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों (Judges) के समान योग्यतायें

Art. 124 (3)

[1] भारत का नागरिक Citizen of India

[2] 5 वर्ष का किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का / अनुभव (experince)

Judge या Or

Qualifications

⇒ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान

→ Art. 217(3) → भारत का नागरिक

→ किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष का अधिवक्ता (Advocate) का अनुभव या Or

→ 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद को धारण किया Judicial Officer

⇒ 10 वर्ष का किसी भी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता (Advocate) का अनुभव (experince)

कार्यकाल [Tenure]

→ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण Hold the office pleasure of president

→ सरकार के कार्यकाल तक पद पर रहते हैं।

⇒ नियुक्ति → केंद्र सरकार के परामर्श पर

→ हटाता कौन है? ⇒ राष्ट्रपति

⇒ त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति

कार्यकाल [Tenure]

→ राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण

→ सरकार के कार्यकाल तक पद पर

→ नियुक्ति → राज्यपाल → राज्य सरकार के परामर्श पर

→ हटाता कौन है? → राज्यपाल

→ त्यागपत्र → राज्यपाल

POLITY

Art-88 ⇒ महान्यायवादी [Attorney General] ⟶ संसद की बैठकों में भाग ले सकता है।
⇒ बैठकों में चर्चा [Debate] कर सकता है।
⇒ लेकिन वह मतदान (Voting) नहीं कर सकता है।

Art. 177 → महाधिवक्ता [Advocate General]
⇒ विधानमंडल की बैठकों में भाग
⇒ बैठकों में चर्चा
⇒ लेकिन मतदान नहीं कर सकता।

महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई (Audience) का अधिकार होता है अनु० 88 के तहत् महान्यायवादी को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा विचार व्यक्त कर सकता है; किन्तु मतदान नहीं कर सकता है;

The Attorney General has the right of audience in all the Courts of India. Under Article.88,

the Attorney General has been given the right to participate in the proceedings of both the houses of the Parliament and express his opinion; but Cannot Vote;

महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य विधि सम्बन्धी ऐसे सब विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देना है जिन पर राज्यपाल उससे परामर्श मांगे महाधिवक्ता को राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किन्तु मतदान का अधिकार नहीं है* (अनु० 177)। उसे राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

The main work of the Advocate General is to advise the State Government on all such law related matters on which the Governor seeks his Advice. The Advocate General has the right to participate and speak in the proceedings of the State Legislature but does not have the right to Vote (Article 177.) He has the right to be heard in any Court of the State.

राज्य कार्यपालिका
State executive

राज्यपाल
मंत्रिपरिषद् (राज्य)
मुख्यमंत्री
महाधिवक्ता

राज्यपाल ⇒ Part (भाग) - 6
[Governor]
↳ Art. 153. 162

राज्यपाल के बारे में प्रावधान भाग-6, अनु. 153-162 में दिया गया है। अनु. 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परन्तु एक ही व्यक्ति को दो या से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

Provisions regarding the Governor are given in part-6 Articles 153 - 162. Article 153 states that there shall be a Governor for each State, but the same person may be appointed as the Governor of two or more States. (7CA 1956)

Art. 153 - 1 राज्य - 1 राज्यपाल होगा।
↳ 7 वां संविधान संशोधन 1956
7 Constitution Amendment 1956
⇓
2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है।

⇒ राज्यपाल ⇒ राज्य के नाममात्र और संवैधानिक प्रधान
Nominal's Constitutional Head of State
↳ वास्तविक प्रधान [Real Head] ⇒ (CM)

Art. 154 (1) ⇒ राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा।

Art. 154 ⇒ All State executive Powers Vested in Governor.

Use → By him or
By Subordinate officers.
↳ Com

राज्यपाल की नियुक्ति [Appointment of Governor]

संविधान के अनु. 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित किया जाता है।

Under Article 155 of the Constitution, the Governor is appointed by the president. The President appoints a person nominated by the Central Government as the Governor of a State.

Art. 155 ⇒ राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर।

राज्यपाल का कार्यकाल [Term of office of Governor]

अनु. 156 के अनुसार, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है। सामान्यतः वह अधिकतम 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है।

According to Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the president. Generally, he can remain in office for a maximum of 5 years.

Art. 156 → कार्यकाल ⇒ 5 वर्ष (पद ग्रहण के दिन से)

→ त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति को

→ हटाता कौन है? ⇒ राष्ट्रपति (केंद्र सरकार की सलाह पर)

⇒ इस अवधि के पूर्व वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने पद से मुक्त हो सकता है।

Before this period, he can resign from his post by submitting his resignation to the president.

⇒ कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह उस समय तक अपने पद पर बना रहता है, जब तक कि उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति पद ग्रहण

नहीं कर लेता है।
Even after the term ends, he continues to hold his post until another person takes his place.

राज्यपाल की अर्हतायें [Qualifications of Governor]

⇒ अनु॰ 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए दो योग्यताए होनी आवश्यक है। प्रथम ①, वह भारत का नागरिक हो और द्वितीय ②, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो।
According to Article 157, two qualifications are necessary for appointment to the post of Governor. First, he should be a ① Citizen of India and Second, his ② age should be more than 35 years

⇒ तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की तिथि से उस सदन में उसका स्थान (seat) रिक्त समझा जाता है तथा वह कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है (अनु॰ 158)
Then, from the date of his appointment to the post of Governor, his seat in that House is considered vacant and he cannot hold any office of profit (Article 158).

① Art-158 ⇒ राज्यपाल - MP ✗ / MLA ✗ / MLC ✗
संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो।

लेकिन अगर हो तो ?
⇓
नियुक्ति के दिन से उस सदन में उसका पद रिक्त हो जायेगा जिसका वह सदस्य था।

राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान [Oath or Affirmation by the Governor]

⇒ अनु. 159 राज्यपाल उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा।

Article 159 The Governor shall make and subscribe the Oath or affirmation before the Chief Justice of the High Court of the state.

Art. 159 ⇒ Oath of Governor (राज्यपाल की शपथ)
↳ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश शपथ दिलाते है।

राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते [Salary and Allowances of the Governor]

निर्धारण संसद विधि द्वारा करती है। राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते, राज्य की संचित निधि [Consolidated fund of state] से दिये जाते है। Art. 266

The parliament makes, the determination through law. The Governor's salary and allowances are paid from the Consolidated Fund of the State.

⇒ 3.5 लाख रु० / Per month / प्रत्येक माह

राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य [Powers and Function of Governor]

कार्यपालिका शक्तियां
Executive Powers

① Art. 154 (1)

नियुक्ति (राज्यपाल द्वारा) ⇒ CM, State COM (मंत्रिपरिषद्)
राज्यनिर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग (SPS) के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य वित्त आयोग, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, महाधिवक्ता etc.

कार्यपालिका शक्तियां [Executive Powers]

⇒ अनु० 154 (1) के अनुसार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या

अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा।'

According to Article 154 (1), 'the executive power of the State shall be vested in the Governor and he shall exercise it either directly or through officers subordinate to him in accordance with the Constitution.'

⇒ राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है

The governor appoints high officials of the State.

विधायी शक्तियां [Legislative Powers]

⇒ अनु॰ 174 के अनुसार - राज्यपाल, राज्य विधान मण्डल के एक या दोनों सदनों का समय-समय पर अधिवेशन (सत्र) बुला सकता है तथा उसका सत्रावसान (Prorogue) कर सकता है;

According to Article 174- The Governor can call a session of one or both the Houses of the State Legislature from time to time and can prorogue it;

End of Session (सत्र का अंत)

1, वर्ष में 2 सत्र आवश्यक है

1st Session —— IInd Session

maximum Gap - 6 Months

(A) → राज्य
(B) → राज्य
① राज्यपाल ⇒ वेतन 3.5 Lakh's

वेतन ⇒ उसका निर्धारण राष्ट्रपति दोनों राज्यों के मध्य अनुपात (Ration) में बांट देंगे।

(3.5) → 50 : 50
40 : 66
30 : 76

राज्यपाल विधानसभा को विघटित (Dissolve) भी कर सकता है किसी सदन या सदनों को संदेश (Message) भेज सकता है (अनु. 175)। प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरम्भ में, विधानसभा में (तथा जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां एक साथ समवेत दोनों सदनों में) विशेष अभिभाषण करता है (अनु. 176)।

The Governor can also dissolve the Legislative Assembly and send a message to any House or Houses (Article 175.) At the beginning of the first session of each year, he makes a special address to the Legislative Assembly (and in States where there is a Legislative Council, to both the Houses assembled together) (Article 176)

rojgar with ankit

Art. 176 ⇒ राज्यपाल ⇒ विधानसभा (Legislative Assembly) और जहां विधानपरिषद् है, वहां दोनों में अभिभाषण दे सकते हैं।
(Addressed)

① → जब नयी विधानसभा की प्रथम बैठक

② → नये साल की प्रथम बैठक में

POLITY

अध्यादेश जारी करने की शक्ति [Power to promulgate Ordinances]

Art. 213 → राज्यपाल द्वारा अध्यादेश (Ordinance) जारी किया जाता है।

जारी क्यों? ⇒ जब विधानमंडल के दोनों सदन या दोनों में से कोई एक सदन सत्र में न हो।

अनुमोदन [Approval] → विधान सभा (Legislative Assembly) और विधानपरिषद् (जहां पर यह है।) का अनुमोदन।

28 → राज्य
6 → राज्य → विधानसभा
विधानपरिषद्
22 राज्य - विधानसभा

⇒ पुनः समवेत (Reassemble) / दोबारा बैठक के दिन) से 6 सप्ताह के अंदर = (within 6 weeks)

⇒ बिना अनुमोदन के अध्यादेश की अधिकतम अवधि [Maximum Duration of Ordinance without Approval]

6 months 6 सप्ताह (weeks)

वित्तीय शक्तियाँ [Financial Powers]

⇒ वित्त मंत्री द्वारा 'वार्षिक आय-व्यय का अनुमानित विवरण' अर्थात् 'बजट' विधान मण्डल के समक्ष रखवाता है (अनु० 202)

The finance minister places the 'Estimated Statement of Annual Income and Expenditure' i.e. 'Budget' before the Legislature (Article 202).

बजट → पेश - वित्त मंत्री

⇓

राज्यपाल के कहने पर

⇒ राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधान सभा में पेश किया जाता है।

The money bill is introduced in the Legislative Assembly only with the permission of the Governor.

राज्य सरकार की 'आकस्मिक निधि' पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है।

The Governor has Control over the 'Contingency fund' of the State government.

न्यायिक शक्तियां [Judicial Powers]

अनु० 161 - किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किये गये किसी व्यक्ति के दण्ड को क्षमा (Pardons) करने उसका प्रविलम्बन (Reprives) करने, विराम (Respites) या परिहार (Remissions) करने की अथवा दण्डादेश के निलम्बन, या लघुकरण (Commute) की शक्ति है। राज्यपाल को मृत्युदण्ड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है।

Article-161 - Powers to pardon, reprieve, remit or remit the punishment of any person convicted of any crime or to suspend or commute the sentence. Governor does not have the power to pardon a person sentenced to death.

संसद - Parliament

संघीय विधायिका : संसद [The Union Legislature : Parliament]

भारतीय शासन प्रणाली का दूसरा आधार स्तम्भ संघीय विधायिका या संसद है। इसका उपबंध संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 79 से 122 के अन्तर्गत किया गया है।

The Second pillar of the Indian System of governance is The federal legislature or parliament. Its provision has been made in Chapter - 2 of part - 5 of the Constitution under Articles 79 to 122

भारतीय लोकतंत्र → संघ / राज्य

Indian Democracy ⇒ ③ स्तंभ (Pillar)

① कार्यपालिका (executive)
② विधायिका (Legislative)
③ न्यायपालिका (Judiciary)
④ मीडिया

संघीय विधायिका → संसद [Parliament]

Union legislative

Part (भाग) → V

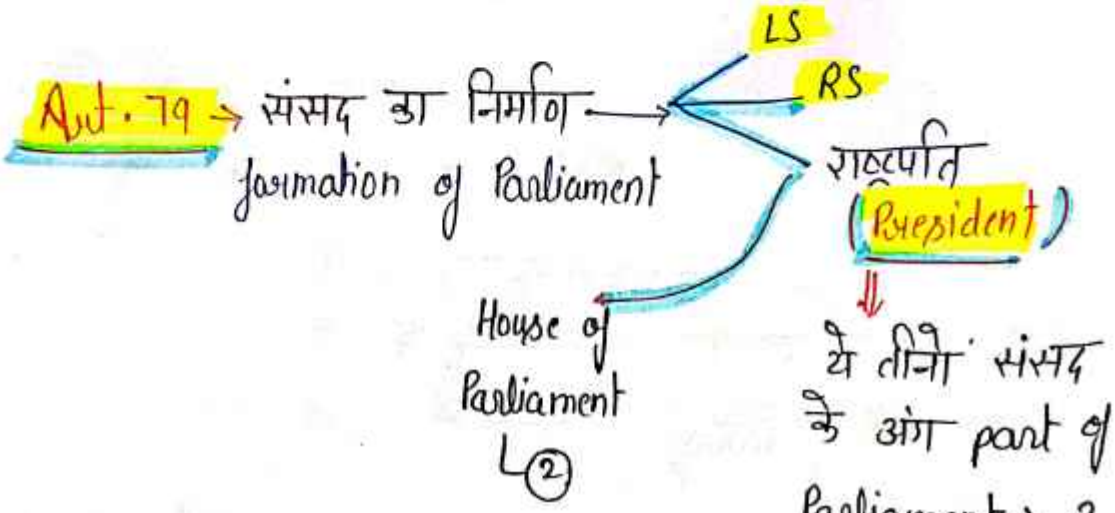
Art (अनु०) ⇒ 79 - 122

अनुच्छेद - 79 में कहा गया है, 'संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः 'राज्य सभा' (Council of State) और 'लोक सभा' (House of the people) होंगे।

Council of State → राज्यों की परिषद्

House of the people → जनता का सदन

Article 79 says, 'There shall be a parliament for the Union Consisting of the president and two Houses of parliament, to be called respectively the Council of State and the House of the people.



लोकसभा [House of the People]

लोकसभा का गठन - लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के अनु० 81 में किया गया है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गयी थी,

LS → गठन → Art. 81

सदस्यों से ⇒ मूल संविधान (Original Constitution) = 500

⇓

MP's

7CA 1956 ⇒ 500 से बढ़ाकर - 525

31 CA 1973 ⇒ 525 - 545

545
- 2
543

वर्तमान में सदस्य संख्या ⇒ 543, वर्तमान में सीटों की संख्या ⇒ 545

104 CA 2019 – 2 Anglo-Indian's → LS में मनोनित → by the President राष्ट्रपति द्वारा
2 आंग्ल भारतीय Nominate in LS
⇓ Art. 331

2 आंग्ल-भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जायेगा।

X

550 → LS की अधिकतम सदस्य संख्या
552 → LS की अधिकतम सीटें

→ 84 वां CA 2001 ⇒ LS/RS/विधानसभा (LA) विधानपरिषद् (LC)
⇓
इन सभी की सीटें की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक के लिए निश्चित (fixed) कर दी गयी

सदस्य संख्या
↳ वर्तमान ⇒ 543
सीटों की संख्या " ⇒ 545.

अधिकतम सदस्य ⇒ 550
सीट ⇒ 552

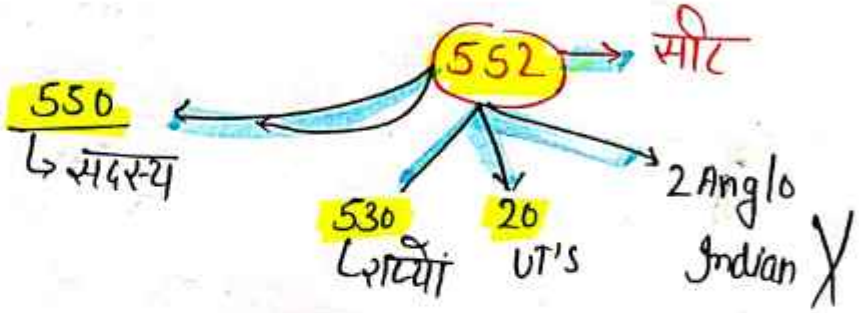
लेकिन समय-समय पर इसमें वृद्धि की गयी 7 वां संविधान संशोधन अधि० 1956 द्वारा राज्यों का पुनर्गठन करते हुए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 निश्चित की गयी। पुनः 31 वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गयी।

But it was increased from time to time and by the 7 Constitutional Amendment Act 1956. while

Reorganizing the States, the maximum number of members of Lok Sabha was fixed at 525. Again, by the 31st Constitutional Amendment 1973 the maximum number of members of Lok Sabha was increased from 525 to 545.

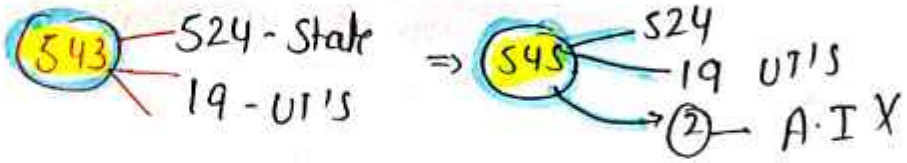
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the constituencies of the States and 20 members from the union territories



524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104 वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।

104 CA 2019



524 members from the States and 19 members from the Union territories. The 104 th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and State assemblies from January 25, 2020

104 CA 2019

4 जाए - 25 Jan. 2020

POLITY

LS ⇒ 500 सीट / सदस्य
↓
500 - 525 ⇒ 7वां 1956
- सीट / सदस्य ⇒ 1971 की जनगणना के आधार वर्ष पर
- निश्चित (fixed) ⇒ 84 वां CA 2001 ⇒ 2026 तक सीटों की संख्या निश्चित

545
- राज्य 524
- केंद्र शासित प्रदेश 19
- 2 Anglo-Indians (आंग्ल भारती) ⇒ मनोनीत (Nominat
  ↓
  राष्ट्रपति द्वारा Art. 331

524
19
2
- 104 CA 2019 ⇒ इसमें कहा गया कि LS में आंग्ल-भारतीय सदस्यों अब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत नहीं किया जायेगा। ⇒ लागू - 25 Jan. 2020

545 ⇒ 1973
- वर्तमान में सीट ⇒ 545

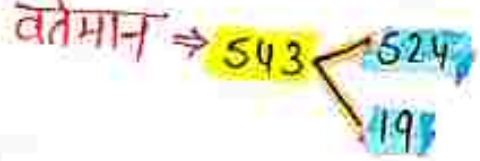
-2
543
- वर्तमान सदस्य संख्या ⇒ 543

Max सीट ⇒ 552
Max - सदस्य ⇒ 550

लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किये जा सकेंगे।

The maximum number of members in Lok Sabha can be 550. Out of these, a maximum of 530 members can be elected from the Constituencies of the States and 20 members from the Union territories.





524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघीय 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25, जनवरी, 2020 से लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय के मनोनयन को समाप्त कर दिया है।

524 members from the States and 19 members from the Union territories. The 104th Constitutional Amendment has abolished the nomination of Anglo-Indians in the Lok Sabha and State assemblies from January 25, 2020.

Art. 330 → SC / ST → Reservation आरक्षण → LS में

Art. 332 → SC / ST → Reservation आरक्षण → विधानसभा में
legislative Assembly

⇒ शुरुआत में SC / ST को LS और VS में आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए दिया गया था, लेकिन समय - समय पर इसे बढ़ाया गया।

⇒ 104 CA 2019 के द्वारा SC / ST के आरक्षण को 2020 से बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया है। (10 वर्षों के लिए)
⇒ लागू ⇒ 25 Jan. 2020

SC एवं ST का आरक्षण - अनुच्छेद 330 - 104 वें संविधान संशोधन (2019) द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
Reservation of SC and ST - Article 330 104th Constitutional Amendment (2019) The provision regarding reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes in the Lok Sabha has been extended till 2030.

→ इसी संशोधन द्वारा विधानसभा में आंग्ल - भारतीय सदस्य जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Art. 333) में मनोनीत किया जाता था उसे समाप्त कर दिया।

संविधान की इस व्यवस्था के अन्तर्गत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 निश्चित की गयी 84 वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा 2026 तक लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या 543 ही रहेगी।

Under this provision of the Constitution, the number of elected members of the Lok Sabha was fixed at 543 on the basic of the 1971 Census. By the 84th Constitutional Amendment in 2001, the total number of Lok Sabha members will remain 543 till 2026.

सदस्यों का निर्वाचन [Election of Members]

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। पहले 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता था, किन्तु संविधान के 61 वें संशोधन 1989 द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी है।

The members of Lok Sabha are directly elected on the basis of adult Suffrage. Earlier, a person attaining the age of 21 years was Considered an adult, but by the 61st amendment of the Constitution

in 1989, the age of Voting has been reduced from 21 years to 18 years.

(LS) के सदस्यों का निर्वाचन

(1) प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) → मतदाता (Voters) = जनता

↓

पहले मतदान की न्यूनतम आयु ⇒ 21 वर्ष थी।

लेकिन 61CA 1989 → मतदान की आयु घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गयी।

18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक

Art. 326 ⇒ कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक आयु का है, मतदान कर सकता है।

कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है; लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, यदि वह चित्तविकृत, अनिवास, किसी अपराध या भ्रष्ट आचरण के आधार पर संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन मत देने से अयोग्य न हो (अनु० 326)।

Any person who is a citizen of India and is 18 years of age of above can vote in an election to the Lok Sabha if he is not disqualified from voting under any law made by Parliament

On the grounds of unsoundness of mind, non-residence Conviction of any offence or Corrupt practice (Article-326

सदस्यों की अर्हताएं [Qualification of Members]

लोकसभा तथा राज्य सभा सदस्यों की अर्हताएं अनु० 84 में दी गयी है।

The qualifications for members of Lok Sabha and Rajya Sabha are given in Article. 84.

(i) भारत का नागरिक है। is a Citizen of India.

(ii) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है। is at least 25 years of age

⇒ LS, RS का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु [minimum Age] 30 years वर्ष होनी चाहिए।

(iii) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष अनुसूची तीन में विहित प्रारूप में शपथ लिया है, has taken Oath in the form prescribed in Schedule III before a person authorized by the Election Commission,

Oath (शपथ) → अनुसूची - 3 में

↳ Art. 99 के द्वारा LS/RS के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।

(iv) उसके पास ऐसी अन्य योग्यतायें है जो संसद द्वारा बनायी गयी विधि के तहत निर्धारित की गयी है।
→ पागल न हो (Do not unsound mind)
→ दिवालिया न हो (Do not Insolvent)

He possesses such other qualifications as may be prescribed by law made by parliament
→ दल बदल कानून लागू न हो
→ लाभ के पद पर न हो

सदस्यों की निरर्हताएं [Disqualification Members]

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है
holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution.

(ii) यदि वह विकृतचित्त है दिवालिया है; (पागल)
if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है if he is not a citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य है (दल-बदल कानून लागू हो)
if he is disqualified under the anti-defection law

Q⇒ दल-बदल क्या होता है?

→ 10th Schedule (अनुसूची)

→ 52 CA 1985 द्वारा जोड़ा है।

(a) यदि वह उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छया छोड़ देता है।

If he Voluntarily leaves the membership of that political party → जिसका वह सदस्य था।

(आया राम गया राम)

(b) यदि वह उस राजनीतिक दल द्वारा दिये गये निर्देशों के विरुद्ध सदन में मतदान करता है या नहीं करता है।

if he votes or does not vote in the House against the instructions given by that political party.

(c) जब कोई निर्दलीय सदस्य निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

When an independent member joins a political party after election X 2 LS 12 RS

(d) यदि कोई मनोनीत (Nominated) सदस्य शपथ ग्रहण के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है।

if a nominated member joins a political party 6 months after taking oath.

अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का विनिश्चय

[Decision on disqualification questions]

अनु॰ 103 (अनुच्छेद 102 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चत के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, ex. मोहन → MP

Article 103 (whether a person has become subject to any of the disqualifications mentioned in Article. 102 or not, the question shall be referred to the president for decision and his decision shall be final.

Disqualification

निर्योग्यता ⇒ प्रश्न ? → मोहन

इसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा कि मोहन योग्य है. निर्योग्य, और निर्णय अंतिम होगा। Art. 103

⇓ MP बनने के बाद

⇓

राष्ट्रपति इस विषय में अपना निर्णय देने से पहले भारत के निर्वाचन आयोग से परामर्श करते है।

Art. 103

Polity

राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार कार्य करेगा दल-बदल के आधार पर संसद सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा तथा राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है।

The president will take the opinion of the Election Commission and will act according to its opinion. The decision on the disqualification of members of Parliament on the basis of defection is taken by the Speaker in the Lok Sabha and by the Chairman in the Rajya Sabha.

Q ⇒ निर्योग्यता
Disqualification

? ⇒ प्रश्न - दल-बदल

कोई सदस्य निर्योग्य होगा या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा लिया जाता है।

कार्यकाल (LS) ⇒ 5 वर्ष / years' (प्रथम बैठक के दिन से)

Tenure ⇒ 5 वर्ष पुर्व भंग - राष्ट्रपति द्वारा PM की सलाह पर
↳ हाँ, yes → राष्ट्रीय आपातकाल के समय

कार्यकाल [Tenure]

अनु० 83 (2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होता है। परन्तु इस अवधि के पूर्व भी प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है।

According to Article 83 (2), the term of the Lok Sabha is 5 years from the date of its first meeting. However, even before this period, it can be dissolved by the president on the advice of the prime minister.

आपातकाल की घोषणा लागू होने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक न होगी। उल्लेखनीय है When the proclamation of emergency is in effect, the parliament can by law extend the term of the Lok Sabha, which shall not exceed one year at a time. It is noteworthy.

कि दूसरी आपात उद्घोषणा के कारण पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल दो बार एक-एक वर्ष के लिए (18 मार्च 1976 से 18 मार्च 1977 एवं 18 मार्च 1977

से 18 मार्च 1978 तक) बढ़ाया गया था (1975-III, 1971-II)
That due to the second emergency proclamation, the term of the fifth Lok Sabha was extended twice for one year each (from 18 March 1976 to 18 March 1977 and from 18 March 1977 to 18 March 1978

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [Oath taking by members]

Article 99 अनुच्छेद 99 -

↳ LS या राज्यसभा सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है

शपथ ⇒ Schedule - 3
अनुसूची - 3

(18) वीं लोकसभा ← नये (MP)
↳ प्रोटेम स्पीकर ⇒ भर्तृहरि मेहताब

⇒ **प्रोटेम स्पीकर** (अस्थायी / Adhoc) ⇒ कार्यकाल ⇒ सदस्यों के शपथ ग्रहण तक अपने पद पर रहते हैं।
↳ नियुक्ति ⇒ राष्ट्रपति

अधिवेशन व गणपूर्ति [meeting and quorum]

अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति (Quorum) सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना आवश्यक है

To Constitute a session a quorum of 1/10 th of the total number of members of the House is required.

LS → LS के कुल सदस्यों x 1/10

अधिवेशन / सत्र (Session) → LS / RS / विधानसभा (LA) / विधानपरिषद् (LC)

बैठक (meeting) → Quorum

गणपूर्ति (बैठक के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या)

⇒ अगर कोरम पूरा न हो तो LS अध्यक्ष / RS के सभापति बैठक को निलंबित Suspend कर सकते हैं।

LS के सदस्य होते हैं।

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष (Speaker & Deputy Speaker) → Art 93-97

⇒ अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है।

⇒ लोकसभा की प्रथम बैठक में इन्हें चुना जाता है। Choose

⇒ कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष

लोकसभा अध्यक्ष नयी लोकसभा की प्रथम बैठक तक अपने पद पर रहता है।

⇒ त्यागपत्र ⇒ अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को।

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष ⇒ दोनों को हटाने का तरीका एक है।

हटाता कौन है? ⇒ 14 दिन पूर्व सूचना (Before 14 days - Notice)

→ प्रस्ताव LS में पेश

→ प्रस्ताव पर चर्चा

→ प्रस्ताव पारित – साधारण बहुमत Simple Majority

उपाध्यक्ष का कार्य ⟹ जब अध्यक्ष का पद किसी कारण रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हो, तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।

Q→ अगर दोनों का पद रिक्त हो?
तब राष्ट्रपति LS के किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त करेंगे।

Q→ अगर दोनों अनुपस्थित हो?
तब LS के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष चुनेंगे।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष [The Speaker and Deputy Speaker]

अनुच्छेद 93-97 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष (Speaker) और एक उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का चुनाव करती है

Articles 93-97 are about the Speaker and Deputy Speaker. According to Article 93, the Lok Sabha Choose a Speaker and a Deputy Speaker from among its members in its first meeting.

अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग-पत्र अध्यक्ष को देता है। उन्हें लोकसभा के तत्कालीन - समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है।

Present's voting X 50% +1

The Speaker gives his resignation to the Deputy Speaker and the Deputy Speaker gives his resignation to the Speaker. They can be removed from their post by a resolution passed by a majority of all the them members of the Lok Sabha.

उस संकल्प को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसे भी हटाना हो न दे दी गई हो। लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा।

The intention to move that resolution has not been given at least 14 days' notice to the Speaker or Deputy Speaker, whoever is to be removed The Speaker shall remain in his office until immediately before the first Session of the lok Sabha.

लोकसभा के अध्यक्ष रूप में अलग से कोई शपथ नहीं दिलायी जाती है। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता है।

No Separate Oath is administered as the Speaker of the Lok Sabha. Hence, no one administers the Oath to the Speaker of the Lok Sabha

राष्ट्रपति - Art 99

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष की शपथ ⇒ ये दोनों MP के रूप में अनुसूची - 3 के अनुसार शपथ लेते हैं।

⇒ इनकी अलग से कोई शपथ नहीं होती।

सदस्यों की निरर्हताएं (Disqualification Members)

(i) संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 102 कोई लाभ का पद धारण करता है

holds any office of profit under Articles 101 and 102 of the Constitution

अयोग्यताएं

पद रिक्त का कारण

(ii) यदि वह विकृतचित है दिवालिया है;
if he is of unsound mind or insolvent;

(iii) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है। if he is not a Citizen of India

(vi) यदि वह दल-बदल कानून के तहत अयोग्य हो
If he is disqualified under the anti-defection law

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य [Power and function of the Speaker]

→ वह लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है
He president over the meeting of the lok Sabha.

→ वह सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। He is responsible for maintaining peace and order in the House.

→ वह दल-बदल के आधार पर अयोग्यता सम्बन्धी प्रश्नों का निर्णय करता है। सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है।
He decides questions related to disqualification on the basis of defection.

लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन में वही अध्यक्षता करता है। He presides over the joint session of Lok Sabha and Rajya Sabha
↳ बुलाता कौन है → राष्ट्रपति

कोई विधेयक धन-विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय अध्यक्ष ही करता है। The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

पक्ष ← 50:50 → विपक्ष 60:40

सदन में पक्ष-विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह 'निर्णायक मत' (Casting Vote) देता है, अनु. 100 (1)
In case of an equal number of votes in the House, he casts the casting vote. Article 100 (1)

(LS)

प्रथम अध्यक्ष ⇒ जी० वी० मावलंकर
प्रथम महिला अध्यक्ष ⇒ मीरा कुमार
II " " ⇒ सुमित्रा महाजन
वर्तमान में ⇒ ओम बिड़ला

Polity

राज्यसभा [Council of State]

राज्य सभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन है। इसमें राज्यों के सदस्य होते हैं। ये सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Rajya Sabha is the Second or upper house of the Indian Parliament. It Consists of members from the States. These members represent the States and union territories.

Art. 80 ⇒ राज्यसभा

- उच्च सदन (Upper House), निम्न सदन (Lower House) - LS
- स्थायी सदन (Permanent House), अस्थायी सदन Temporary House ⇒ LS
- द्वितीय सदन (IInd House), प्रथम सदन (first House) ⇒ LS
- राज्यों का सदन (House of States) या or राज्य की परिषद् (Council of States)
- House of the people (जनता का सदन) LS
- प्रसिद्ध सदन famous House ⇒ LS

Art-80 - राज्यसभा का गठन (Composition of RS)
↳ सदस्यों से

Maximum Members (अधिकतम सदस्य) ⇒ 250 — 238 (States + U.T's); 12 ⇒ Nominated (मनोनीत) = Art. 80 ⇓ By the president राष्ट्रपति द्वारा

कला ⇒ Art
साहित्य ⇒ Literature
विज्ञान ⇒ Science
समाज सेवा ⇒ Social Service

वर्तमान (Present)

245 members सदस्य — 233 (States + U.T's); 12 ⇒ Nominate (मनोनीत)

28 States

→ 3 ⇒ U.T's ⇒ Delhi, puducherry, J.k

राज्यसभा का गठन (Composition of Rajya Sabha)

अनु॰ 80 में यह उपबन्धित किया गया है कि राज्यसभा में अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जायेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और समाजसेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से मनोनीत किये जायेंगे वर्तमान में राज्य सभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है।

सदस्यों का निर्वाचन (Election of members)

राज्यसभा में राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों

द्वारा किया जाता है।

The members of the States and union territories in the Rajya Sabha are elected representatives of the Legislative Assemblies.

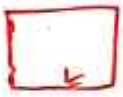
सदस्यों का निर्वाचन [Election of members] ⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

↳ Voters (मतदाता) ⇒ elected MLA's (निर्वाचित विधायक)

कार्यकाल [Tenure] ⟶ राज्यसभा सदस्यों का

संविधान के अनु. 83 (1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती है, बल्कि इसके एक सदस्य हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं इस प्रकार हर सदस्य 6 वर्ष तक राज्यसभा का सदस्य रहता है। (245) → 1/3 members, every 2 years

According to Article 83 (1) of the Constitution, the Rajya Sabha is a permanent house. It is never dissolved, but one-third of its members retire at the end of every second year. In this way, every member remains a member of the Rajya Sabha for 6 years.



(245) 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण

राज्यसभा का सदस्य (MP) ⇒ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र (Resignation) ⇒ सभापति (Chairman)

⇒ लोक सभा सदस्य त्यागपत्र ⇒ लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of LS)

सभापति और उपसभापति [Chairman & Deputy Chairman]

राज्यसभा के दो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं- सभापति (Chair-man) और उपसभापति [Deputy Chairman]

भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है,

These are two main officials of Rajya Sabha - Chairman and Deputy Chairman. The Vice president of India is the ex-officio chairman of Rajya Sabha

→ Art. 89-92

सभापति [Chairman] = उपराष्ट्रपति

- RS के सदस्य नहीं होते
- इनका निर्वाचन होता है।
- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

सभापति के कार्य [Function of Chairman]

(1) राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

(2) सदन में शांति व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व होता है।

(3) असंसदीय भाषा [Unparliamentary Language] के प्रयोग पर सदन में रोक लगाते हैं।

(4) दल-बदल के आधार पर सदस्य पर निर्योग्यता (Disquality) के प्रश्न का निर्धारण करते हैं।

(5) मत बराबर आने पर निर्णायक मत (Casting Vote) का प्रयोग करते हैं।

(6) राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।

उपसभापति [Vice-Chairman]

- राज्य सभा के सदस्य होते हैं।
- इन्हें RS के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना (choose) जाता है।
- कार्यकाल -(Tenure] = 6 वर्ष
- त्यागपत्र ⇒ सभापति को देते हैं

⇒ उपसभापति को कैसे हटाया जाता है?

⇓

= जैसे सभापति को हटाया जाता है वैसे ही।

उपसभापति का कार्य → Function of Vice-Chairman

जब सभापति का पद किसी कारण रिक्त (Vaccant) हो या वे अपने पद पर अनुपस्थित (Absent) हों तब उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करते हैं।

अनु० 89 राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति का पद रिक्त होने पर उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, सभापति के कर्त्तव्यों का पालन करता है।

Article. 89 The Rajya Sabha elects one of its members as Deputy Chairman for 6 years. When the post of Chairman is vacant, the Deputy Chairman performs the duties of the Chairman in his absence.

उपसभापति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है। उपसभापति किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो सभापति को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है। साधारण बहुमत (Simple Majority)

The Deputy Chairman can be removed by passing a resolution by a majority of all the then members of the Rajya Sabha. The Deputy Chairman can resign his post at any time by writing under his signature addressed to the Chairman.

LS/RS सदस्यों की पद रिक्ति ⇒ Art 101

1. त्यागपत्र के कारण
2. मृत्यु हो जाये / इन्हें पद से हटा दिया जाये।
3. जब इन्हें निर्योग्य (Disqualify) घोषित कर दिया जाये
4. दल-बदल कानून लागू हो जाये।

अनुच्छेद 101 (4) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य सदन की बैठकों में 60 दिन से अधिक लगातार सदन की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है।

According to Article 101 (4) a member of either House of parliament ceases to be a member if he is absent from any sitting of the House for a continuous period of more than Sixty days without the permission of the House.

(A) → (MP) / MLA / MLC

संसदीय विशेषाधिकार [Parliamentary Privileges]

अनुच्छेद - 105 संसद सदस्यों को, संसद के अधिवेशन के दौरान या अधिवेशन के 40 दिन पूर्व या पश्चात् किसी सिविल मामले में गिरफ्तार नहीं किया जायेगा। यह छूट आपराधिक मामलों में प्राप्त नहीं है।

Article 105 members of parliament shall not be arrested in any civil case during a session of parliament or 40 days before or after the session. This exemption is not available in Criminal Cases (40) पहले / बाद → अधिवेशन → MP's LS/RS

किसी संसद सदस्य को, संसद के अधिवेशन के दौरान यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति की अनुमति के बिना किसी न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जायेगा।

No member of parliament shall be compelled to appear as a witness before any Court during a session of parliament without the permission of the Speaker or the Chairman, as the case may be.

MP

Polity

संसद की विधायी प्रक्रिया

[Legislative procedure of the parliament]

साधारण विधेयक संबन्धी प्रक्रिया साधारण विधेयक सरकार के किसी मंत्री या संसद के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है

Procedure regarding Ordinary Bill An ordinary Bill can be introduced in either House of parliament by a Minister of the Government or a Member of parliament or a Member of parliament.

Bill विधेयक

- सरकारी (Govt.) ⇒ जब बिल मंत्री द्वारा पेश
- गैर-सरकारी (Non-Govt) ⇒ जब बिल किसी MP के द्वारा पेश

साधारण विधेयक [Ordinary Bill] ⇒ पेश [Introduced] ⇒ संसद के किसी भी सदन में [Either House of Parliament]

ex ⇒ पेश ⇒ (RS / LS) में पेश (Introduced in LS)

⇒ चर्चा (Debate) → LS के सदस्य (MP)

पारित (Pass) ⇒ LS के सदस्यों द्वारा पारित (MP)

॥

साधारण बहुमत (Simple Majority)

RS - पेश
LS → चर्चा
→ पारित (Pass) → साधारण बहुमत → Pass होकर → राष्ट्रपति
अथवा or
→ अस्वीकार [Reject]
→ संशोधन कर सकती है जिसमें LS सहमत न हो
→ 6 माह तक बिल को अपने पास रख सकती है।
साधारण विधेयक पर LS और RS के मध्य विवाद (Dispute)
हस्ताक्षर (Signature)
Act/Law

⇒ साधारण विधेयक पर LS और RS के मध्य विवाद होने पर
⇒ राष्ट्रपति संयुक्त बैठक (Joint Session) बुलाते है। → Art. 108

संयुक्त बैठक ⇒ अध्यक्ष → Speaker of LS (LS के अध्यक्ष X
या or
→ Deputy Speaker (उपाध्यक्ष) X
या or
⇒ Vice - Chairman of RS X
RS के उपसभापति
या or
संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को इस बैठक का अध्यक्ष चुन लेते है।
Choose

3 बार
→ संयुक्त बैठक में भी Bill साधारण बहुमत से पारित
→ Quorum (गणपूर्ति) को बैठक से पहले चैक किया जाता है।
(RS X 1/10 / LS X 1/10)

विधेयक	वर्ष	प्रधानमंत्री
1. दहेज प्रतिषेध विधेयक, 1960	1961	जवाहर लाल नेहरू
बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक	1978	मोरारजी देसाई
आतंकवाद निरोधक अध्यादेश 202	202	अटल बिहारी वाजपेयी

धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया
[Procedure for passing a Money Bill]

धन विधेयक को संविधान के अनु॰ 110 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है तथा उसे पारित करने के लिए अनु॰ 109 के तहत विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। अनु॰ 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।

Money Bill is defined under Article 110 of the Constitution and Special procedure is provided under Article 109 for its passing. According to Article 109, Money Bill cannot be introduced in Rajya Sabha.

Money Bill (धन विधेयक) – परिभाषा (Defination) → Art. 110

→ इस बिल की विशेष प्रक्रिया (Special Procedure) Art. 109 में है।

→ Art. 109 → धन विधेयक केवल ① LS में पेश होगा, RS में यह कभी पेश नहीं होता ⇓ पहले

इस बिल की शुरुआत LS से होती है।

↳ धन विधेयक लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। (Money Bill Introduced in LS but After Approval of President)

② चर्चा (Debate) ③ LS से पारित → (RS) → RS इस बिल को केवल 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है।

⇒ 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा इस बिल को पारित नहीं करती, तो यह बिल दोनों सदनों (LS or RS) द्वारा पारित माना जाता है।

⇒ राष्ट्रपति ⇒ धन विधेयक पर राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो [Suspension Veto] का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अंकी अनुमति से ही बिल LS में पेश होता है

⇒ आत्यंतिक वीटो

⇒ पॉकेट वीटो

संविधान संशोधन विधेयक [The Constitution Amendment Bill]

संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

Can be Introduced in either House of the parliament.

LS/RS में से किसी भी सदन में पेश।

ex. (RS) – (1) संविधान संशोधन विधेयक ⇒ (1) RS में पेश
(2) चर्चा
(3) पारित ⇒ विशेष बहुमत (2/3 बहुमत)

(LS) → (1) पेश
(2) चर्चा
(3) पारित – विशेष बहुमत (2/3 Majority) → राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (Signature)

अस्वीकार (Reject) + संशोधन करें जिससे RS सहमत न हो / 6 माह तक अपने पास रखें → बिल समाप्त

⇒ राष्ट्रपति संशोधन बिल का दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है।

⇒ राष्ट्रपति इस बिल पर किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 24 वां CA 1971 के द्वारा उन्हें इस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया है।

संविधान संशोधन की प्रक्रिया
Procedure of Constitution Amendment

Part (भाग) – XX (20), Art. 368

↳ प्रेरित (Inspired) दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

(I) साधारण बहुमत
⇓
इस बहुमत से संविधान में संशोधन नहीं होता। ex. →

(I) उत्तराखंड, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, तेलगाना, विधान परिषद का निर्माण etc

rojgar with ankit

[2] विशेष बहुमत [Special Majority] ⇒ सबसे अधिक संशोधन संविधान में इसी बहुमत से।

[3] विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति

Special Majority + Ratification of half States

ex. Art. 55, 54, 368 etc

Polity

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

[Annual Financial Statement (Budget)]

अनुच्छेद 112 'वार्षिक वित्तीय विवरण' अथवा 'बजट' के बारे में है। (2017 के पूर्व भारत में दो तरह के बजट पेश किये जाते थे.

Article 112 is about the 'Annual Financial Statement' or 'Budget' (Before 2017, two types of budgets were presented in India -

Art. 112 → परिभाषा (Definition) → वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

⇒ वित्त मंत्री द्वारा प्रत्येक वित्तीय प्रत्येक (every financial year) (1 April - 31 March)

→ बजट को राष्ट्रपति के कहने पर लोकसभा में पेश किया जाता है।

→ बजट ← आय (Income)
व्यय (expenceses)

→ पहले रेल बजट और आम बजट को अलग-अलग पेश किया जाता था।

→ 2017 में इन दोनों (रेल + आम बजट) का विलय (Merge) करके 'आम बजट' नाम दिया गया।

⇒ भारतीय बजट का पिता → जेम्स विल्सन (1860 में भारत का पहला बजट पेश)

⇒ स्वतंत्र भारत का बजट पेश → आर० के० षणमुखम् चेट्टी

⇒ गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश → जॉन मथाई

⇒ बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री ⇒ इंदिरा गांधी

⇒ भारत की पहली पूर्णकालिक (full tenure) महिला वित्त मंत्री ⇒ निर्मला सीतारमण

⇒ सबसे अधिक बार बजट पेश ⇒ मोरारजी देसाई (10 बार)

II nd ⇒ निर्मला सीतारमण (7 बार)

रेल बजट तथा आम बजट वर्ष 2017 में श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया बजट में भारत सरकार की - आगामी वर्ष में आय और व्यय का विवरण तथा सरकार की वित्तीय नीतियों का उल्लेख होता है।

Railway Budget and General Budget In the year 2017, the Railway Budget was merged into the General Budget by the Narendra Modi Government. The budget Contains details of the income and expenditure

of the Government of India for the Coming year and the financial policies of the government.

विनियोग विधेयक [Appropriation Bill]

अनु॰ 114 में कहा गया है कि संचित निधि से कोई धन विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।

Article 114 States that no money can be withdrawn from the Consolidated Fund of India except through an Appropriation Bill.

भारत की संचित निधि → Control (नियंत्रण) → संसद → अनुमति (Permission)

प्रश्न काल [Question Hour]

कार्यवाही का प्रथम घण्टा (दोपहर 11 से 12 बजे तक) प्रश्न काल होता है राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सभी प्रकार के मामले पर जानकारी के लिए मंत्रिपरिषद् से प्रश्न पूछा जाता है।

The first hour of the proceedings (from 11 am to 12 noon) is Called Question Hour. Questions are asked to the Council of ministers for information on all

kinds of National and international matters.

कौन प्रश्न पूछता है? ⇒ MP
प्रश्न किससे पूछा जाता है ⇒ मंत्री (minister)

यह प्रक्रिया सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में (1721 में) शुरू हुई थी। भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में शुरू हुई थी।
This process was first started in England (in 1721.) In India. the process of asking parliamentary questions was first started in the Indian Council Act of 1892.

(i) तारांकित प्रश्न (Stared Question)
* ↳ उत्तर (मौखिक)

(ii) अतारांकित प्रश्न (Unstared Question)
↳ उत्तर → लिखित (written)

(iii) अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Questions)
अल्प सूचना प्रश्न का सम्बन्ध किसी लोकमहत्व के तात्कालिक मामले से होता है;
Short notice question relates to an immediate matter of public importance;

शून्यकाल (Zero Hour) → 12-1 00:00-1

प्रश्न काल के तुरन्त बाद का एक घण्टे का समय शून्य काल कहा जाता है इसमें बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है इसे 'प्रश्न-उत्तर सत्र' भी कहा जाता है। भारतीय संसदीय प्रक्रिया में 'शून्यकाल' शब्द का उल्लेख नहीं है।

The one hour time immediately following the Question Hour is called Zero Hour. In this any question of public importance can be raised without prior notice. It is also called 'Question-Answer Session'.) The term 'Zero Hour' is not mentioned in the Indian parliamentary procedure.

चूंकि यह समय ठीक दोपहर 12 बजे (00 बजे) आरम्भ होता है अतः मीडिया द्वारा इसे शून्य काल नाम दे दिया गया है। इस प्रकार संसदीय व्यवस्था में शून्य काल भारत की देन है। इसका आरम्भ 1962 में किया गया तथा वर्तमान में शून्य काल के दौरान कुल 20 मामले उठाये जा सकते हैं.

Since this time starts exactly at 12 noon (00'0 clock) the media has named it Zero Hour. Thus, Zero Hour is India's Contribution to the parliamentary system. It was started in 1962 and currently a total of 20 Cases be raised during Zero Hour.

अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion)

भारत के संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा की कार्यवाही के साथ ही जुड़ा हुआ है इसे लोकसभा में विपक्षी दल या विपक्षी दलों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

No-Confidence motion is not mentioned in the Constitution of India. No-Confidence motion is associated only with the proceedings of the Lok Sabha. It is presented by the opposition party or opposition parties in the Lok Sabha.

(LS) → बहुमत प्राप्त (दल)
↳ सरकार

अविश्वास प्रस्ताव ⇒ किसके विरुद्ध पेश → सत्ताधारी दल (Ruller Party)
↳ सरकार के

⇒ पेश कौन ⇒ विपक्षी दल
(opposition Party)

इसे LS में पेश करने के लिए LS के 50 सदस्यों का समर्थन (Support) आवश्यक है।

⇒ अगर लोक सभा से पारित हो जाता है तो PM सहित मंत्रिपरिषद् को त्यागपत्र देना पड़ता है।

लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का अनुसमर्थन आवश्यक है इस प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रकट किया जाता है

The no-Confidence motion must be ratified by at least 50 members of the Lok Sabha. This motion expresses no Confidence in the Council of Ministers.

प्रस्ताव पर विचार - विमर्श पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष उसे लोकसभा में मतदान हेतु रखता है, और यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।

After the discussion on the proposal is Completed, the Speaker puts it to Vote in the Lok Sabha, and if this proposal is passed in the Lok Sabha then the Council of Ministers has to resign.

Majority (बहुमत) → LS में

सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू मंत्रिपरिषद के विरूद्ध 1963 में आचार्य कृपलानी द्वारा लाया गया था।

The first no-Confidence motion was brought against the Jawaharlal Nehru Cabinet by Acharya Kripalani in 1963.
⇒ आज तक यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ
⇒ अब तक 28 बार आ चुका है।

संसदीय समितियां (Parliamentary Committees)

भारतीय संसद का बहुत सा काम सदन की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समितियां वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य व अभिन्न अंग हैं संसदीय समितियां एक प्रकार से 'लघु संसद' के रूप में कार्य करती हैं
Much of the work of the Indian parliament is done by the Committees of the House, which are called parliamentary Committees. parliamentary Committees are an indispensable and integral part of the current system. parliamentary Committees function as a kind of 'mini parliament'

समितियां - 2 प्रकार
स्थायी समितियां (Permanent Committee) ↳ जो हमेशा कार्य करती है।
तदर्थ समितियां (Adhoc Comm.) ⇒ विशेष कार्य के लिए बनायी जाती है और कार्य समाप्त होने पर, समाप्त हो जाती है।

Polity

प्राक्कलन समिति [Estimates Committee]

संसद की स्थायी समितियों में यह सबसे बड़ी समिति है इस समिति का गठन सिर्फ लोकसभा में किया जाता है। इसमें लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

This is the largest Committee among the permanent Committees of the parliament. This Committee is formed only in the Lok Sabha. It has a total of 30 members of the Lok Sabha, members of the Rajya Sabha are not included in it.

प्राक्कलन समिति → स्थायी और वित्तीय समिति
Permanent and financial Committee

- यह संसद की सबसे बड़ी समिति है।
- इस समिति का गठन - 1950 में हुआ।
- इस समिति का गठन LS के 30 सदस्यों से होता है
- समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है।
- RS के सदस्यों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है।

इसे स्थायी प्रतिनिधित्व समिति भी कहते हैं।

सर्वप्रथम इस समिति का गठन तत्कालीन वित्तमंत्री जान मथाई की सिफारिश पर वर्ष 1950 में हुआ था। यह सरकारी अपव्यय रोकने की सिफारिश करती है। अतः इसे 'स्थायी मितव्ययिता समिति' भी कहते हैं।

This Committee was first formed in 1950 on the recommendation of the then finance minister John mathai. It recommends to stop government wasteful expenditure. Hence, it is also called 'permanent Frugality Committee'.

लोक लेखा समिति ⟶ गठन 1919 के अधि० के अनुसार 1921 में Public Account Committee किया गया।

→ संसद की स्थायी और वित्तीय समिति
→ संसद की सबसे पुरानी समिति [oldest Comm. of parliament]
→ सदस्य संख्या ⇒ 22 (15 LS, 7 RS)
→ सदस्यों का कार्यकाल - 1 वर्ष
→ 1967 से यह परंपरा है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का सदस्य बनेगा।
⇒ इसके समिति के अध्यक्ष LS अध्यक्ष द्वारा मनोनीत (Nominate) किया जाता है।
⇒ इस समिति मित्र और मार्गदर्शक (friend & guide) CAG को कहा जाता है।

लोक लेखा समिति [The public Accounts Committee]

यह संसद की सबसे महत्वपूर्ण एवं पुरानी वित्तीय समिति है। इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में किया गया था। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्य सभा से लिये जाते हैं।

This is the most important and oldest financial Committee of the parliament. It was first Constituted in 1921 Under the Government of India Act. 1919. This Committee has a total of 22 members, out of which 15 members are taken from the Lok Sabha and 7 members are taken from the Rajya Sabha.

लोकसभा अध्यक्ष, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। 1967 से स्थापित परम्परा के अनुसार इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है। इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितता को संसद के समक्ष लाना होता है। CAG को लोकलेखा समिति का मित्र व पथप्रदर्शक भी कहा जाता है

The Lok Sabha Speaker nominates the Chairman of the public Accounts Commitee. (According to the tradition established since 1967, a member of the opposition is made the chairman of this Committee. its tenure is one year. its main objective is to bring the misuse and irregularities of public expenditure before the parliament. CAG is also called the friend and guide of the public Accounts Committee.

सरकारी उपक्रम समिति [The Committee on public Undertakings]

सर्वप्रथम 1964 में कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर उक्त समिति का गठन हुआ। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा द्वारा और 7 सदस्य राज्य सभा द्वारा इसका कार्यकाल एक वर्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

Firstly in 1964, krishna Menon Committee was formed. On whose recommendation the above Committee was formed. This Committee has a total of 22 members. Out of which 15 members are from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha, its tenure

is of one year. Lok Sabha Speaker appoints one of the Lok Sabha members as the Chairman of the Commitee.

Note → प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को इनके कार्यों के कारण "जुड़वा बहन" कहा जाता है।

राज्य विधान मण्डल [The State Legislature]

संविधान के, अनु॰ 168 - 212 राज्यों के विधानमण्डल के बारे में है। अनु॰ 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्यों में दो सदनों से व अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा।

Part 6 of the Constitution, Articles 168 - 212 deals with the state legislature. Article 168 states that each State will Consist of two houses and other states will Consist of one house.

Art. 168 → राज्य विधानमंडल का निर्माण [Formation of State legislature → ① विधानसभा (Legislative Assembly)

केवल 6 राज्यों में तीन अंग वाला और 2 सदनों वाला विधान मंडल है। ⟸ ② विधानपरिषद् (" Council)

③ राज्यपाल (Governor)

⇒ क्योंकि विधानपरिषद् केवल 6 राज्यों में है।

1. U.P
2. बिहार
3. कर्नाटक
4. महाराष्ट्र
5. आंध्र प्रदेश
6. तेलंगाना

⇒ 22 राज्यों में (इन राज्यों के अलावा) ⇒ विधानमंडल → विधानसभा (LA), राज्यपाल (Governor)

Art. 169 ⇒ विधानपरिषद् का सृजन (Create) और अंत करना संसद की शक्ति है।

⇒ विधानपरिषद् (LC) → सृजन / अंत

⇒ विधेयक (Bill) → उस राज्य की विधानसभा द्वारा विधानसभा में पेश (Introduced) जहां इसका सृजन / अंत करना है।

⇒ विधेयक पर चर्चा (Debate on bill)

→ पारित (Pass) ⇒ विशेष बहुमत (2/3 Majority)

→ संसद के पास जायेगा।

↳ साधारण बहुमत इसे संसद द्वारा पारित करके उस राज्य में जहां विधानपरिषद् को बनाना है या नष्ट करना है, कर दिया जायेगा।

विधानपरिषद् का अंत तो किया जा सकता है लेकिन इसे भंग नहीं किया जा सकता

वर्तमान में कुल 6 राज्यों यथा: उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा तेलंगाना

rojgar with ankit

द्वितीयक विधानमण्डल है। राज्यों में विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन का अधिकार अनु० 169 के अन्तर्गत संसद को है।

At present, a total of 6 States Viz. Uttar pradesh, Bihar, Maharashtra, Andhra pradesh, Karnataka and Telangana have bicameral legislature. Under Article 169, the parliament has the right to establish or abolish the Legislative Council in the States.

यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर देती है।

If the Legislative Assembly of the Concerned State passes a resolution to this effect by a majority of its total membership and a two-thirds majority of the members present and Voting.

तो संसद साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया से ही उक्त आशय का कानून बनाकर विधान परिषद की स्थापना या उन्मूलन कर सकती है। इस प्रकार का कानून बनाया जाना संविधान संशोधन नहीं समझा जाता है।

So the parliament can establish or abolish the legislative Council by making a law to that effect through the process of ordinary law making. making such a law is not considered as a Constitutional amendment.

* विधानसभा (Legislative Assembly)
  - Art. 170 → विधानसभा का गठन (Composition of LA)

⇒ अधिकतम सदस्य (Maximum members) = 500

⇒ न्यूनतम सदस्य (Maximum members) = 60
  - अपवाद (exception) ⇒ गोवा ⇒ 40
    मिजोरम ⇒ 40
    सिक्किम ⇒ 32
    पुदुचेरी ⇒ 30 → U.T's

⇒ सबसे बड़ी विधानसभा U.P की है।

विधानपरिषद् → केवल 6 राज्यों में

विधानसभा → 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश

(1) दिल्ली
(2) पुदुचेरी
(3) JK

* संरचना या गठन (Composition)

राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये अधिक से अधिक 500 और कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी) परन्तु सिक्किम, मिजोरम, गोवा तथा पुदुचेरी इसके अपवाद हैं जिनकी विधान सभाओं की सदस्य संख्या क्रमशः 32, 40, 40, तथा 30 है। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की (403) है।

The State will Consist of a maximum of 500 and a minimum of 60 members elected by direct election from territorial Constituencies) but the exceptions are Sikkim, Mizoram, Goa and puducherry whose legislative assemblies have a number of member of 32, 40, 40 and 30 respectively. The largest assembly is that of Uttar pradesh (403).

सदस्यों का निर्वाचन [Election of members]

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है

It is done through direct election System. Election of State legislative assemblies is Conducted by the Election Commission of India

rojgar with ankit

84 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा
84 th Constitutional Amendment Act 2001

⇓
LS/VS/RS/VP की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक निश्चित कर दी गयी है।

Polity

सदस्यों की योग्यताएँ [Qualifications of Members]

(अनु॰ 173) - वह भारत का नागरिक हो, ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता है जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई है। (विधानसभा / विधानपरिषद्)

(Art. 173) - He must be a Citizen of India and must possess such other qualifications as may be prescribed by any law made by parliament.

[1.] भारत का नागरिक
[2.] न्यूनतम आयु
  - विधानसभा (MLA) ⇒ 25 वर्ष
  - विधानपरिषद् (MLC) ⇒ 30 वर्ष
[3.] लाभ के पद पर न हो।
[4.] पागल न हो।
[5.] दिवालिया न हो।
[6.] दल-बदल कानून के तहत अयोग्य न हो।

सदस्यों की अयोग्यता [Disqualification of Members]

संविधान के अनु॰ 191-

(i) जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है। या Who holds an office of profit under the Government of India or any State Government. Or

(ii) जो सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त (Unsound Mind) घोषित कर दिया गया है। या Who has been declared of unsound mind by a competent court. Or — पागल है।

(iii) जो घोषित दिवालिया (insolvent) है। या Who is declared insolvent. Or

(iv) जो भारत का नागरिक नहीं है। या Who is not a citizen of India. Or

(v) जो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। या Who has been disqualified under a law made by parliament. Or

(vi) जो दल-बदल के कारण अयोग्य है। Who is disqualified due to defection.

सदस्यों की अनर्हता पर विनिश्चय

[Decision on disqualification of members]

अनुच्छेद 192) के अधीन कोई सदस्य किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण राज्यपाल के विनिश्चय के लिये सौंपा जायेगा जो निर्वाचन आयोग की राय से अपना निर्णय देगा।

The question as to whether a member has become subject to any disqualification under article 192 shall be referred to the Governor who shall give his decision in consultation with the election commission.

अयोग्य सम्बंधी प्रश्नों का निर्धारण कौन करेगा - राज्यपाल द्वारा किया जायेगा, लेकिन निर्वाचन आयोग से परामर्श के बाद - Art. 192

Q⇒ अगर निर्योग्यता का प्रश्न MLA/MLC ↓ दल-बदल के आधार पर उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा ? ⇒ विधानसभा का अध्यक्ष (Speaker of Legislative Assembly) / विधानपरिषद् का सभापति (Chairman of Legislative Council)

Q⇒ अगर कोई निर्योग्यता का प्रश्न किसी सदस्य पर MP/MLA/MLC. बनने से पहले उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा? ⇓ Court (न्यायालय)

(अनु० 172) कार्यकाल उसके प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित (Dissolved) की जा सकती है। आपात काल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगा।

(Article 172) The term of the Assembly is 5 years from the date of its first meeting. Even before this period, it can be dissolved by the Governor on the advice of the Chief Minister. if the declaration of emergency is in force, the

Parliament can extend the term of the Assembly by law, which will not be more than one year at a time.

⇒ विधानसभा का कार्यकाल - Art. 172 (Tenure of LA)

→ प्रथम बैठक के दिन से 5 वर्ष

→ राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से 5 वर्ष पूर्व (Before 5 years) भंग / विघटित (Dissolved) की जा सकती है।

⇒ राष्ट्रपति आपातकाल (National Emergency) के समय इसके कार्यकाल को संसद द्वारा (By the parliament) 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

विधानसभा

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / Speaker's D-Speaker

1) ये दोनों MLA होते हैं।
2) ये विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।
3) कार्यकाल (Tenure) = 5 वर्ष
4) त्यागपत्र (Resignation) अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को देता है।

विधानपरिषद्

सभापति / उपसभापति (Chairman / Vice-Chairman)

ये दोनों MLC होते हैं

→ ये विधानपरिषद् सदस्यों द्वारा अपने में से चुने जाते हैं।

→ कार्यकाल ⇒ 6 वर्ष

त्यागपत्र ⇒ सभापति, असभापति को और उपसभापति सभापति को देता है।

उपाध्यक्ष का कार्य → जब अध्यक्ष का पद रिक्त था तह अपने पद पर अनुपस्थित है. तब उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा

→ उपसभापति → जब सभापति का पद रिक्त हो या वह अपने पद पर अनुपस्थित हो. तब उपसभापति, सभापति के रूप में कार्य करेगा।

अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य [Powers and functions of the Chairman

वह विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।

↳ सभापति के कार्य → विधानपरिषद

He presides over the meetings of the Assembly and Conducts the proceedings of the House.

वह सदन में शांति और व्यवस्था बनाये रखता है
He maintains peace and order in the House? अध्यक्ष / सभापति

वह सदन की कार्यवाही को स्थगित या निलम्बित कर सकता है? – अध्यक्ष / सभापति
Can he adjourn or Suspend the proceedings of the House?

कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है अथवा नहीं इसका निर्णय अध्यक्ष करता है। (केवल अध्यक्ष का कार्य है। सभापति का नहीं)
The Speaker decides whether a bill is a Money Bill or not.

वह किसी प्रश्न पर मतदान करता है और परिणाम की घोषणा करता है। — अध्यक्ष / सभापति
He puts a question to vote and announces the result.

यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष मे बराबर मत आयें, तो वह 'निर्णायक मत' का प्रयोग करता है। - अध्यक्ष / सभापति
If there are equal votes in favour and against a question, then he uses the 'Casting vote'

विधान परिषद (Legislative Council)

↳ U.P, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना

Art. 171

⇒ विधानपरिषद की संरचना / गठन (Composition of Legislative Council)

↳ सदस्यों से (MLC)

⇒ अधिकतम सदस्य (Maximum Members) ⇒ विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 (total members of Legislative Assembly x 1/3)

⇒ न्यूनतम सदस्य (minimum members) = 40

⇒ सबसे बड़ी विधानपरिषद उत्तर प्रदेश (U.P) की है, इसमें 100 सीट हैं।

सदस्यों का निर्वाचन (Election of Members)

अनु० 171 (3) के अनुसार

⇒ अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election)

Voters | मतदाता

1/3 → सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा (MLA'S)

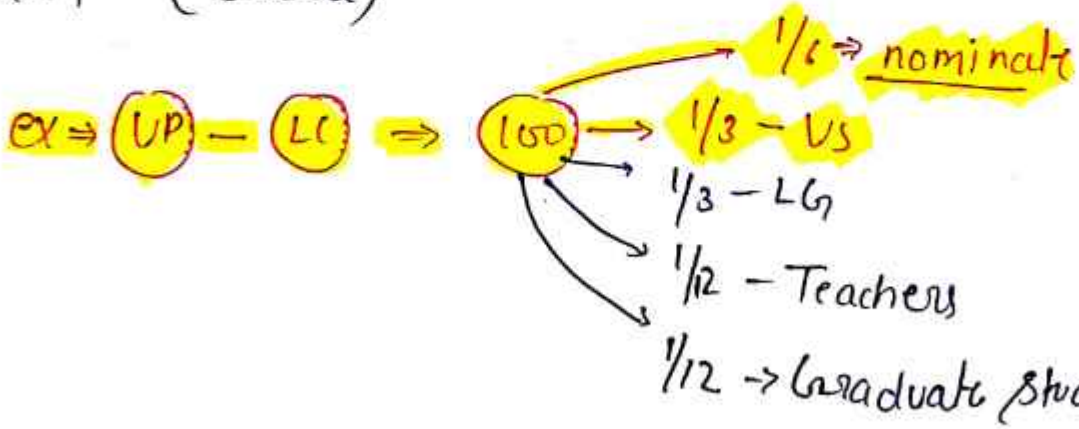
1/3 → " " " स्थानीय सरकारों द्वारा (By the Local Governme

1/12 → " " " अध्यापकों द्वारा (By the Teachers)

1/12 " " " स्नातक विद्यार्थियों द्वारा (By the Graduate Student)

1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत (Nominated by the Governor)

⇒ कला (Art)
⇒ साहित्य (Literature)
⇒ विज्ञान (Science)
→ समाज सेवा (Social Service)
→ सहकारी आंदोलन (Cooperative Movement)



rojgar with ankit

POLITY

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण [Making Oath by Members]

(अनु० 188) – MLA/MLC

- शपथ का प्रारूप → अनुसूची (Schedule) -3
- शपथ राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

अधिवेशन और गणपूर्ति [Meeting and Quorum]

किसी भी सदन की कुल सदस्य संख्या का $\times$ 1/10

विधायी प्रक्रिया [Legislative Procedure]

⇒ साधारण विधेयक
Ordinary Bill

⇒ Money Bill धन विधेयक ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ केवल विधानसभा में

⇒ किसकी पूर्वानुमति के बाद पेश होगा ? ⇒ राज्यपाल

⇒ विधानपरिषद् इसे कितने दिन अपने पास रख सकती है ?
14 day's

साधारण विधेयक ⇒ कहां पेश होगा ? ⇒ किसी भी सदन में (In either House) ⇒ विधानसभा / विधानपरिषद्

Ordinary Bill

ex. ⇒ विधानसभा में पेश (Introduced in LA)

→ चर्चा (Debate)

→ पारित → साधारण बहुमत (Simple majority)

→ विधानपरिषद् → पेश, चर्चा

→ पारित - साधारण बहुमत

⇓

Governor (राज्यपाल)

→ अस्वीकार (Reject) / → ऐसे संशोधन करे जिससे विधानसभा सहमत न हो।

→ 5 माह तक बिल को अपने पास रखे।

→ इनमें से अगर किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगी तो 5 माह के पश्चात् बिल अपने आप पारित

Note :→ विधानपरिषद्

विधानसभा द्वारा पारित किसी भी Bill को समाप्त नहीं कर सकती।

Ex:→ विधानपरिषद् में पेश

चर्चा, पारित - साधारण बहुमत

⇓

विधानसभा → पेश, चर्चा

Art. 200

राज्यपाल

- हस्ताक्षर
- हस्ताक्षर करने से मना

← पारित / अस्वीकार / ऐसे संशोधन करेगी जिससे विधानपरिषद् सहमत न हो / 5 माह तक बिल अपने पास रखे।

• पुनर्विचार के लिए वापस

इन शक्तियों का प्रयोग यदि विधानसभा, विधानपरिषद द्वारा पारित विधेयकों पर करती है, तो बिल समाप्त हो जाता है।

• राष्ट्रपति के लिए आरक्षित

इस प्रकार विधानसभा, विधानपरिषद द्वारा पारित विधेयकों को समाप्त कर सकती है।

* भारत का निर्वाचन आयोग *

[Election Commission of India]

Part (भाग) → 15, Art. 324 - 329

→ संवैधानिक निकाय (Constitutional body)

→ स्थापना ⇒ 25 Jan. 1950

मतदाता दिवस (Voter's day)

⇒ निर्वाचन लोकतंत्र का आधार होता है। (Base of Democracy Election)

Art. 326 ⇒ कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु (Age) 18 या 18 वर्ष से अधिक है, मतदान कर सकता है।

⇒ पहले मतदान की आयु 21 वर्ष थी जिसे 61 CA 1989 के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया।

⇒ मतदान का अधिकार (Right of Voting) → वैधानिक अधिकार (Legall Right) है।
यह संवैधानिक (Constitution) / मौलिक अधिकार (Jundamental Rights) नहीं है।

⇒ निर्वाचन आयोग का गठन (Composition of Election Commission
Art. 324

⇒ 1989 से पहले यह एकल सदस्यीय निकाय (Single member body) था।

⇒ पहली बार 1989 में इसे बहुसदस्यीय निकाय (Multi member body) बनाया गया।
एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त (One - chief election Commissionar and other election Commissionar) वर्तमान में ऐसे ही है।

⇒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त
⇒ अन्य ,, ,, } नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा (By the president)

कार्यकाल (Tenure) → मुख्य निर्वाचन आयुक्त – 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

→ अन्य ,, ,, ↳ 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु

⇒ त्यागपत्र [Resignation] ⇒ राष्ट्रपति को

⇒ हटाने की प्रक्रिया [Removal process] ⇒ मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief election Commissinor)

⇒ इन्हें उसी प्रकार पद से हटाया जाता है जिस प्रक्रिया से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है

अन्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य / शक्तियां (Powers / junction's of election Commission)

(1) मुख्य कार्य निर्वाचनों का संचालन करना
Main junction - Conduct of the election -

① राष्ट्रपति
② उपराष्ट्रपति
③ LS
④ RS
⑤ विधानसभा
⑥ विधानपरिषद

① President
② Vice-president
⑤ Legislative Assembly
⑥ Legislative Council

Polity

आयोग के कार्य एवं शक्तियां
[Power & Function of the Commission]

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधानमण्डलों के सदस्यों के लिए चुनाव, निर्वाचन आयोग कराता है। चुनाव की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने का दायित्व आयोग का है।

The Election Commission Conducts elections for the president and Vice-president of India for the members of parliament and state Legislatures. The Commission is responsible for ensuring the freedom and fairness of elections.

मतदाता सूची तैयार करना [Preparing voter list]

↳ लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचन से पहले मतदाता सूची तैयार की जाती है।

राजनीतिक दलों को मान्यता देना [Recognising political parties]

↳ National Party (राष्ट्रीय दल)
↳ Regional Party (क्षेत्रीय दल)

राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना
[Allocating election Symbols to political parties]

निर्वाचन का संचालन करना [Conducting elections]

चुनाव रद्द करना [Cancellation of election]
↳ जब चुनाव में भ्रष्टाचार हुआ हो।

आदर्श चुनाव संहिता [Model Code of Conduct]
↳ आचार संहिता → चुनाव की तारीख की घोषणा के दिन से चुनाव के परिणाम (Result) तक राजनीतिक दलों (Political Parties) पर लागू रहती है। इसमें होने वाले चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के नियम कानून बनाए जाते हैं।

चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ
[Commencement of election process]

भारत में चुनाव प्रक्रिया का प्रारम्भ निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अधिसूचना से होता है।

The election process in India begins with a notification by the president or the Governor,

as the case may be, on the recommendation of the Election Commission.

लोकपाल एवं लोकायुक्त [Lokpal and Lokayukta]

भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है। भ्रष्टाचार प्रशासन की एक प्रमुख समस्या बन गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने और दूर करने के लिए विभिन्न देशों में समय-समय पर अनेक कदम उठाये गये हैं।

Corruption is the leprosy of the nation. Corruption has become a major problem of administration. many steps have been taken from time to time in different Countries to eradicate and remove Corruption.

स्वीडन में सर्वप्रथम 1809 में संविधान के अन्तर्गत, ओम्बुड्समैन की स्थापना की गयी। भारत में ओम्बुड्समैन को लोकपाल के नाम से जाना जाता है।

In Sweden, the first Ombudsman was established under the Constitution in 1809. In India, the Ombudsman is known as Lokpal

भारत में ओम्बुड्समैन के लिए लोकपाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1963 में लोक सभा सदस्य श्री लक्ष्मीमल सिंघवी ने किया था। पहला लोकपाल और

लोकायुक्त विधेयक वर्ष 1968 में लोक सभा में पेश किया गया था (लेकिन पारित नहीं हुआ)

In India, the word Lokpal was first used for Ombudsman in the year 1963 by Lok Sabha member Shri Laxmi Mal Sindhvi. The first Lokpal and Lokayukta Bill was introduced in the Lok Sabha in the year 1968.

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक को राज्य सभा द्वारा 17 दिसम्बर, 2013 तथा लोक सभा द्वारा 18 दिसम्बर 2013 को पारित कर दिया गया। तत्पश्चात राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के हस्ताक्षर के बाद 1 जनवरी, 2014 से यह कानून के रूप में प्रवर्तित हो गया।

The Lokpal and Lokayuktas Bill was passed by the Rajya Sabha on 17 December 2013 and by the Lok Sabha On 18 December 2013. Thereafter, it came into force as a law from 1 January 2014 after the Signature of president Pranab Mukherjee.

Q⇒ Ombudsman की स्थापना कब, कहाँ ? ⇒ 1809, स्वीडन

Q= लोकपाल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने और कब
⇒ 1963, लक्ष्मीमल सिंघवी

Q⇒ पहला लोकपाल बिल कब और कहां पेश ? ⇒ 1968, LS

Q⇒ लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल RS पारित ? 17 Dec. 2013

" " " " LS पारित ? 18 Dec. 2013

Q⇒ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर ? 1 Jan. 2014

लोकपाल कार्यालय
Lokpal office (केंद्र)

→ 1 लोकपाल
8 अन्य सदस्य

चयन ⇒ Select

चयन समिति (Select Comm.)
(1) प्रधानमंत्री
(2) लोक सभा अध्यक्ष
(3) लोकसभा में विपक्ष का नेता
(4). उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश
(5) राष्ट्रपति द्वारा नामित विशेष

⇒ भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चन्द्र घोष (S-Court के पूर्व न्यायाधीश

4 सदस्य ⇓ न्यायिक पृष्ठभूमि (Judicial Background)

4 सदस्य ↳ गैर न्यायिक Non-Judicial

→ SC / ST / Females भी हैं

⇒ वर्तमान में लोकपाल ⇒ अजय माणिकराव खानविलकर

→ कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 year's / 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति

→ शपथ (Oath) → २ प्रकार ⇒ राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलायी जाती है।

① पद ② गोपनीयता (Secrecy)

लोकायुक्त (Lokayukta)

जिस प्रकार केन्द्र में लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया है उसी प्रकार राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था का गठन करने की व्यवस्था की गयी है।

Just as an institution Called Lokpal has been formed at the Centre, Similarly a provision has been made to from an institution Called Lokayukta in the States.

सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में 1971 में की गई थी। किसी राज्य का लोकायुक्त राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत न्यायाधीश या राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है।

The first Lokayukta office was established in Maharashtra in 1971. The Lokayukta of a State Can be a retired judge of the High Court of the State or the Chief Justice of the State High Court

1. अध्यक्ष
2. उच्च. सदस्य ⟹ चयन समिति ⇒ CM
   - ⇒ विधानसभा अध्यक्ष
   - ⇒ विधानसभा में विपक्ष का नेता
   - ⇒ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
   - ⇒ राज्यपाल द्वारा नामित विशेष व्यक्ति।
   - 4 सदस्य
     - 4 सदस्य
       - न्यायिक पृष्ठभूमि
       - ↳ गैर न्यायिक
     - SC / ST / females

rojgar with ankit

- कार्यकाल (Tenure) ⇒ 5 वर्ष / 70 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ राज्यपाल को
⇒ शपथ (२ प्रकार - पद, गोपनीयता) ⇒ राज्यपाल शपथ दिलाते है।

Polity

लोकायुक्त कार्यालय

↳ अध्यक्ष + 8 सदस्य → कार्यकाल - 5 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो

* लोक सेवा आयोग *

[Public Service Commission]

↳ Art. 315 - 323 Part - (भाग) → XIV (14)

[संघ लोक सेवा आयोग]

Art. 315 ⇒ संघ के लिए (for Union) ⇒ UPSC (Union Public Service Commission)

राज्य के लिए → SPSC ⇒

[State public Service Commission / राज्य लोक सेवा आयोग]

Art. 316 → सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि / कार्यकाल

[Appointment's Term of office of members]

नियुक्ति ⇒ UPSC के (Chairman) अध्यक्ष + अन्य सदस्य (other members)

↳ नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा

SPSC ⇒ अध्यक्ष + अन्य सदस्य

↳ नियुक्ति राज्यपाल द्वारा

UPSC → Chairman + Members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति

SPSC ⇒ Chairman + members → कार्यकाल → 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु
⇒ त्यागपत्र ⇒ राज्यपाल को

⇒ किसी भी सदस्य की (UPSC / SPSC) अपने पद पुनर्नियुक्ति (Re-appointment) का पात्र नहीं होगा।

→ UPSC का Chairman (अध्यक्ष) → Retire → तो दोबारा UPSC का Chairman नहीं बन सकता है।

→ Member of UPSC / UPSC का सदस्य ⇒ Retire ⇒ तो दोबारा UPSC ✗ सदस्य

⇒ Chairman of SPSC → Retire → तो दोबारा → ये UPSC का Chairman ✓
SPSC Chairman ✗ → ये SPSC का ,, ✓

SPSC + member → दोबारा SPSC member ✗
→ UPSC Chairman
→ SPSC ,,
→ UPSC member

Art. 317 ⇒ सदस्यों को हटाना या निलंबित करना [Removal & Suspension of members] - UPSC / SPSC

→ आधार (Ground) → कदाचार (Misbehaviour) → इसका आरोप किसी भी सदस्य (UPSC / SPSC) पर लगाया जाता है तो इस आरोप (Blaim) की जांच Supreme Court द्वारा की जाती है।

⇒ Investigation (जांच) के दौरान अगर UPSC member है तो राष्ट्रपति और अगर SPSC member है तो राज्यपाल, सदस्य को निलंबित (Suspend) कर सकते है।

⇒ जब Supreme Court अपनी जांच की रिपोर्ट को राष्ट्रपति को भेजता है और यदि उस रिपोर्ट में सदस्य (UPSC / SPSC) पर लगे आरोप सही होते हैं तो राष्ट्रपति सदस्य (member) (UPSC / SPSC) को हटा सकते है।
Art. 323

UPSC / SPSC ⇒ रिपोर्ट → UPSC प्रत्येक वर्ष (every year) अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखवाते है।

⇒ SPSC अपनी रिपोर्ट को प्रत्येक वर्ष राज्यपाल को देती है और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानमंडल (Legislature) के सामने रखवाते है।

Art. 320 → UPSC / SPSC के कार्य

योजना आयोग (Planning Commission) · गैर संवैधानिक संस्था [Non-Constitution body]

→ गठन (formation) = 15 March 1950 को केo सो० नियोगी की सिफारिश (Recommendation) पर।

→ अध्यक्ष (Chairman) → 1st ⇒ Pt. J.L. Nehru (PM)

→ last → PM ⇒ मोदी

आध्यक्ष - (Deputy Chairman) 1st ⇒ गुलजारी लाल नंदा

last ⇒ मोंटेक सिंह अहलुवालिया

⇒ वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है।

⇒ योजना आयोग को समाप्त कर नीति (NITI) आयोग गठन किया गया है

NITI Ayog (आयोग) ⇒ गैर-संवैधानिक निकाय Non-Constitutional body

National Institute of Transforming India

→ गठन - formation → 1 Jan. 2015

→ सरकार का बौद्धिक संस्थान (Thin Tank of Government)

→ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ PM ⇒ मोदी जी (1st थे, जो अब तक हैं)

→ उपाध्यक्ष (Deputy Chairman) ⇒ 1st ⇒ अरविंद पनगढ़िया
↳ नियुक्ति ⇒ PM द्वारा। ⇒ वर्तमान में, सुमन बेरी

→ CEO (Chief executive officer) ⇒ मुख्य कार्यकारी अधिकारी
↳ नियुक्ति PM द्वारा
1st ⇒ सिंधु श्री खुल्लर
वर्तमान ⇒ वी० वी० आर० सुब्रह्मण्यम्

Polity

स्थानीय सरकार
[Local Government]

[i] पंचायत (Panchayat's) → गांव
[ii] नगरपालिका (Municipality) → शहर
⇒ राज्य सूची का विषय
Subject of State list

⇒ स्थानीय सरकार का जनक — रिपन
Father of local Government ⇒ Ripon

⇒ पंचायतों की स्थापना का उद्देश्य (motto) ⇒ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
[Decentralization of Democracy]

⇒ किस Art. में सरकार को पंचायतों के गठन का निर्देश (Directive) दिया गया ? ⇒ Art. 40

⇒ बलवंत राय मेहता समिति (Comm.)
↳ अध्यक्ष (Chairman)
→ गठन (formation) ⇒ 1956
→ रिपोर्ट → 1957, रिपोर्ट में कहा कि त्रिस्तरी (Three-tier) पंचायतों का गठन करने की सिफारिश (Recommendation) की
① ग्राम स्तर (Village level)
② मध्यवर्ती / प्रखण्ड स्तर (Block level)
→ इसकी रिपोर्ट को स्वीकार (Accept)

rojgar with ankit

③ जिला स्तर (District)

→ इसकी रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम पंचायत की शुरुआत 2nd Oct. 1959 को राजस्थान के नागौर जिले, बगदरी गाँव से PM → Pt. J.L. Nehru ने की थी।

* अशोक मेहता समिति → गठन → 1977
  रिपोर्ट → 1978
  ↳ इसने अपनी रिपोर्ट में द्वि-स्तरीय (Two-tier) पंचायत के गठन की सिफारिश।
  इसकी रिपोर्ट अस्वीकार (Reject) कर दी गयी।

* डॉ० जी० वी० के० राव समिति → गठन → 1985
  → रिपोर्ट → 1986
  → SC/ST/females (महिलाओं) को पंचायत में आरक्षण (Reservation) की सिफारिश की

* डॉ० एल० एम० सिंघवी समिति → गठन = 1986
  → रिपोर्ट → 1986
  ↳ पंचायतों को संवैधानिक दर्जा (Constitutional Status) देने की सिफारिश

पी० के० थुंगन समिति → 1988
↳ संवैधानिक दर्जा — रिपोर्ट → 1988

PM ⇒ पी० वी० नरसिंह राव। → इनके समय पंचायतों को संवैधानिक बनाने के लिए 73 वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 (73 CA Bill 1992)

⇒ LS में पेश (Introduced in LS) ⇒ 22 Dec. 1992 - पारित

⇒ RS में पेश (" " RS) ⇒ 23 Dec. 1992 → पारित

⇓

President (राष्ट्रपति) → हस्ताक्षर के लिए (for the Signature)

↳ 20 April 1993 → हस्ताक्षर कर दिया तब यह अधि० (Act) बन गया

लागू ⇒ 24 April 1993

⇓

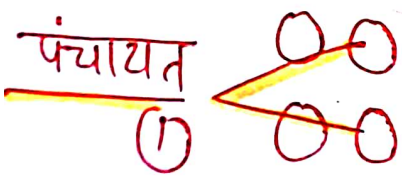
24 April को पंचायत दिवस मनाते (Celebrate) है।

पंचायत (Panchayats)

Part (भाग) - IX (9)

Art. 243 - 243 O, 11 वी अनुसूची (Schedule) को जोड़ा गया और इस अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय रखे गये।

⇒ Art. 243 A → ग्राम सभा - किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली (मतदाता सूची) (electoral/Voter list) में दर्ज नाम वाले व्यक्तियों के समूह को ग्राम सभा कहते हैं।





→ महिला, पुरुष, बच्चे वृद्ध

18 या 18 वर्ष से अधिक है।

⇒ गांव के ऐसे लोग जिन्हें मतदान का अधिकार होता है उन्हें ग्राम सभा।

⇒ Art. 243 (B) ⇒ Composition of Panchayat's (पंचायत का गठन)

① ग्राम स्तर → ग्राम पंचायत ② प्रखण्ड / मध्यवर्ती स्तर → क्षेत्र पंचायत

③ जिला स्तर → जिला पंचायत

⇒ Art. 243 (C) → पंचायतों की संरचना [Structure of Panchayat]

पंचायतों के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा (By the Direct election) भरे जायेंगे।

⇒ पंचायतों में आरक्षण [Reservation in Panchayats]

(अनुच्छेद 243 D)

- SC/ST/ ⟹ को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण
- Females (महिलाएं) ⇒ 1/3 (33%) → सीटों का आरक्षण

⇒ बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया

Polity

पंचायतों का कार्यकाल [Duration of Panchayat's]

प्रथम अधिवेशन की तिथी से पांच वर्ष निर्धारित किया गया है।
The term has been fixed as five years from the date of the first session.

Q- क्या पंचायत को भंग / विघटित (Dissolved) किया जा सकता है?
↳ yes हाँ

⇒ पंचायत → कार्य किया → 3 वर्ष - उसके बाद भंग हो गयी।
↳ कि नई पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? ⇒ 2 वर्ष
(शेष कार्यकाल)
Renaining Tenure

⇒ पंचायत - कार्य किया - 4 वर्ष 6 माह (4 year's 6 month's)
↳ भंग (Dissolved)
↳ इस समय नयी पंचायत का कार्यकाल कितना होगा? ⇒ 5 वर्ष

क्योंकि 6 माह का समय नयी पंचायत के निर्वाचन के लिए ही चाहिए।

→ यदि किसी पंचायत को 6 माह से पहले या इससे कम पहले भंग किया जाता है तो नयी पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए होगा।

* सदस्यता के लिए अयोग्यतायें *

[Disqualification for Membership]

योग्यतायें (Qualification)	Disqualification (अयोग्यतायें)
[1] भारत का नागरिक	[1] भारत का नागरिक न हो।
[2] न्यूनतम आयु ⇒ 21 वर्ष	[2] न्यूनतम आयु पूरी न हो।
[3] राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित अन्य योग्यतायें हों।	[3] राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित योग्यतायें न हों।

पंचायतों / नगरपालिकाओं की शक्तियां

[1] सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनायें बनाना

[2] " " " " " " " लागू करना

[3] 11 वी अनुसूची में दिये गये 29 विषयों पर कार्य करना।

(1) → Socials Economic Development → Schemes → Prepare

[2] " " " " " → " → Execute

[3] → 11th Schedule ⇒ 29 Subjects / 12th Schedule - 18 Subjects

↳ Panchayat's / पंचायत ↳ Municipality / नगरपालिका

12 वीं अनुसूची में दिये गये 18 विषयों पर नगरपालिकाओं द्वारा कार्य किया जाता है।

राज्य वित्त आयोग (State finance Commission)

→ पंचायत ⇒ Art. 243 I

⇒ राज्य वित्त आयोग ⇒ गठन – प्रत्येक 5 वर्ष पर → राज्यपाल द्वारा
formation every 5 years by the Governor

→ 1 अध्यक्ष + अन्य सदस्य
Chairme + other members

नियुक्ति → (Appointment → by the Governor)

कार्यकाल → Tenure → 5 वर्ष

त्यागपत्र → Resignation → राज्यपाल

रिपोर्ट → राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इसकी रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखवाते हैं।

कार्य – ① राज्य की संचित निधि से कितना अनुदान (Grants) पंचायत/नगरपालिका को दिया जायेगा, इसका निर्धारण करना।

② पंचायतों/नगरपालिका की वित्तीय स्थिति (financial condition) में सुधार (Reforms) के लिए सिफारिश (Recommendation) करना।

Art. 243 K ⇒ राज्य निर्वाचन आयोग
State election Commission

→ यह एक संवैधानिक संस्था (Constitutional body) है।

→ इसमें एक निर्वाचन आयुक्त (election Commissioner) होते हैं।

- नियुक्ति → राज्यपाल
- कार्यकाल → 6 वर्ष / 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।
- त्यागपत्र → राज्यपाल को
- हटाने की प्रक्रिया → जिस प्रकार H. Court के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से इन्हें भी हटाया जाता है।

राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य — ① निर्वाचन का संचालन
Function of State election Commission Conducting election →
① पंचायत
② नगरपालिका

② निष्पक्ष निर्वाचन करना।
Conducting fair election
③ मतदाता सूची तैयार करना
Prepared electoroll list
④ चुनाव रद्द करना
Cancelling election. etc.

नगरीय प्रशासन : नगरपालिकायें
[Municipal Government : Municipalities]

सर्वप्रथम 1687 में मद्रास शहर के लिए नगर निगम नामक स्थानीय संस्था की स्थापना की गयी।

Firstly in 1687 a local body called municipal Corporation was established for the city of Madras.

1687/1688

नगरपालिका
Municipality

PM → पी० वी० नरसिंह राव ⇒ इनके 74 CA Bill 1992 LS में पेश → 22 Dec. 1992 - पारित
→ RS में पेश → 23 Dec. 1992 - पारित

नगरपालिका → 18 विषय पर कार्य ⇒ 12 वीं अनुसूची में।
→ Part (भाग) - IX A
→ Art. 243 P → 243ZG
→ 12th Schedule / अनुसूची को जोड़ गया
→ राज्य सूची का विषय।

→ President → Signature → 20 April 1993
→ Act / अधि० ⇒ लागू 1 June. 1993

नगरपालिकाओं का गठन → Art. 243 Q
Composition of municipality
↳ त्रि-स्तरीय (Three-tier) - नगर पंचायत → ऐसे गांव जो शहर में परिवर्तित (बना) town)
→ नगर पालिका परिषद → दोटे शहरों में Municipal Council
→ नगर निगम → बड़े शहरों में Municipal Corporation

⇒ Structure (संरचना)
↳ नगरपालिका के सभी पद प्रत्यक्ष निर्वाचन (Direct election) द्वारा भरे जायेंगे (fullfill)

नगरपालिकाओं में आरक्षण → Art - 243 T

- SC
- ST
- जनसंख्या के आधार पर
- females / महिलाओं – 1/3 (33%)

निगरपालिकाओं की अवधि (Duration of Municipalities)

नगरपालिकाओं की अवधि भी पंचायतों के समान प्रथम अधिवेशन से पांच वर्ष तक होती है।

Like Panchayats, the tenure of municipalities is also five years from the first session

यदि कोई नगरपालिका समय से पूर्व विघटित कर दी जाती है, तो विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए निर्वाचन कराया जाना चाहिए इस प्रकार गठित नगरपालिका अपनी शेष अवधि तक कार्य करती है।

If a municipality is dissolved prematurely. elections must be held for it within 6 months from the date of dissolution. The municipality thus constituted works for the remaining term.

यदि विघटित नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6-माह से कम हो तो उसके लिए निर्वाचन (6 माह के भीतर) आवश्यक नहीं है।

If the remaining term of the dissolved municipality is less than 6 months then election is not necessary (within 6 months).

सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ
[Disqualification for membership]

नगरपालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार
[Powers of Authority of Municipalities]
→ पंचायतों के समान

राज्य वित्त आयोग (State finance Commission)

(अनुच्छेद 243Y) - नगरपालिका

पंचायत → Art. 243 I > बाकी सब Same

नगरपालिकाओं के निर्वाचन
[Election of the Municipalities]

(अनु. 243 ZA) - नगरपालिका
↳ राज्य निर्वाचन आयोग

पंचायत → 243K > बाकी सब

Same

rojgar with ankit

Polity

Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय

Part (भाग) - V
Art - 124 - 147

→ स्थापना → 26 Jan. 1950
→ उद्घाटन → 28 Jan. 1950

भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना
Establishmen of first Supreme Court of India
↳ 1774, कलकत्ता → मुख्य न्यायाधीश
↳ एलिजा इम्पे

भारत का प्रथम संघीय न्यायालय — 1 Oct. 1937 — दिल्ली
first federal Court of India

मुख्य न्यायाधीश
↳ मौरिस ग्वेयर

→ स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश → हीरालाल जे० कानिया
first Chief justice of Independent India

→ In Present (वर्तमान) ⇒ डी० वाई० चन्द्रचूड

→ भारत मे कोई महिला मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में बनी है ? ⇒ नहीं

⇒ उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश (first female judge of S-Court)
↳ फातिमा बीवी

⇒ लीला सेठ → उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश।

⇒ Art. 124 (1) → सर्वोच्च न्यायालय का गठन (Composition of S. Court)

→ मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश ⇒ मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या
Chief justice + other judges

⇒ वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या
⇒ 33, कुल न्यायाधीश (1+33 → 34)

No. of judges in original Constitution
↓
7 ⇒ total judges (1+7 ⇒ 8)
कुल न्यायाधीश

⇒ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार (jurisdiction) में वृद्धि ⇒ संसद द्वारा।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान [Seat of Supreme Court]

सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, किन्तु वह अन्य किसी स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है यदि मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा स्थान सुनवाई के लिए नियत करता है (अनु० 130)।

The Supreme Court is situated in Delhi but it can hear cases at any other place if the chief Justice, with the approval of the president, appoints such a place for hearing (Article 130).

Ex. ⇒ दी नगर
→ हैदराबाद

न्यायाधीशों की योग्यताएं [Qualifications of Judges]

अनु. 124 (3)

(i) वह भारत का नागरिक हो तथा

(ii) वह एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम-से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप मे कार्य कर चुका हो। अथवा कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता (Advocate) रह चुका हो. अथवा

राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेत्ता (Distin-guished Jurist) हो।

Ex. Ujnan → S-Court-judge
↳ कम से कम 5 वर्ष → H. Court → judge
" " " 10 वर्ष → " " Advocty

पारंगत विधिवेत्ता
↳ Good Knowledge of law's

* मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appointment of chief justice & other judges ⇒ Art. 124 (2)

→ मुख्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति
↳ आधार (Ground) ⇒ वरिष्ठता (Seniority)

→ अन्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति (लेकिन मुख्य न्यायाधीश
Other judges
(S-Court) से परामर्श के बाद
Consult
⇓
मुख्य न्यायाधीश अपना परामर्श
राष्ट्रपति को देने से पहले S-Court
के 4 परिष्ठतम (most senior) न्यायाधीशों
से परामर्श करता है

S. Court
⇓
Consult (परामर्श)
↳ written लिखित

99 CA संविधान संशोधन — 2014
⇓
कॉलेजियम व्यवस्था → समाप्त
↳ इसकी जगह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए
NJAC → National judicial Appointment Commission
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी →
S-Court ने इसने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति Collegium System से ही होगा।

* कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
[Appointment of acting chief Justice]

अनु. 126 — जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण

rojgar with ankit

कारण से, अपने कर्तव्यों के पालन में असमर्थ हो; तो अन्य न्यायाधीशों में से किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है

Article 126 - When the post of Chief justice is vacant or the chief justice is unable to perform his duties due to absence or any other reason; the President may appoint any one of the other judges as Acting Chief Justice.

* तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
Appointment of Adhoc judges ⇒ Art. 127

Polity

तदर्थ न्यायाधीश (Adhoc judges) ⇒ Art. 127

⇒ केवल S-Court में नियुक्त किये जाते हैं।

⇒ नियुक्ति S. Court के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है लेकिन राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद।

⇒ जब S- Court का सत्र / अधिवेशन (Session) चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की संख्या में कमी होती है, तब S- Court में इनकी नियुक्ति की जाती है।

जब गणपूर्ति (Quorum) पूरी न हो।

⇒ ऐसे किसी भी H. Court के Judge को जिसके पास S- Court का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।

* न्यायाधीशों की पदावधि / कार्यकाल *

Tenure of Judges → Age of 65 years / 64 वर्ष की आयु (Maximum Age अधिकतम आयु

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

न्यायाधीशों को हटाये जाने की प्रक्रिया

Removal Process of Judges ⇒ Art. 124 (4) → आधार (Grounds)

① सिद्ध कदाचार
[Proved Misbehaviour]
② असमर्थता [Incopacity]

हटाने का प्रस्ताव (Motion) संसद के किसी भी सदन में पेश हो सकता है। [either House of Parliament]

Ex:- प्रस्ताव (Motion)
RS में पेश (Introduced in RS)
→ RS में चर्चा (Debate in RS)
→ RS में विशेष बहुमत / 2/3 बहुमत से पारित (Pass)
↳ (LS) – ① पेश ② चर्चा ③ 2/3 बहुमत से पारित
↓
President – Signature (हस्ताक्षर) के बाद जब हट जायेगा

→ इसी तरीके से - H. Court के Judges को
→ CAG को
→ Chief Election Commissioner
→ State election Commissioner को इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है।

Art. 124 (6) → S. Court के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलायी जाती है।
→ इनकी शपथ का प्रारूप (Draft of Oath) अनुसूची (Schedule 3) में है।

* वेतन, पेंशन ⟹ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।
Payed from Consolidated fond of India.

→ मुख्य न्यायाधीश (Chief justice) → 2,80,000 रु / प्रतिमाह (Per month)
→ अन्य " (other ") → 2,50,000 रु / "

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध [Restrictions on Justice]

भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं कर सकता है, (अनु० 124(7))
Cannot plead or act before any Court or authority in India. (Article 124 (7))

उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of S-Court)

Art. 32 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट जारी करना → S-Court
Art. 226 → " " " " " → H. Court

⇒ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार केवल S-Court को है।
⇒ संविधान का संरक्षक S-Court है।

Art. 129 → S-Court ⇒ Court of Record (अभिलेख न्यायालय)
Art. 215 → H-Court ⇒ " " " (" ")

भारत में केवल Supreme or H-Court ही अभिलेख न्यायालय होते हैं।

Art. 131 ⇒ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार (original jurisdiction) ⇒ S-Court

↳ ऐसे मामलें जिन पर सुनवाई का अधिकार केवल S-Court को होता है, इसमें आते है।

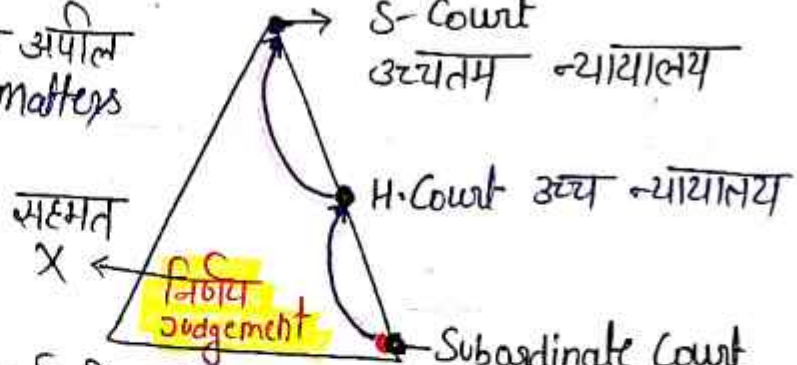
Ex:- ① केंद्र और राज्य के मध्य विवाद (Dispute)

② राज्य और राज्य के मध्य विवाद

③ केंद्र + राज्य Vs कुछ अन्य राज्यों के मध्य विवाद

अपीलीय क्षेत्राधिकार ⟹ अपील करने का अंतिम न्यायालय S-Court
Appellate jurisdiction होता है।

Art. 132 → संवैधानिक मामलों मे अपील
Appeal in Constitutional Matters



⇒ संवैधानिक मामलों में सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का होना अनिवार्य

Art. 133 ⇒ सिविल मामलों में अपील

Art 134 ⇒ आपराधिक मामलों में अपील

Polity

Supreme Court (उच्चतम / सर्वोच्च न्यायालय)

Art. 137 → पुर्नविलोकन का क्षेत्राधिकार [Review of jurisdiction]
↳ इसमें S. Court अपने ही Judgement (निर्णय) को परिवर्तित कर सकता है। Ex. ⇒ केसवारी वाद ⇒ 1960 केवल S-Court के पास यह शक्ति है
⇒ केशवानंद Vs केरल राज्य ⇒ 1973

⇒ न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) → USA से लिया गया है।
↳ इसमें Supreme / H. Court संसद / विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानूनों की संवैधानिकता की जांच करते है, और यदि कोई कानून संविधान के विरूद्ध होता है तो ऐसे कानून को रद्द घोषित करते है।

→ Art. 143 → परामर्शी क्षेत्राधिकार (Advisory jurisdiction)
⇓
इसमें S. Court राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगने पर राष्ट्रपति को परामर्श देता है। लेकिन राष्ट्रपति S-Court के द्वारा दिये गये परामर्श को मानने के लिए बाध्य नही है।
↳ विधिक मामलों (Legal Matters) पर परामर्श देता है।

* उच्च न्यायालय *

[High - Court] ⇒ Part (भाग) - VI

⇒ Art. 214 - 232

→ भारत में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में - कलकत्ता (कोलकाता)
→ मद्रास (चेन्नई)
→ बंबई (मुम्बई)
1862

⇒ 1866 → इलाहाबाद H. Court (प्रयागराज H. Court)

Art. 214 → 1 राज्य के लिए 1 H. Court की स्थापना की जा सकती है।

Art. 231 → 2 या 2 से अधिक राज्यों / केंद्रशासित प्रदेश का 1 H. Court हो सकता है।

Art. 241 → केंद्र / संघ शासित प्रदेश के लिए पृथक (Seprate) उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। (अलग)

⇒ 1966 → दिल्ली H. Court

⇒ भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना की शक्ति संसद को दी गयी है।

⇒ वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या ⇒ 25

⇒ 25 वां H. Court → अमरावती में स्थापित किया गया है, जिसने 1 Jan. 2019 से कार्य प्रारंभ किया

Art. 216 – उच्च न्यायालय का गठन (Composition of H. Court)

→ 1 मुख्य न्यायाधीश + अन्य न्यायाधीश
(Chief justice) + (other judges)

→ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं (Not fixed) है। आवश्यकता के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा समय-समय पर इन्हें नियुक्त किया जाता है।

न्यायाधीशों की अर्हताएँ (Qualification of the Judges)

संविधान के अनु॰ 217 (2) भारत का नागरिक हो. भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य कर चुका हो; एक या अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो।

Article 217 (2) of the Constitution of India; must have held a judicial office within the territory of India for a period of at least ten years. must have been an advocate of one or more High Courts of a State for a period of at least ten Consecutive years.

Art 217 (1) ⇒ न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Judges)

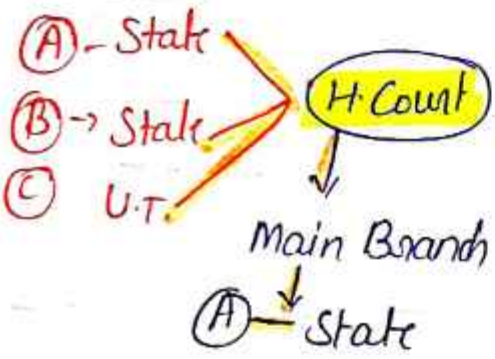
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा लेकिन S. Court के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद।

⇒ अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति – राष्ट्रपति द्वारा

↳ परामर्श (Consult) ⇒ ① S. Court के मुख्य न्यायाधीश

② H. Court के मुख्य न्यायाधीश

③ राज्य के राज्यपाल से



Consult (परामर्श) → लिखित

S- Court 2 वरिष्ठतम् न्यायाधीशों (2 most Senior Judges) से परामर्श

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति
[Appointment of Acting Chief Judges]

राष्ट्रपति न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को मुख्य न्यायाधीश के कार्यों का निर्वहन

करने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है (अनु. 223)।

The president may appoint one of the other judges of the Court as Acting Chief Justice to discharge the functions of the Chief Justice (Art. 223).

Art. 223 – कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश → नियुक्ति → राष्ट्रपति द्वारा

↳ कहां से नियुक्त? ⇒ उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से नियुक्त होते हैं।

↳ कब नियुक्त? → जब मुख्य का पद रिक्त हो या वह अनुपस्थित हो

Art. 224 → अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति (Appointment of Additional Judges)

→ केवल H. Court में नियुक्त

→ नियुक्ति कौन करता है? ⇒ राष्ट्रपति द्वारा

→ नियुक्ति क्यों की जाती है? ⇒ जब कभी किसी H. Court में, अचानक उसके कार्यों में

→ अस्थायी (Temporary) वृद्धि हो जाती है। तब राष्ट्रपति

rojgar with ankit

ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपर न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। जिसके पास H. Court का Judge बनने की योग्यता हो।

→ कार्यकाल (Tenure) → 2 वर्ष

Polity

न्यायाधीशों का कार्यकाल [Tenure of Judges]

→ 62 वर्ष की आयु (Age of 62 years) ⇒ अधिकतम आयु (Maximum Age)

→ त्यागपत्र (Resignation) ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

न्यायाधीशों का हटाया जाना (Removal of Judges)

→ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह हटाया जाता है।

Art. 219 ⇒ शपथ (oath) - का प्रारूप (Draft) ⇒ Schedule - 3

↳ शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलायी जाती है।

Art. 221 ⇒ न्यायाधीशों का वेतन ⇒ राज्य की संचित निधि से दिया जायेगा लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

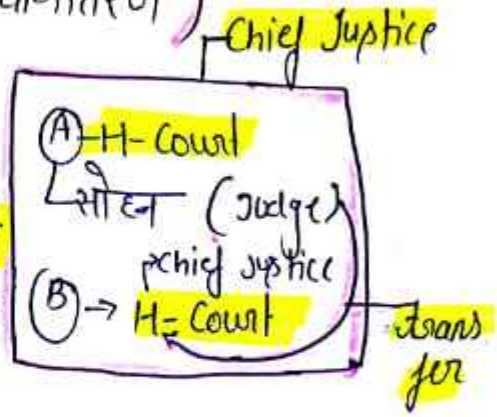
Salary (वेतन) → मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) ⇒ 2,50,000 रु

→ अन्य " (other ") ⇒ 2,25,000 रु

Transfer of Judges (न्यायाधीशों का स्थानांतरण)

Art. 222

↳ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतर * राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लेकिन S. Court के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of Supreme Court) से परामर्श के बाद।



→ Chief justice of H. Court (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश)

न्यायाधीशों पर प्रतिबन्ध [Restriction on Judges]

वह उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य (Plead or act) नहीं करेगा (अनु. 220)।

He shall not plead or act before any Court or authority except the Supreme Court and other High Courts' (Article 220)

Ex ⇒ मोहन → H. Court (Judge) ⇒ Retire

↳ S. Court में कार्य कर सकते हैं।

↳ अपने अलावा, उन H. Court को छोड़कर जिनमें यह कार्य कर चुके हैं, अपने अलावा दूसरे H. Court में कार्य कर सकते हैं।

प्रयागराज H. Court X
कलकत्ता H. Court X
चेन्नई H. Court X

अधीनस्थ न्यायालय में कार्य → नहीं कर सकते हैं।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

Powers of H. Court – ① Art. 226 → मौलिक अधिकारों की सुरक्षा
② न्यायिक पुनर्विलोकन
③ Art. 215 - अभिलेख न्यायालय
④ अपीलीय क्षेत्राधिकार (Apellate jurisdiction)
↳ H. Court अपने अधीनस्थ न्यायालयों (Supordinate Court) के निर्णय के विरूद्ध (Against of Judgement) अपील सुनता है
↳ दीवानी मामले (Civil Matters), फौजदारी मामले (Criminal Matters) राजस्व मामले
↳ Revenue Matters

→ ऐसे कितने H. Court है जो एक से अधिक राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश पर अपना क्षेत्राधिकार (jurisdiction) रखते है-

① मुम्बई H. Court ⇒ गोवा, दादर नगर हवेली & दमन दीव, महाराष्ट्र
② कोलकाता H. Court ⇒ पं. बंगाल, अंडमान & निकोबार

23 March 2013

③ गुवाहाटी H-Court ⇒ असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश

④ केरल H-Court → केरल, लक्षद्वीप

⑤ पंजाब और हरियाणा H-Court → पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़

⑥ चेन्नई H-Court ⇒ तमिलनाडु, पुदुचेरी।

26 March 2013

- मेघालय H-Court
- (23) — मणिपुर H-Court
- (24) — त्रिपुरा H-Court

25 March 2013

अधीनस्थ न्यायालय
Subordinate Court

→ Part (VI) भाग-6

→ Art. 233 - 237

⇒ H-Court के अधीन (under) और उसके नियंत्रण (control) में कार्य करने वाले न्यायालयों को संविधान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय (Subordinate Court) कहा जाता है।

⇒ अधीनस्थ न्यायालय, जिला स्तर (District level) का न्यायालय होता है।

⇒ जिला न्यायालय (District Court)- Classification वर्गीकरण-

- 3 भागों में
  1. दीवानी न्यायालय (Civil Court
  2. फौजदारी न्यायालय (Criminal Court)
  3. राजस्व न्यायालय (Revenue Court)

Polity

Subordinate Court
अधीनस्थ न्यायालय

जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ⟹ Art. 233
Appoints of District Judge
↳ राज्यपाल के द्वारा की जाती है लेकिन उस राज्य उच्च न्यायालय (H- Court) से परामर्श (Consult) के बाद।

Qualifiction's (योग्यतायें) - संघ / राज्य की न्यायिक सेवा में हो।
अथवा / Or " कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता (Advocate) के रूप में कार्य किया हो।

Art 235 → जिला न्यायालयों (District Court) और उसके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण (Control) H- Court (उच्च न्यायालय में) निहित होता है।

→ जिला न्यायाधीशों के विरुद्ध (against) अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार H- Court को होता है।

CAG → Comptroller & Auditor General of India
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
↳ Part (भाग) - V (5) / Art 148 - 151
संघ एवं राज्य दोनों का एक ही CAG होता है। और दोनों के लिए कार्य करता है।

इस पद का सृजन (Create) कैनिंग के समय हुआ था।

महालेखाकार (Auditor General)

CAG के कार्यालय (office) की स्थापना 1858 में हुई थी।

1st महालेखाकार (1st Auditor General) ⇒ 1860 रुडर्ड ड्रमंड

⇒ 1866 ⇒ नियंत्रक महालेखा परीक्षक (Comptroller Auditor General)

⇒ 1884 ⇒ भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General of India)

स्वतंत्र भारत के प्रथम CAG ⇒ वी० नरहरि राव

वर्तमान में CAG ⇒ गिरिश चंद्र मुर्मू

Art 148 ⇒ भारत का 1 CAG होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी (संघीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर)

⇒ योग्यतायें, वेतन और अन्य सेवा शर्तें ⇒ इनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।

⇒ वेतन ⇒ भारत की संचित निधि से दिया जाता है।

↳ इनका वेतन उच्चतम न्यायालय (S. Court) के न्यायाधीशों (Judges) के समान 2,50,000 ₹० / प्रतिमाह होता है।

कार्यकाल Tenure → 6 वर्ष / 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

→ त्यागपत्र ⇒ राष्ट्रपति को देते हैं।

→ हटाने की प्रक्रिया (Removal Process) ⇒ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों [Judges of Supreme Court] के समान संसद द्वारा विशेष बहुमत से हटाया जाता है।

प्रतिबंध (Restriction) सेवानिवृत्ति (Retirement) के पश्चात् संघ / राज्य सरकार के अधीन (under) लाभ का कोई पद धारण (acquire) नहीं करेंगे।

Oath शपथ → शपथ का प्रारूप (Draft of oath) → Schedule / अनुसूची - 3 में है,

↳ राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं।

CAG का कार्य ⇒ 1976 से पहले — ① लेखांकन (Accounting)

② लेखा परीक्षा (Auditing)

1976 से CAG के कार्य में परिवर्तन

लेखांकन कार्य → CGA (Controller General of Account)

लेखापरीक्षा का कार्य → CAG

rojgar with ankit

Polity

CAG

→ Art. 148

→ Art. 149 – CAG के कार्य

↳ 1976 से → लेखा परीक्षा (Auditing)

CAG → Controller General of Accounts

↳ Accounting (लेखांकन)

Art 151 → CAG की रिपोर्ट ⇒ CAG केंद्र / संघ सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष रखते हैं। संसद इसकी रिपोर्ट लोक लेखा समिति (Public Account Comm.) को देती है।

⇒ लोक लेखा समिति CAG की रिपोर्ट की जांच करती है।

↓

CAG को इस समिति का मित्र और मार्गदर्शक (friend & guide) कहा जाता है।

⇒ राज्य सरकार की रिपोर्ट ⇒ राज्यपाल को देता है और राज्यपाल इनकी रिपोर्ट विधानमंडल (legislature) के समक्ष रखवाते हैं।

* राजभाषा *
[Official language]

⇒ Part (भाग) ⇒ 17 XVII, Art. 343 - 351

⇒ 8 वी अनुसूची में - राजभाषा
- मूल संविधान (Original Constitution) - 14 भाषायें
- वर्तमान (Present) ⇒ 22 भाषायें

Art. 343 ⇒ संघ की राजभाषा सम्बंधी प्रावधान दिया गया है।

Art 343 (1) ⇒ संघ की राजभाषा (Offical language of union) ⇒ हिन्दी

" " लिपि (Script of union) ⇒ देवनागरी

⇒ Note :- राष्ट्रीय भाषा (National language) कोई नहीं है।

⇒ संविधान के लागू होने की तिथि (26 Jan 1950) को हिन्दी को राजभाषा भाषा का दर्जा दिया गया था, किन्तु इसे लागू नहीं किया गया।

राष्ट्रभाषा (National language)

राजभाषा (Official language)

⇓

किसी देश में सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल (Use) होने वाली भाषा होती है।

↳ किसी देश में सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा होती है यह देश की आधिकारिक भाषा होती है और देश का प्रतिनिधित्व करती है।

राष्ट्रभाषा देश की संस्कृति से जुड़ी होती है।

Art. 343 (2) → संविधान के प्रारंभ से 15 वर्षों (15 year's) की अवधि (1950 - 1965) तक शासकीय प्रयोजनों (official function's) के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा।

⇒ संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह संघ की राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की अवधि को 1965 से आगे बढ़ा सकती है।

राजभाषा अधिनियम 1963
official language Act 1963 ⟹ यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया (The Act Passed by the Parliament)

↳ 26 Jan. 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा होगी, लेकिन हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी प्रयोजनों (functions) में प्रयोग की जाती रहेगी।

Art. 344 → राजभाषा आयोग (official language Commission)

↳ संविधान के लागू होने के 5 वर्ष बाद गठन (formation) = 1955

↳ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ बी० जी० खेर

↳ अन्य सदस्य ⇒ 1955 ⇒ 14 सदस्य

⇓

वर्तमान में अन्य सदस्यों की संख्या ⇒ 22

⇓

इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

बालगंगाधर खेर

Polity

राजभाषा

⇒ राजभाषा आयोग → Art. 344

⇒ राजभाषा आयोग का कार्य ⇒ राजभाषा के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देना।

⇒ राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति ⟶ सदस्य (Members)
Joint Parliamentary Comm on Official language ⇓ 30 → 20 - LS, 10 - RS
↳ प्रथम संयुक्त संसदीय समिति ⇒ गठन ⇒ 1957
↳ अध्यक्ष (Chairman) ⇒ गोविंद वल्लभ पंत

Art. 345 = प्रादेशिक भाषायें (Regional language)

⇒ किसी राज्य का विधानमंडल (legislature) उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को शासकीय प्रयोजनों (official functions) के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में स्वीकार (Accept) कर सकता है।

⇒ संघ की राजभाषा हिन्दी → 9 राज्य
→ 1 केंद्र शासित प्रदेश ⇒ दिल्ली

राज्य :- छत्तीसगढ़, UP, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश
झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश।

Art. 346 → पत्रादि की राजभाषा [Official language of Communication]

- संघ [Union] + राज्य [State]
- राज्य + राज्य

किस भाषा मे आपस में बात करेंगे इसका प्रावधान इस (Art. 346) में किया गया।

Art. 347 → राजभाषा के लिए राष्ट्रपति निदेश (Directive) दे सकते हैं।

Art. 348 →
- उच्चतम न्यायालय [Supreme Court]
- उच्च न्यायालय [High Court]
- संसद [Parliament]
- विधानमंडल [Legislature]

→ English (अंग्रेजी)

Art. 120 → संसद की कार्यवाही (Hindi + English)
वा
संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

Art. 210 → विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा [Hindi + English]

Art. 350 → व्यथा निवारण के लिए भाषा

Language for Redress of Grievances

↳ व्यथा निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी (Officer or Authority) के संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में आवेदन कर सकते है।

Art. 351 ⇒ हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश
Directive for Development of Hindi language

→ विशालतम एवं विस्तृत संविधान

→ विश्व का सबसे बड़ा संविधान ⇒ भारत का संविधान, क्योंकि, केंद्र एवं राज्य दोनों का एक ही संविधान है।

→ " " " छोटा संविधान ⇓ मोनाको / USA (अमेरिका)

- वर्तमान → Art - 448 / 465
- अनुसूची → 12
- भाग ⇒ 25
- निर्मित = 26 Nov. 1949 — विधि / संविधान दिवस
- लागू ⇒ 26 Jan. 1950 ⇒ गणतंत्र दिवस

संसदीय शासन प्रणाली

↳ इसमें कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदेह होती है। अतः इन दोनों के मध्य सहसम्बंध (coordination) पाया जाता है।

अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ⟹ USA (अमेरिका)

Presidential System

↳ कार्यपालिका (executive) और विधायिका (Legislative) के मध्य पृथक्करण (Separation) होता है।

⇒ जिस देश के संविधान में संशोधन करना कठिन होता है, वह कठोर संविधान होता है, जबकि जिस देश के संविधान में संशोधन आसानी से होता है, वह नम्य संविधान होता है।

⇒ भारतीय संविधान में कुछ संशोधन सरलता से हो जाते हैं (साधारण बहुमत से) जबकि कुछ संशोधन करना कठ

संविधान की विशेषतायें : एक दृष्टि में
Features of the Constitution : At a Glance

विशाल एवं विस्तृत संविधान
Largest and Detailed Constitution

लिखित संविधान Written Constitution → अलिखित संविधान → ब्रिटेन
(विश्व का प्रथम लिखित संविधान → USA)

प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
Sovereign, Socialist, Secular Democratic Republic

संसदीय शासन प्रणाली Parliamentary Government System

मूल अधिकार Fundamental Rights

नीति निर्देशक तत्व Directive principles of state policy

मूल कर्तव्य Fundamental Duties

स्वतंत्र न्यायपालिका Independent Judiciary

नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण — विश्व का कठोर (Rigid) संविधान → अमेरिका
→ नम्य (Flexible) ब्रिटेन

Polity

केंद्राभिमुख संविधान

Art. 1 ⇒ भारत / इंडिया "राज्यों का संघ"

पो० के० सी० हीयर ⇒ भारतीय संविधान अर्द्धसंघीय है। (Quasi-federal)

सर आइवर जेनिंग्स → यह एक ऐसा संघ जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति प्रबल है। (अमेरिकी)

↓

भारतीय संघीय / एकात्मक [federal / unitary]

संघात्मक लक्षण (features) → ① लिखित संविधान (Written)

② संविधान की सर्वोच्चता (Supremacy of Constitution)

③ शक्तियों का विभाजन [Division of Powers]

④ दोहरी नागरिकता [Dual Citizenship]

⑤ स्वतंत्र न्यायपालिका [Independent]

(यह भारत में नहीं है।)

→ एकात्मक लक्षण (Unitary features)

(1) इकहरी नागरिकता [Single Citizenship]

2) आपातकालीन उपबंध [Emergency provision]

3) राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार के कहने पर [Art. 155]

4) अखिल भारतीय सेवायें [Art. 312 → All India Services]

[5] नये राज्यों के निर्माण की संसद की शक्ति (Art. 3)

राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफेद तथा नीचे हरे रंग की तीन क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। लम्बाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। तिरंगा की सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है
24

There are three horizontal stripes of saffron colour at the top, white in the middle and green at the bottom. The ratio of length and width is 3:2 respectively. There is a dark blue circle in the middle of the white strip of the tricolour

जिसमें 24 तिलियाँ है। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तम्भ सिंह स्तम्भ से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया।

which has 24 spokes. This Chakra has been taken from the Ashoka pillar Lion pillar located in Sarnath. On 22 July 1947, the Indian Constituent Assembly adopted the national flag tricolour.

राष्ट्रीय चिन्ह [National Emblem]

भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तम्भ के शीर्ष पर चार सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किये हुए हैं।

The national emblem of India is a replica of Ashoka's lion pillar located in Sarnath. There are four lions on top of the original pillar, facing each other.

चक्र के दायीं ओर एक साड़ है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बायीं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है।

On the right side of the wheel is a bull, which is a symbol of an agrarian economy. On the left side of the wheel is a horse, which is a symbol of indomitable power, hard work and mobility.

फलक के नीचे मुण्डकोपनिषद् का सूत्रवाक्य 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी, 1950 को अपनाया

मुण्डकोपनिषद्

Below the panel, the aphorism of Mundakopanishad 'Satyameva Jayate' is inscribed in Devanagari Script. The Government of India adopted it as the national emblem on January 26, 1950

राष्ट्रगान (National Anthem)

रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप में बंगाल भाषा में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-गन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।

The Hindi Version of 'Jana-Gana-Mana' Originally Composed and written in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted as the national anthem of India by the Constituent Assembly on January 24, 1950.

वह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26 वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकेण्ड है।

It was first Sung on 27 December 1911 at the 26th Session of the Indian National Congress in Kolkata. The duration of Singing the national anthem is about 52 Seconds.

राष्ट्र गीत [National Song]

बंकिमचंद्र चटर्जी ने संस्कृत में 'वंदे मातरम्' गीत की रचना की, यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12 वें अधिवेशन (कलकत्ता) में

गाया गया था। इसे 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बांग्ला भाषा में लिखित 'आनन्दमठ' नामक उपन्यास से लिया गया है

Bankim Chandra Chatterjee Composed the Song 'Vande Mataram' in Sanskrit. this Song was first Song in the 12 th session of the Indian National Congress (Calcutta) in 1896. It was adopted as the national Song on January 24, 1950. This Song is taken from the novel 'Anandamath' written in Bengali language.

राष्ट्रीय पशु [National Animal]

बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सन् 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारम्भ किया गया। इससे पहले 'शेर' राष्ट्रीय पशु था

Tiger is the national Animal of India. In 1973, along with declaring Bengal Tiger as the national animal Project Tiger was started to save tigers in India. Earlier, 'Lion' was the national animal

राष्ट्रीय पंक्षी [National Bird]

भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन् 1963 ई० में राष्ट्रीय पंक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जन्तु वैज्ञानिक नाम - 'पावो क्रिस्टेटस' है।

The Indian peacock is the national bird of India. It was declared the national bird on 26 January 1963. The peacock enjoys full protection under the Indian forest and Wildlife (protection) Act. 1972. Its Scientific name is 'pavo Cristatus'.

राष्ट्रीय पुष्प [National Flower]

कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है।

Lotus is the national flower of India

राष्ट्रीय वृक्ष [National Tree]

बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है।

The banyan has been adopted as the national tree of India

राष्ट्रीय फल [National Fruit]

⇓

आम (Mango)

राष्ट्रीय नदी [National River]

गंगा नदी भारत की सबसे लम्बी नदी है, जो पहाड़ों, वादियों एवं मैदान पर 2525 किमी. की दूरी तय करती है।

इसका उद्भव उत्तराखण्ड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है।
Ganga river is the longest river in India, which flows over mountains, valleys and plains covering a distance of 2525 km. It originates from the Gangotri glacier in the Himalayas of Uttarakhand where it is known as Bhagirathi.

राष्ट्रीय मुद्रा : प्रतीक चिन्ह [National Currency : Symbol]

भारतीय रुपये को 15 जुलाई, 2010 को डॉलर, यूरो, पाउण्ड और येन की तरह नया प्रतीक मिल गया है। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के 'र' और रोमन लिपि के R को मिलाकर ₹ बनाया गया है। इस प्रतीक के डिजाइनर डी. उदय कुमार है।
The Indian rupee has got a new symbol on July 15, 2010 like the dollar, euro, pound and yen. The new symbol of the rupee has been created by combining the letter 'र' of the Devanagari Script and the letter R of the Roman Script. The designer of this symbol is D. Uday kumar

राष्ट्रीय जलीय जीव [National Aquatic Animal]

मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में 'गंगा डॉल्फिन'

को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था
The freshwater dolphin is the national aquatic animal of India. On 18 May 2010, the ministry of Environment and forests of India dulared the 'Granga Dalphin' as the national aquatic animal of India.

PIL (Public Interest litigation)
↳ जनहित याचिका (Pchition) ↓
लोगों का हित
दायर ⇒ Supreme Court /
⇒ High Court
शुरुआत ⇒ USA
↳ भारत में शुरुआत ⇒ बिहार की भागलपुर जेल में

ex. गांव → गंदगी
लोग — वहाँ — बीमारियां फैल रही
↳ प्रभावित

लोकहित वाद न्यायिक प्रक्रिया का नवीन दृष्टिकोण है। परम्परागत प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में जा सकता था। ऐसी स्थिति में किसी निर्धन या अशिक्षित व्यक्ति के लिए यह सदैव सम्भव था
Public interest litigation is a new approach to the judicial process. According to the traditional process Only the aggrieved person could go to Court to

get justice. In such a situation, it was always possible for a poor or uneducated person

कि वह न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जाय 1980 के लगभग आंग्ल विधि के उपरोक्त मत में परिवर्तन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस नवीन दृष्टिकोण को अपनाया कि लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था

So that he is deprived of getting justice from the Court. Around 1980, changing the above opinion of English law, the Supreme Court adopted this new view that any person or institution motivated by Public interest

किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक या विधिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायालय में वाद ला सकता है, जो अपनी निर्धनता या अन्य किसी कारण से न्यायालय द्वारा न्याय प्राप्त करने में असमर्थ है। अतः ऐसे वाद जो लोकहित के संरक्षण के उद्देश्य से न्यायालय में संस्थित किये जाते हैं लोकहित वाद कहलाते हैं।

A person can file a suit in the Court to enforce his Constitutional or legal rights, who is unable to get justice from the Court due to his poverty or any other reason. Therefore such suits which are instituted in the Court for the purpose of protecting public interest are called public interest suits.

लोकहितवाद की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने किया था। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर (बिहार) की जेल में बन्दी रखे गये विचाराधीन कैदियों के मामले से हुई थी

Public inte.. litigation was initiated by the Supreme Court of the United States. In India. it started with the case of undertrial prisoners kept in Bhagalpur (Bihar) jail.

इनके सम्बन्ध में पुलिस आयोग के सदस्य के. एफ. रुस्तम जी ने एक लेख लिखा था तथा एडवोकेट श्रीमती हिंगोरानी ने इस मामले को अनु. 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में उठाया था।

जनहित याचिका की जननी

In this regard. police Commission member K.F. Rustam ji had written an article and Advocate Mrs. Hingorani had raised this matter in the Supreme Court under Article 32

भारत में लोकहित वाद को प्रारम्भ करने का श्रेय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती जो जुलाई 1985 से दिसम्बर 1986 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे तथा न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर साहब को जाता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग [National Human Rights Commission]

10 दिसम्बर, 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गयी। इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए हमारे देश में अक्टूबर, 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

Human rights were declared by the United Nations General Assembly on 10 December 1948. To protect these human rights, the National Human Rights Commission was formed in our Country in October 1993.

यह एक संविधानोत्तर अथवा विधिक संस्था है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अन्तर्गत हुआ था, जिसका नाम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 था। इस अधिनियम में वर्ष 2006 के पश्चात पुनः वर्ष 2019 में संशोधन किया गया है। इस आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है।

It is a post-Constitutional or legal institution. It was formed under an Act passed in the parliament, named protection of Human Rights Act, 1993. This Act has been amended again in the year 2019 after the year 2006. The head office of this Commission is in Delhi.

मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। जिसमें एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं, उक्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए ऐसे व्यक्ति को भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायमूर्ति होने की पात्रता होनी चाहिए।

The human Rights Commission is a multi-member body. It consists of a chairman and five members. To become the chairman of the said Commission, such a person must be eligible to be a retired Chief Justice of India or a justice of the Supreme Court.

मानवाधिकार आयोग ⟹ विधिक संस्था

- स्थापना → Oct. 1993 → 1 अध्यक्ष + 5 अन्य सदस्य
- Head office → नई दिल्ली

अध्यक्ष: Chief justice of S-Court / judge of S-Court

नियुक्ति → राष्ट्रपति ⇓ लेकिन समिति की सिफारिश पर

समिति: 6 सदस्य → PM, गृहमंत्री, Speaker of LS, Chairman of RS, मुख्यविपक्षी दल नेता (LS / RS)

अध्यक्ष + सदस्य → कार्यकाल → 3वर्ष / 70वर्ष की आयु जो भी पहले हो।

पहले कार्यकाल 5वर्ष / 70वर्ष की आयु था → 2019 में संशोधन द्वारा परिवर्तित)

आधार ← दुराचार (Misbehaviour)
अक्षमता (Incapacity)

→ राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है लेकिन S-Court की जांच की रिपोर्ट के आधार पर

आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छः सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, गृहमंत्री लोकसभाध्यक्ष, 1 राज्यसभा का उपसभापति तथा दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता होते हैं।

The chairman and members of the Commission are appointed by the president on the recommendation of a Six-member Committee headed by the prime Minister. This Committee Consists of the Prime Minister, Home Minister, Speaker of Lok Sabha, Deputy Chairman of Rajya Sabha (MP PCS: 14) and the leader of the main opposition party of both the houses.

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष अथवा 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तक होता है तथा ये पुनः नियुक्त के लिए पात्र होंगे। इन्हें

अपने पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा दुराचरण या अक्षमता के आधार पर उच्चतम न्यायालय की जाँच रिपोर्ट के बाद ही हटाया जा सकता है

The tenure of the Chairman and members of the Commission is 13 years or 70 years, whichever is earlier, and they will be eligible for reappointment. They can be removed from their post only by the president on the basis of misconduct or incapacity after the investigation report of the Supreme Court.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा (2021) हैं।

The first Chairman of the National Human Rights Commission was Justice Ranganath Mishra. Its current chairman is Justice Arun Kumar Mishra (2021)